खण्ड-332, अंक-1
गुरूवार, 30 चैत्र, शक संवत् 1900
(20 अप्रैल, 1978 ई0)

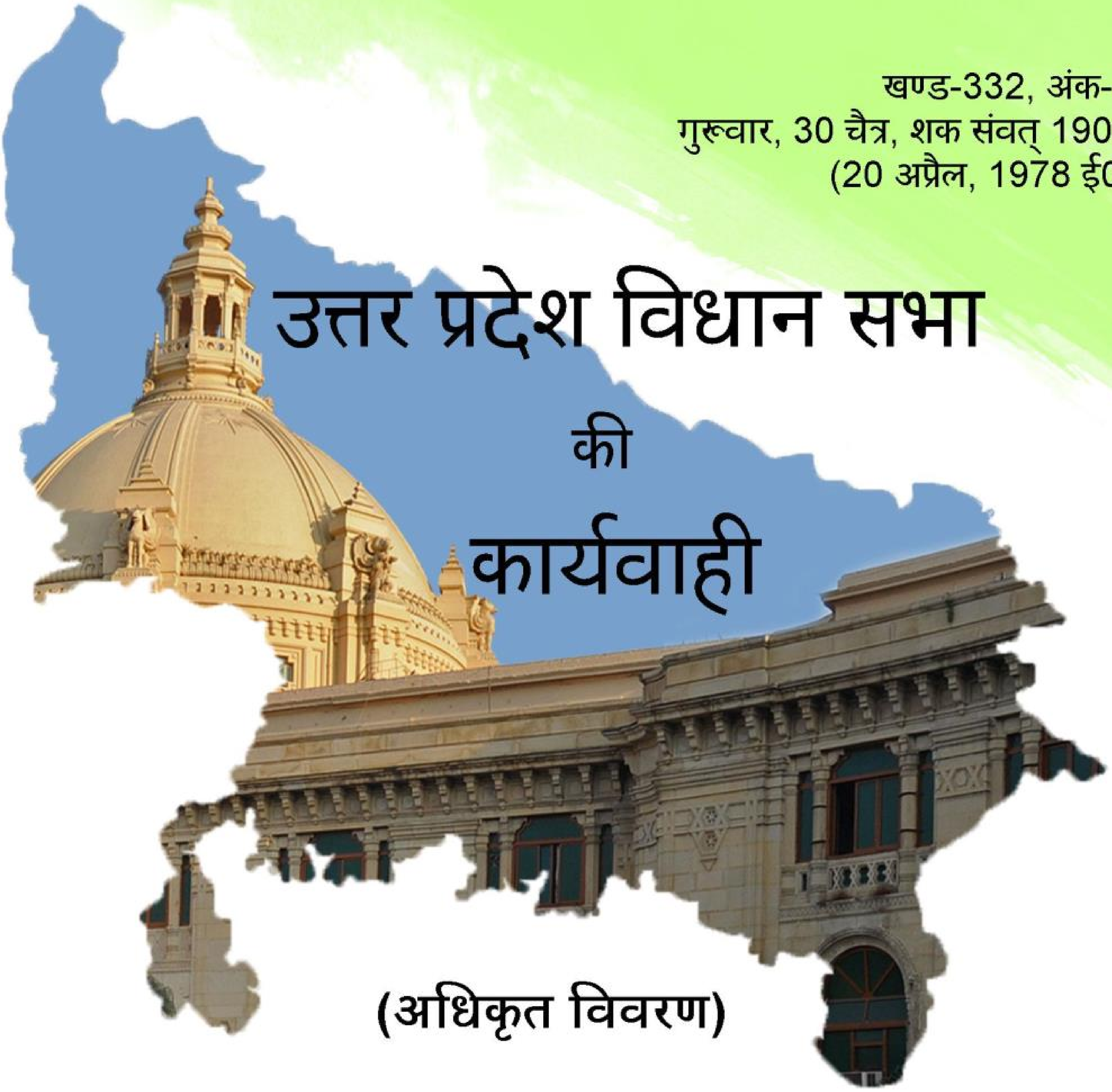

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–५७
अर्जक संघ व शोषित समाज दल द्वारा ग्राम दयानतपुर (कांधी), जिला कानपुर में चेतना दिवस पर रामायण व मनुस्मृति जलाये जाने की धमकी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५७–५८
थाना कुरारा, हमीरपुर के एक सब इन्सपेक्टर द्वारा ग्राम उदनपुर, जिला हमीरपुर के एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल किय जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५८–६०
ग्राम राम लोक, जिला खीरी के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के भू–आवंटियों की फसल ग्राम रायपुर, थाना ईसानगर, जिला खीरी के लोगों द्वारा काटे जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६०
जिला जेल, एटा से अपराधियों की अनियमित रिहाई से जनता में आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६०
बाराबंकी चीनी मिल मशीन की खराबी से बन्द होने के कारण किसानों के समक्ष कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६०–६१
विधान सभा सदस्य, श्री राम दत्त जोशी पर १८ अप्रैल, १९७८ को किच्छा रेलवे स्टेशन पर हमला तथा उनके लापता हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६१–६९
सम्भल, मुरादाबाद में ग्रामीण अंचल के हाई स्कूल के छात्रों की परीक्षा में हो रही कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	७९–७०
क्लाइव रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद निवासी एक वृद्ध महिला को जबरदस्ती उसके घर से निकाल कर एक वकील द्वारा कब्जा किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	७०
गोंडा जिले में तुलसीपुर में देवी पाटन मेले में महिलाओं द्वारा अनैतिक व्यापार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	७०–७१

विषय	पृष्ठ संख्या
नन्दा देवी में गंगोत्री में विषाक्त अणुविक यंत्र रखे जाने के संबंध में सूचना की मांग	७२
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	७२
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	७२
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	७२
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	७३
गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७३
दैनिक अमृत प्रभात के सम्पादक तथा पी० टी० आई० से सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७४
श्री श्रीराम द्विवेदी, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७४–७८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	७८–७९
१९७८–७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २८—शिक्षा तथा अनुदान संख्या ९१—[illegible]ण और अग्रिम शिक्षा (स्वीकृत)	७९–१२७
विधान सभा सदस्य, श्री राम दत्त जोशी के लापता होने तथा उनके जीवन के खतरे के संबंध में मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण ..	१२७–१२९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१२९–१३०
उच्च अधिकारियों की बैठक में विभागों के लिये मशीनों तथा पम्पिंग सेट के पुर्जों के मूल निर्माताओं तथा अधिकृत एजेन्टों से खरीदे जाने के विषय में दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ को पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा ..	१३०–१३६
उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ (पारित)	१३६–१६०
नत्थियां	१६१–१६४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9146

बृहस्पतिवार, २० अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३१९

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसेन, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हुसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री

जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायन, श्री
दुखी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभुदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बचन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभारी, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण "निर्मोही", श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री

मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्ला कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुस्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री

वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजयराज सिंह, श्री
विद्याशंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्यामनारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद श्री
सूरवीर सिंह श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरीकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बिक्रीकर हटाने के संबंध में केन्द्र सरकार से की गई कथित संस्तुति

**श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या बिक्रीकर मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को बिक्री कर हटाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई संस्तुति अभी तक नहीं मांगी है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अब तक जो हम लोगों को मालूम होता था वह यह होता था कि उत्तर बदला जा सकता है लेकिन माननीय कृष्ण स्वरूप का प्रश्न ही बदल दिया गया है जो छपा हुआ है उसकी जगह पर । तो क्या प्रश्न भी बदल दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

अपने विभाग की गलती की वजह से गलत छप गया था, यह माननीय कृष्णा स्वरूप बैश्य का प्रश्न है, इसलिए संशोधित हो गया है ।

(प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में प्रश्न नहीं लिया गया)

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के जूनियर डाक्टरों की हड़ताल

**२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या चिकित्सा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने 10 अप्रैल, 1978 से कलमबन्द हड़ताल प्रारम्भ कर दी । यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल के जूनियर डाक्टरों द्वारा जो हड़ताल 10 अप्रैल, 1978 को प्रारम्भ की गई थी वह 11 अप्रैल, 1978 को समाप्त हो गई । यह हड़ताल कुछ व्यक्तियों द्वारा डाक्टरों से कथित दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में की गयी थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने डाक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया था उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें आये दिन हुआ करती है डाक्टरों की सुरक्षा बनी रहे इसके लिए सरकार किसी व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रत्येक जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ऊपर से आदेश दे दिये गये गये हैं कि इस प्रकार की दुर्व्यवहार की घटनाएं हों तो, तुरन्त कार्यवाही की जाय । जिस-जिस स्थान पर ऐसी सूचना मिलती है कार्यवाही की जाती है । यह व्यवस्था की गयी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या इसमें मुकदमा भी चलाने का सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह--

पुलिस तफतीश कर रही है । जब परिणाम सामने आयेगा तब विचार किया जायगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि चिकित्सकों की हड़ताल वापस कराने के लिए क्या सरकार ने उनसे समझौता किया है ? यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

उन्होंने कहा था कि जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो, चूंकि कार्यवाही हो चुकी है उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दिया है। इसमें कोई समझौते की बात नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से रोज शिकायतें आती हैं, एफ० आई० आर० फौजदारी मुकदमें की रोज लाज होती है, उसमें उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता है जगह-जगह घटनायें होती हैं क्या माननीय मंत्री जी मुस्तकिल तरीके से इंतजाम करेंगे कि हर जिले के शफाखाने के डाक्टरों की सुरक्षा हो सके ?

श्री कल्याण सिंह--

मैंने निवेदन किया इस प्रकार की किसी भी स्थान से सूचना मिलती है किसी भी डाक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो निश्चित तौर पर जिसने इन्सल्ट किया हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें डाक्टर के साथ दुर्व्यवहार की हैं उन्होंने न केवल डाक्टरों के साथ बल्कि नर्सों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था ?

श्री कल्याण सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। सूचना माननीय सदस्य दें। जांच करवा ली जायगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है किस धारा के अन्तर्गत हुई है ?

श्री कल्याण सिंह--

३२३, ५०४, ५०६ आई० पी० सी०।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर की बन्दी एवं अध्यापकों का वेतन

**३-श्री प्रभु दयाल यादव (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सी० ओ० डी०, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालय है, के अध्यापकों को वेतन भुगतान माह जुलाई, १९७७ से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

जी हां। क्योंकि विद्यालय को संस्थाधिकारियों द्वारा बन्द कर दिया गया है इसलिए अध्यापकों को १-७-७७ से वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

श्री प्रभु दयाल यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्था अधिकारियों ने इस विद्यालय के अध्यापकों की सेवायें ता० ७-६-१९७७ को समाप्त कर दी थी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र संख्या सी० सी० ७१६४-७, दिनांक २९-६-१९७७ द्वारा निदेश दिया था कि सभी अध्यापकों की सेवायें चालू रहेगी। दूसरी बात यह है कि यह विद्यालय आज भी चालू है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसका मुआइना भी किया है। इस विद्यालय के विद्यार्थियों की फीस बैंक के खाता नं० ००२८ में जमा भी की जा रही है और विद्यालय के छात्र संस्थागत छात्रों के रूप में हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं २४ छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल नं० ८२११८२ से ८२१२०५ है ऐसी दशा में क्या माननीय मंत्री जी उन अध्यापकों को वेतन देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कालीचरण--

मान्यवर, सी० ओ० डी० स्कूल कानपुर में निषिद्ध क्षेत्र में था। सेना के लोग उसका प्रबन्ध एक समिति द्वारा करते थे और वही समिति उसका संचालन करती थी। उन लोगों ने गड़बड़ी के कारण उस स्कूल को बन्द कर दिया और इसकी सूचना सरकार को दे दी और जो अध्यापक थे, उनके खाते में ३-३ महीने का वेतन जमा कर दिया, यद्यपि अध्यापकों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह स्कूल वहां पर चल नहीं रहा है।

श्री प्रभू दयाल यादव--

माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर निरंतरक बैठाने पर विचार करेंगे ?

श्री काली चरण--

विद्यालय बन्द हो गया है। विद्यालय चलता है तो सरकार नियंत्रक बैठाती है। विद्यालय सेना के एरिया के भीतर है, संपत्ति उनकी है, वह कहते हैं कि विद्यालय नहीं चलायेंगे, तो नियंत्रक बैठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

विद्यालय चलता है अथवा नहीं, यह कैसे माने। २४ छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए ह। वहां के विद्यालय को मान्यता प्राप्त है और सभी विभागीय कार्यवाही होती है। केवल प्रबन्धकों की ओर से विद्यालय बन्द कर दिया, लेकिन दूसरे स्थान पर चल रहा है और वहां पर फीस भी जमा हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब विभाग की ओर से मान्यता है तो अध्यापकों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री काली चरण--

इन बातों की जानकारी कर ली जायेगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें बहुत प्रयास किया गया है, हमार विभाग के अधिकारियों ने भी बहुत प्रयास किया है। भारत के सुरक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया था कि अगर वह प्रबन्ध समिति स्कूल न चला सके, तो वहां पर स्कूल चलाने की अनुमति दे दी जाये, लेकिन सेना के अधिकारियों ने उस विद्यालय को वहां पर चलाने की अनुमति नहीं दिया। विद्यालय बन्द हो चुका है। फाइनल कक्षाओं में विद्यार्थी थे इस लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी हो, तो यह दूसरा प्रश्न है, लेकिन वह विद्यालय पूर्णतः बन्द है और चल नहीं रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई विद्यालय बन्द हो जाता है, तो सरकार को उसे चालू करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है और उसके अन्तर्गत उसको चालू करायेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, अगर किसी प्राइवेट विद्यालय के संचालक किसी विद्यालय को बन्द कर दें, तो उसको चलाने का कोई कानूनी अधिकार सरकार को अभी तक नहीं है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नियमित फीस ली जा रही है, फार्म भरे जा रहे हैं केवल उसके संचालक हट गये हैं फिर भी उसको विद्यालय न मानने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं कि हमको अधिकार नहीं है। प्रबन्ध समिति ने बन्द कर दिया है। प्रश्नों के द्वारा सरकार से सूचना प्राप्त की जाती है। यह तो आपका तर्क है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, जो अध्यापक निकाल दिये गये हैं, तो क्या उनको दूसरी जगह समायोजित करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

जो नियम है, उसके आधार पर उनके ऊपर भी विचार किया जायगा ।

फर्रुखाबाद के ब्लाक राजेपुर के ग्रामों का गंगा व रामगंगा से कटाव

**४--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के उपसंभाग राजेपुर में गंगा व रामगंगा नदियों से बरसात के दिनों में भीषण बाढ़ व कटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पिछले १० वर्षों में लगभग तीस गांव बिल्कुल ही जलमग्न होकर अपना अस्तित्व खो बैठे हैं ? यदि हां, तो कटाव से होने वाली क्षति पिछले पांच वर्षों की क्या है और इस क्षेत्र के अस्तित्व को बनाने के लिए सरकार बरसात से पूर्व क्या योजना लागू कर रही है ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

जी हां, राजेपुर ब्लाक में गंगा व रामगंगा नदियों से बाढ़ में क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और पिछले दस वर्षों में २७ ग्राम बाढ़ से विलीन हो गये हैं ।

पिछले पांच वर्षों में कटाव से क्षति निम्नलिखित हैं--

(१) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र ३,०७,५७८ एकड़

(२) बाढ़ द्वारा भूमि का कटाव २,३८९ एकड़

(३) बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या ३,३५०

कटान की मुख्य समस्या ग्राम बल्ली पट्टी में है अतः बल्ली पट्टी ग्राम के सामने डैम्पनर्स बनाने पर कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक अन्य जलमग्न क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का प्रश्न है योजना के लाभ एवं लागत के अनुपात को पूर्णतया परीक्षण करने के पश्चात् ही आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, यहां पर पिछले १० वर्षों में २७ गांव हमेशा के लिए विलीन हो गये , इतना कटाव हो रहा है । लाखों एकड़ भूमि कट चुकी है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसका सर्वे करायेंगे और अगर कराया है, तो उसका इस्टीमेट क्या है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इस सम्बन्ध में नवम्बर, १९७६ में एक योजना तैयार की गयी थी जो ४ करोड़ ४० लाख की थी और उस पर विचार किया गया और उस योजना को त्याग दिया गया । कारण यह था कि उससे केवल ६० हेक्टर कृषि योग्य भूमि बचती थी, केवल ५३ पक्के मकान और ५८ कच्चे मकानों की सुरक्षा को देखते हुए, इसकी लागत बहुत अधिक थी । जहां पर गंगा नदी का कर्व है, उसको खोदकर सीधा कर दिया जाये, जिससे गंगा की धारा कम हो जाये । इस चीज को इन्जीनियरों की कमेटी में रखा गया लेकिन उसको अनुपयोगी माना गया ।

[श्री शारदा प्रसाद रावत--]

१५ तारीख को निर्णय हो गया है कि ४ डैम्पनर्स बनाये जायेंगे और १५ जून के पहले इस काम को करा लिया जाय, तो जो हम कर सकते थे, वह हमने कर दिया है। जैसा कि मैंने उत्तर दिया शेष समस्या के सम्बन्ध में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यदि इसका निदान संभव हुआ, तो किया जायगा।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डैम्नर्स को बनाने का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और उसका एस्टीमेट क्या है और इस वर्ष में कितना व्यय होगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बता दिया है कि जून तक यह कार्य समाप्त हो जायगा। इसमें इस वर्ष कितना रुपया लगेगा और क्या एस्टीमेट है, यह मंत्री जी बता दें ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इसमें ४-५ लाख रुपया लगने की आशा है। १५ अप्रैल को यह निर्देश दे दिए गये हैं कि यह कार्य १५ जून तक पूरा कर लिया जाय।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इसमें एक लाख एकड़ से ज्यादा जमीन प्रभावित हुयी है और २७ गांव बाढ़ से विलीन हो गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे, भारत सरकार से भी परामर्श करेंगे और उनकी सहायता से इस योजना को लागू करा कर यहां की सुरक्षा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में दूसरी योजना पर जो विचार किया गया, उसकी लागत ९ करोड़ से ऊपर की है लेकिन सबसे बड़ी समस्या गंगा और रामगंगा दोनों नदियों पर बांध बनाने की नहीं है। समस्या यह है कि बीच के क्षेत्र का जो पानी है, वह कैसे निकाला जाय, यह किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। लिहाजा बांध बनाने के बाद भी वह समस्या रह जाने की संभावना है। इस सम्बन्ध में तकनीकी राय ली जा रही है कि कौन सा काम करके इस समस्या का निदान किया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी ने कहा कि हम सर्वे करा रहे हैं और हानि-लाभ का जायजा लेकर योजना बनायेंगे। मेरी प्रार्थना है कि इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण न अपनाकर मानवीय दृष्टिकोण अपना करे, यहां के टैक्नीशियन्स से राय लेकर और यदि आवश्यकता हो, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के टैक्नीशियन्स की राय लेकर उनकी इमदाद से कोई योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जहां तक व्यावसायिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, बांध बनाने से हमें रिटर्न तो मिलता नहीं है। मैं इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि क्या बांध बनाने के बाद भी पानी के भरने को रोका जा सकता है। यदि हां, तो हम आवश्य प्रयास करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

नगरपालिका, फैजाबाद द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर नरेन्द्रालय का निर्माण

*१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के शहर फैजाबाद में पिछली नगरपालिका ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी की स्मृति में नरेन्द्रालय के नाम से एक बहुउद्देशीय भवन बनाने का निर्णय लिया था ? क्या इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक १० फरवरी, १९७८ का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त भवन के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (सत्य प्रकाश मालवीय)—

जी हां ।

पत्र प्राप्त हुआ है । पालिका धनाभाव के कारण निर्माण-कार्य पूर्ण कराने में असमर्थ है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने जो पत्र लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि पिछली चुनी हुई नगरपालिका के सदस्यों ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव के जरिए आचार्य नरेन्द्र देव जी की स्मृति में नरेन्द्रालय के नाम से एक बहु उद्देशीय भवन बनाने का निश्चय किया था । उस पर ५० हजार रुपया भी उसके एक अंश के निर्माण कार्य में खर्च हो चुका था, तो पता नहीं कि किस मंत्री या अधिकारी के कहने पर वहां की दीवारों को तहस-नहस करके दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की, जिसके बारे में वहां पर बड़ा रोष हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी या किस मंत्री के आदेशों पर वहां की दीवार तोड़ी गयी और पैडेस्टल लगाये गये और जनता पार्टी के सदस्यों को लड़ाने की कोशिश की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, संकल्प नगरपालिका द्वारा १२ दिसम्बर, १९७२ को पारित किया गया था । इस सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं, उनकी जांच करायी जा रही है, वह पूरी नहीं हुई है, इसलिए आगामी कार्यवाही का प्रश्न आरम्भ आने पर पैदा होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं जानना चाहता हूं कि वह जांच कब तक पूरी हो जायगी और उसके बाद क्या मंत्री जी सारे तथ्य सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे। मंत्री जी ने कहा कि धनाभाव के कारण संभव नहीं है, तो क्या नरेन्द्रालय बनाने की योजना हमेशा-हमेशा के लिए निरस्त कर दी गयी है या फार दि टाइम बींइग उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि निश्चित रूप से जांच आख्या इस सदन के उठने के पहले प्रस्तुत होगी और लिखित सूचना माननीय सदस्य को भेज देंगे। माननीय सदस्य जानते हैं कि यह स्थानीय निकाय है और उसको कहां पर क्या कार्यवाही करना है, उसके लिए स्वयं ही निर्णय लेना है। यदि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो जो प्रस्ताव है ७ लाख रुपये के अन्दर खर्च का वह करा सकते हैं।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

नरेन्द्रालय की अधिकृत जमीन पर क्या श्री दीन दयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित करने के लिए शासन की तरफ से कोई आदेश हुआ है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

शासन द्वारा उक्त पार्क में स्व० पं० दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित करने पर विचार करने के लिए लिखा गया था लेकिन इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

उत्तर के संदर्भ में, क्या यह सही है कि प्रस्तावित नरेन्द्रालय भवन के लिये ५० हजार रुपया खर्च किया जा चुका है और एक निश्चित जमीन भी तय कर ली गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय ओझा जी का जो प्रश्न है यह माननीय रवीन्द्र नाथ जी के पत्र से संदर्भित है जिसकी जांच चल रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं पूछना चाहता हूं कैटेगरिकली कि क्या ५० हजार रुपया उस भवन के निमित्त व्यय हो चुका है या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने निवेदन किया कि जो जांच हो रही है, उसमें यह विषय भी विचाराधीन है।

श्री रियाज हुसैन--

क्या मंत्री जी उस पत्र को या उस रिपोर्ट को जो किसी अधिकारी ने या स्थानीय निकाय से रिकमेंडेशन की शक्ल में आयी हो कि आचार्य जी के बजाय दीन दयाल जी की मूर्ति बना दी गयी, तो उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने तिवारी जी के प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि जितनी भी विस्तृत जांच के बाद जानकारी शासन की होगी, मैं तिवारी जी को सूचित कर दूंगा और आदेश होगा तो सदन के पटल पर भी रख दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

जिस बुनियाद पर भी यह चला है, रिजोल्यूशन की शक्ल में या अधिकारी के मातहत शासन को लिखा गया होगा कि आचार्य नरेन्द्र देव जी की जगह स्व० दीनदयाल जी की मूर्ति बनाई जाय तो उसको रख देंगे पटल पर ?

श्री अध्यक्ष—

रियासत हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा पत्र आया था और शासन ने उस पर निर्णय नहीं किया । आपने कहा कि मूर्ति कैसे बनी तो उत्तर दे चुके कि इन सारे प्रश्नों की जांच करने के बाद सदन के उठने के पहले पटल पर रख देंगे ।

श्री ऊदल—

फैजाबाद की पिछली नगरपालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में नरेन्द्रालय के नाम से जमीन लिया, ५० हजार रुपया खर्च किया, फिर कौन सा दूसरा पत्र आ गया जिसके बाद शासन ने पं० दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर वहां मूर्ति लगान के लिए विचार किया और उसको भेजा ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना स्पष्ट है कि उनका पत्र आया ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, उन्होंने जवाब दिया कि शासन ने विचार किया और उसको भेजा है, पालिका को । उसका फिर स्पष्टीकरण करा दें कि वह पत्र किसको दिया, शासन ने उस पर क्या विचार किया और उसको कहां भेजा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने यह कहा है कि इसमें शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

उस पत्र पर आपने कोई कार्यवाही की ? आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

ऐसे मामलों में शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कोई आदेश दिया ही नहीं जाता ।

श्री अध्यक्ष—

वह पत्र किस का था, नगरपालिकायें तो सभी सुपरसीडेड हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, एक उप मंत्री जी वहां गये थे, जनता ने उनसे कहा, इस सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

कौन से मंत्री गये थे और क्या टिप्पणी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उप मंत्री गये थे उनकी टिप्पणी पत्रावली में है । शासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न स्पष्ट था, किसने लिखा, किस व्यक्ति का पत्र था, जो कार्यालय में आया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उप मंत्री जी की टिप्पणी है । वे फैजाबाद गये थे, वहां जनता ने उनसे कहा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

कौन से मंत्री गये, क्या टिप्पणी लिखी ?

(व्यवधान) ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय उप मंत्री, जल सम्पूर्ति, श्री सत्य प्रकाश ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पूर्व नगरपालिका ने शासन से कोई स्वीकृति प्राप्त की थी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सम्बन्ध में स्थानीय निकाय निर्णय लेने के लिये सक्षम हैं । शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दीप नारायन (जिला गोंडा)--

क्या किसी राजनैतिक दबाव के कारण उसको रोक दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है, मैं अनुमति नहीं देता ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह टिप्पणी क्या है, कृपया पढ़कर बता दें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह जो पत्रावली में है, उसको मैं सदन में बताना उचित नहीं समझता।

श्री ऊदल—

नगरपालिका ने आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था और ५० हजार रुपये भी खर्च किये गये और उसके बाद एक उप मंत्री के कहने पर उस स्थान पर दूसरी मूर्ति लगा दी गयी, जबकि स्थान और हो सकते थे, तो मैं सरकार के इस अक्षमतापूर्ण कार्य के लिये और पक्षपातपूर्ण कार्य के लिये सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री ऊदल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, गोपनीयता के लिये व्यवस्था है कि केवल राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में वह हो सकती है, तो इसमें तो सुरक्षा जैसी चीज कोई है नहीं?

श्री अध्यक्ष—

कैबिनेट की क्या प्रोसीडिंग हैं, सचिव का क्या नोट है, डिप्टी मिनिस्टर का क्या नोट है, तो फाइल के नोट के लिये कोई मंत्री बाध्य नहीं हैं। निष्कर्ष, जो है वह आपको बतला सकते हैं। मुझे तो आश्चर्य है आप तो स्वयं शासन में रहे हैं। मंत्री जी का नोट है और नोट को पढ़ने के लिये कोई मंत्री बाध्य नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि मंत्री जी बताने में असमर्थ रहे हैं कि आया उस टिप्पणी में स्पष्टतौर से लिखा है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी की जगह पर दीन दयाल जी की मूर्ति लगायी जाय या और किसी जगह पर यह मूर्ति लगाने की बात थी, तो यह दोनों बातें बताने में मंत्री जी असमर्थ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका स्पष्ट प्रश्न है कि जब आपने उप मंत्री जी का नाम लिया, तो उनका क्या सुझाव है। नोट की आवश्यकता नहीं है। क्या उनका सुझाव यह है कि वहां पर श्री दीन दयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित की जाय, क्या इस प्रकार का सुझाव है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, उप मंत्री जी की जो टिप्पणी थी, उसमें स्पष्ट इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था। केवल सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये नगरपालिका के पास भेज दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों में कुछ भ्रम पैदा हो गया है। क्योंकि दो बड़े नेताओं की दुहाई दी जा रही है, तो जहां पर दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाये जाने की बात है, तो वह स्थान नगर पालिका के भवन के सामने है और जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी के स्मारक के निर्माण का प्रश्न है वह स्थान पार्क से सम्बन्धित है। वह स्थान अलग-अलग हैं।

*२—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[दिनांक १३-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४३ द्वारा उत्तरित]

[२० अप्रैल, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

एम० बी०, बी० एस० की परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*१—श्री नरेश चन्द्र (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एम० बी०, बी० एस० कक्षाओं में प्रवेश हेतु होने वाली आगामी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रखा जाएगा ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री कल्याण सिंह—

यह विषय शासन के विचाराधीन है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के कतिपय विद्युत् वितरण खंडों द्वारा सामान की खरीद

*२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कार्यादेशों के माध्यम से भण्डार का क्रय जनवरी, १९७३ में मना कर दिया गया था ? यदि हां, तो अप्रैल, १९७४ से मार्च, १९७६ तक विद्युत् वितरण खण्ड इलाहाबाद, गोरखपुर, अल्मोड़ा तथा लखनऊ में भारी मात्रा में खरीदा गया और इस अवधि में कितने-कितने रुपए का माल खरीदा गया ?

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

जी हां । जनवरी, १९७३ में विद्युत् परिषद् ने अपने आदेश संख्या ४०/सी० ए० ओ० ई० ए० (सी०) 2/रेविय् ७१, दिनांक १७-१-७३ के द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये थे ।

अप्रैल, १९७४ से मार्च, १९७६ तक प्रश्नगत विद्युत् वितरण खण्डों द्वारा कार्यादेशों के माध्यम से खरीदे गये सामान का ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

विद्युत् वितरण खण्ड का नाम	खरीदे गये सामान का मूल्य रुपयों में
गोरखपुर	शून्य
अल्मोड़ा	१७,१००.००
लखनऊ	१,३२५.००
इलाहाबाद	६३,२५२.००

विद्युत् के तारों के स्पर्शाघात से सीतापुर जिले में मृतकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

*३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में ३१ अक्तूबर तक सीतापुर जिले में बिजली का तार छू जाने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ? क्या उनके आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

विद्युत् के तारों के स्पर्शाघात के फलस्वरूप पांच लोगों की मृत्यु हुई। एक मृतक, श्री राम कुमार के आश्रितों को रुपये पांच हजार, दूसरे मृतक, श्री राजेन्द्र प्रसाद के आश्रितों को रुपये तीन हजार तथा तीसरे, चौथे व पांचवें क्रमशः सर्वश्री सुमेर, काली चरन एवं श्रीमती कुट्टनी के आश्रितों को अन्तरिम रूप से रुपये एक-एक हजार की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इन सभी मामलों में अब पांच हजार रुपये तक की क्षति पूर्ति करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अचानक बीमार हो गये हैं और उन्होंने प्रार्थना की है कि वह सदन में आने में असमर्थ हैं। इसलिये नियम ३५ के अन्तर्गत मैंने इस प्रश्न को तथा उनके अन्य प्रश्नों को स्थगित कर दिया है, उनके अनुरोध पर।

लखनऊ नगर के श्रम निरीक्षकों का कार्यकाल

*४--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने श्रम निरीक्षक इस समय तैनात हैं। इनमें से कितनों को किसी भी क्षेत्र में तैनात नहीं किया गया है? तथा कितने निरीक्षक ऐसे हैं जो गत ४ वर्षों की अवधि से लखनऊ में सेवारत हैं? क्या इनको तीन साल की अधिक अवधि से स्थानान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

इस समय लखनऊ नगर में ११ श्रम निरीक्षक तैनात हैं। यह सभी श्रम निरीक्षक किसी न किसी क्षेत्र में तैनात हैं। इनमें से तीन श्रम निरीक्षक ऐसे हैं जो गत चार वर्षों से अधिक समय से लखनऊ में तैनात हैं। इन श्रम निरीक्षकों में से एक श्रम निरीक्षक को उनकी स्वयं की पारिवारिक समस्याओं सम्बन्धी प्रार्थना के आधार पर तथा शेष २ को प्रशासनिक व जनहित में लखनऊ से स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या ५ का भी उत्तर साथ दे दीजिये।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

मान्यवर मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जनहित और प्रशासनिक परिस्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी या कुछ बदली है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि जनहित में, तो इस सम्बन्ध में वह पूछ रहे हैं कि क्या जनहित है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जनहित और प्रशासनिक दृष्टि से अब उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत दिनांक १५ सितम्बर, १९७७, २५ सितम्बर, १९७७ को भेजी हुई, प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त आरोपों की जांच किसके द्वारा करवाई गई? क्या उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया? यदि नहीं, तो ७ वर्ष से अधिक समय तक एक स्थान पर उन्हें रखने का कारण क्या है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ के विरुद्ध दिनांक १५ सितम्बर, १९७७ को कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। केवल एक शिकायती-पत्र दिनांक २५ सितम्बर, १९७७ का श्री राम लखन, संसद सदस्य तथा सर्वश्री दयाराम, राम लखन, मन्ना लाल तथा गिरीश चन्द्र तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त हुआ था। इस शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच श्री हरि मोहन मिश्र, अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा करवायी गयी। जांच के फलस्वरूप कोई ऐसा विशेष आधार नहीं पाया गया जिसके कारण क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ के स्थानान्तरण का औचित्य बनता हो। उक्त सहायक श्रमायुक्त १९ जुलाई, १९७१ से विभिन्न पदों जैसे क्षेत्रीय प्रादेशिक संराधन अधिकारी, क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त तथा उप श्रमायुक्त के पदों पर लखनऊ क्षेत्र में कार्यरत रहे। उनकी कार्यक्षमता तथा प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानान्तरण अन्यत्र नहीं किया गया। श्री गिरीश चन्द्र तिवारी ने अपनी शिकायतें वापस ले लीं।

मुहल्ला नगरा, झांसी में पानी की टंकी के त्रुटिपूर्ण निर्माण की जांच रिपोर्ट

*६—श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 जनवरी, १९७७ को मुहल्ला नगरा, झांसी में बनी टंकी पानी भरने पर ही गिर पड़ी थी? उक्त टंकी के गिरने का क्या कारण था और उक्त टंकी का डिजाइन स्वीकार करने और भूमि का निर्णय करने जुलाई, १९७५ तक उक्त टंकी के निर्माण की देख-रेख करने वाले सहायक इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेन्डेंट इंजीनियर कौन-कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, टंकी गिरने के कारणों की जांच करने के लिये शासन द्वारा एक जांच-समिति का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

टंकी की डिजाइन स्वीकार करने, भूमि का निर्णय करने तथा जुलाई, १९७५ तक उक्त टंकी के निर्माण की देख-रेख करने वाले अभियन्ताओं के नाम संलग्न सूची में दे दिये गये हैं। जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय होने के बाद दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६१ पर।)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

मान्यवर, उक्त टंकी गिरने के सम्बन्ध में विभागीय जांच हुई, तो क्या कोई अधिकारी, इंजीनियर आदि मुअत्तल किये गये हैं? यदि हां, तो सूची में दिये गये हैं, उनमें से किन-किन को मुअत्तल किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसमें सूची में ३ अधिशासी अभियन्ताओं के नाम हैं । श्री शरद कुमार सिंह, श्री जयंत अनंत जोशी । तो इस सम्बन्ध में जो पहले जांच कराई जा रही थी, उसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि पहले अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच कराई जा रही थी । शासन ने १६ मई, १९७७ को एक जांच आयोग गठित किया है, जिसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि २० मार्च को रिपोर्ट मिली है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, वह की जायगी ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच रिपोर्ट पर सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक माह के अन्दर ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि मंत्री जी को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और किन-किन अधिकारियों के विषय में हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसमें मैंने कहा कि एक माह के अन्दर परीक्षण करने के बाद शासन निर्णय कर लेगा, तो इस वक्त क्या जांच रिपोर्ट है, वह बताना जनहित में उचित नहीं है ।

(श्री कल्पनाथ सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की जांच जब तक नहीं होगी तब तक मुख्य बात..

श्री कल्पनाथ सिंह--

रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेंगे एक अलग सवाल है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शासन क्या निर्णय लेगा, लेकिन रिपोर्ट क्या प्राप्त हुई है, जिस पर शासन विचार कर रहा है, यह बताना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि चूंकि आख्या प्राप्त हो गयी है और उसका परीक्षण किया जा रहा है और एक माह के अन्दर उस में निर्णय ले लेंगे, जन-हित में मान्यवर, उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताना ठीक नहीं है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर टंकिया गलत बनने, गलत जगह पर बनने की शिकायत है । इसलिए क्या ऐसा कोई अग्रिम आदेश मंत्री जी देंगे जिससे जन-धन की हानि को बचाया जा सके ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न व्यापक है और प्रश्न केवल झांसी तक सीमित है । इसलिए इससे निकलता नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि इस टंकी का निर्माण कब शुरू हुआ और इसके बनने में कितना रुपया लगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, टंकी का निर्माण वर्ष १९७५ के अंत तक पूरा हो गया था और....।

श्री अध्यक्ष--

कितना रुपया लगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टंकी के समय से पहले नष्ट हो जाने पर प्राइमा-फेसी केस तो उनके खिलाफ बन ही जाता है, जो लोग जिम्मेदार थे । तो कोई उनके खिलाफ अन्तरिम कार्यवाही की गयी, सस्पेन्ड किया, जवाब तलब किया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि पहले अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता....।

श्री अध्यक्ष--

आपका सवाल यह है कि आपने कोई अन्तरिम कार्यवाही की....।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अन्तरिम कार्यवाही नहीं की ।

(प्रश्न संख्या ७ को लेने पर)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का प्रश्न है । बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मुझे भी इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आपका क्षेत्र तो जालौन है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

जी हां, बुन्देलखंड में यह घटना घटी है। (आज्ञा मिलने पर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो टंकी पानी भरने से २६ जनवरी, १९७७ को गिरी है यह पिलर से गिरी या फटने से। दूसरी बात यह है कि अगर यह पिलर से गिरी है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि जिन इंजीनियरों ने पहले डिजाइन बनाया था वह डिजाइन स्वायत्त शासन विभाग के रिकर्ड से गायब है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, शासन का जो डिजाइन था, उसके सम्बन्ध में कोई कागज गायब होने की सूचना नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, इसका उत्तर नहीं दिया गया कि पिलर से गिरी या पानी भरने से फट गयी, क्योंकि पिलर से गिरी, तो इंजीनियर जिम्मेदार होता है, जिसने पिलर बनाया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

शासन को जो सूचना प्राप्त हुई थी, वह टंकी ध्वस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी . . .।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना है कि पिलर गिरा या टंकी फटी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, टंकी ध्वस्त हो गयी बाकी चीजें तो डिटेल की हैं।

जल निगम द्वारा मारुति लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली से पोलीमिक्स की खरीद

*७—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने मारुति लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली से लाखों रुपया का पोलिमिक्स १९७५-७६ और १९७६-७७ में खरीदा है ? क्या इसके टेन्डर मांगे गए थे, क्या यह सही है कि उक्त पोलिमिक्स को हानिकारक बनाया गया है, इसी कारण उसका इस्तेमाल करना रोक दिया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्न का प्रथम भाग

केवल वर्ष १९७६-७७ में जल निगम द्वारा लगभग ११,००० रु० मूल्य का ५ कुन्टल पोलिमिक्स मारुती लिमिटेड से प्रयोगात्मक आधार पर झांसी बबीना जलकल के लिये खरीदा गया था और इस धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न का द्वितीय भाग

जी नहीं, उक्त फर्म से कोटेशन मांगा गया था।

प्रश्न का तृतीय भाग

जी नहीं, इसका प्रयोग करने के लिये इन्डस्ट्रियल टैक्सकोलोजी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ से उसकी मात्रा (डोज) निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जल निगम के अध्यक्ष ने इस मारुति लि० से पोलिमिक्स खरीदने के लिये महापालिका कानपुर और जल संस्थान, झांसी को आदेश दिये थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

शासन के पास १८ अक्तूबर को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसे तत्कालीन मुख्य मन्त्री के उप सचिव, श्री निरोतीलाल गुप्त ने प्रेषित किया था । उसमें इस मारुति लि० से सम्बन्ध स्थापित करने की चर्चा की गयी थी ।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह था क्या जल निगम के अध्यक्ष ने इस तरह के आदेश प्रसारित किये थे कि प्रदेश की नगरपालिकायें मारुति लिमिटेड से पोलिमिक्स खरीदें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मूल प्रश्न पोलिमिक्स के सम्बन्ध में है । मैंने निवेदन किया कि जल निगम के अध्यक्ष की ओर से ऐसे किसी पत्र के जाने की चर्चा नहीं है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

बबीना के लिये जो माल खरीदा गया उसमें ११ हजार रुपये के पेमेंट को न करने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई लिहाजा यह आदेश दिये गये कि जो पेमेंट करना है वह फिलहाल रोक दिया जाय ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की बोआई व सिंचाई में विद्युत की कटौती

*८--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २८ नवम्बर, १९७७ से देहाती क्षेत्रों को पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बांट कर सात घंटे की दिन में पांच से बारह बजे तथा बारह से सात बजे तक इस रबी की बोआई एवं सिंचाई के मौके पर विद्युत् कटौती राज्य परिषद्, उत्तर प्रदेश ने कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

विद्युत् उत्पादन तथा मांग के बीच अधिक अन्तर होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत् कटौती करनी पड़ी। रबी की बोआई एवं सिंचाई को ध्यान में रखते हुये तथा विद्युत् आपूर्ति निश्चित आधार पर करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती मात्र सात घंटे की गई। हरदुआगंज तापीय विद्युत् गृह की दो मशीनें (कुल १२० मे० वा०) को २०-११-७७ को दुर्भाग्यवश घटना में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की कटौती सात घंटे प्रतिदिन की ही रहने दी गई।

फैजाबाद, सरयू नदी में अयोध्या के नालों का गिरना

*९—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नदी में पूरे अयोध्या क्षेत्र में १० गन्दे नाले गिरते हैं ? यदि हां, तो उक्त गन्दे नालों को सरजू नदी में अयोध्या क्षेत्र, जिला फैजाबाद में गिरने से रोकने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है या करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सम्पूर्ण अयोध्या क्षेत्र में लगभग १० छोटे-बड़े नाले एवं कुछ मोहल्लों की गंदी नालियां सरयू नदी में गिरती हैं। उक्त नालों को नदी में गिरने से रोकने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गई है और न किसी योजना पर विचार किया जा रहा है।

श्री ऊदल—

प्रदूषण को रोकने के लिये क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके लिये १ करोड़ रुपये की लागत आयेगी और अयोध्या तथा फैजाबाद नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि एक करोड़ रुपया वह व्यय कर सकें।

श्री ऊदल—

क्या सरकार ने अयोध्या को भी नगरपालिका घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार सरयू की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए दो तीन चरणों में क्या कोई इस तरह की योजना बनायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह सही है कि अयोध्या अलग से नगरपालिका घोषित हो चुकी है। माननीय ऊदल जी का जो सुझाव है उस पर विचार किया जायगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

मंत्री महोदय ने यह माना है कि १० गन्दे नाले सरयू में गिरते हैं, जिससे पानी वहां दूषित हो रहा है, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है ताकि नदियों का पानी दूषित न हो ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सरयू नदी में गन्दे नालों का पानी जाने से पानी दूषित हो रहा है या नहीं इसके सम्बन्ध में शासन के पास कोई सूचना नहीं है। हां इसके लिए विशेषज्ञ से पूछना पड़ेगा लेकिन यह सही है कि जहां-जहां से प्रदेश भर में यह शिकायत आती है प्रदूषण को रोकने के लिये प्रशासनिक विभाग कार्यवाही करता है।

श्री जयशंकर पान्डेय (जिला फैजाबाद)---

क्या सरयू नदी के जल की कोई रासायनिक जांच कराई गयी है कि इसकी गंदगी का क्या परसेन्टेज है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो सूचना इस समय उपलब्ध है उसके हिसाब से कोई जांच नहीं कराई गई।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कोई प्रदेश स्तर का प्रदूषण बोर्ड इसकी जांच कर रहा है या केन्द्रीय प्रदूषण विभाग इसकी जांच कर रहा है ? केन्द्रीय प्रदूषण विभाग ने एक योजना दी है कि जो-जो नदियां प्रदेश के मुख्य नगरों में हैं, उनमें जो गंदा पानी मिलता है, उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है, उस पर शासन विचार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, एक सेन्ट्रल पाल्यूशन बोर्ड है, प्रदेश में भी प्रदूषण बोर्ड है। इस सम्बन्ध में जो स्पेसिफिक प्रश्न है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, सरयू नदी का धार्मिक महत्व है जिस पर चैत्र में रामनवमी के अवसर पर देश के कोने-कोने से भीड़ आती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी सरयू के पानी की वैज्ञानिक जांच करायेंगे कि उसमें प्रदूषण है या नहीं और उसे दूर करने का आश्वासन देंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, जांच करा ली जायेगी।

*१०---श्री देव कुमार--

[दिनांक ३०-३-७८ को अतरांकित प्रश्न संख्या १६ द्वारा उत्तरित]।

खीरी जिले के ओयल व खीरी टाउन में बिजली की रोस्टरिंग

*११---श्री नरेश चन्द्र--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब पद खीरी के ओयल व खीरी टाउन में बिजली की बारह घंटे की रोस्टरिंग की जाती है जबकि शासन का निर्णय पांच घंटे की रोस्टरिंग का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१ नवम्बर, १९७७ से १२ मार्च, १९७८ तक खीरी जनपद के ओयल व खीरी टाउन में अधिक से अधिक लगभग ११ घंटे १५ मिनट से लेकर १८ घन्टे ४० मिनट तक रोस्टरिंग की जाती रही है। १३ मार्च, १९७८ से अब तक कोई रोस्टरिंग नहीं की जा रही है।

शासन के निर्णयानुसार १ नवम्बर, १९७७ से १२ मार्च, १९७८ के बीच विभिन्न अवधि में रोस्टरिंग का समय अलग-अलग निर्धारित था जो निम्नवत है :—

समय	रोस्टरिंग के घंटे
१-११-७७ से २२-१-७८ तक	७ घन्टे
२३-१-७८ से २८-२-७८ तक	१२ १/२ घंटे
१-३-७८ से १२-३-७८ तक	७ घन्टे

परन्तु समय-समय पर आपातस्थिति हो जाने के कारण अधिक बिजली बन्द रही।

*१२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[६ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल व कुमायूं मन्डल के विद्युत् खन्डों में जूनियर इन्जीनियर के पद एवं नियुक्ति

*१३—शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ को गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के विभिन्न विद्युत् खंडों में जूनियर इंजीनियरों के जो पद सृजित किए गए थे उनमें से १ दिसम्बर, १९७७ तक कितने पद भर दिये गए थे और उनमें से कितने पद इस तिथि को रिक्त रह गए तथा उनको भरने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ के मध्य गढ़वाल व कुमायूं मन्डलों में विभिन्न विद्युत् खन्डों में अवर अभियन्ताओं के कुल २५८ पद सृजित थे, जिनमें से १ दिसम्बर, १९७७ तक २१७ पद भरे जा चुके थे। शेष ४१ रिक्त पदों में ३१ पदों की नियुक्तियां और की जा चुकी है। अन्य १० पद अभी रिक्त हैं जिन पर उक्त क्षेत्र के परिचालन वर्ग कर्मचारियों द्वारा दिये गये परीक्षा के परिणाम के घोषित हो जाने के उपरान्त सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद के मुख्य लिपिक का स्थानान्तरण

*१४—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय के मुख्य लिपिक का स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों के आधार पर तथा संयुक्त निदेशक, इलाहाबाद मन्डल की संस्तुति पर किए जाने के बावजूद अभी हाल ही में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? मुख्य लिपिक के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं और क्या उनकी जांच कराई गई थी ?

श्री कल्याण सिंह—

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय के मुख्य लिपिक के विरुद्ध चरित्रहीनता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें कतिपय व्यक्तियों द्वारा की गई थी। शिकायतों को कोई विशिष्ट आधार तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने पते इंगित न किये जाने के कारण संयुक्त निदेशक, इलाहाबाद मंडल द्वारा विस्तृत जांच सम्भव न हो सकी। यथापि मुख्य लिपिक का स्थानान्तरण कर दिया गया था किन्तु पुनर्विचारोपरान्त प्रशासकीय दृष्टिकोण से उसे निरस्त कर दिया गया।

फैजाबाद में स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

*१५—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद के मुख्यालय पर खेलकूद के लिए एक स्टेडियम बनाने की स्वीकृति वर्षों पूर्व हो चुकी है और उस मद में एक भारी धनराशि भी जमा है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस कार्य को पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। नगर के अन्दर आवश्यक उपयुक्त भूमि प्रयास करने पर भी उपलब्ध न हो पाने के कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है।

नरही बाजार, लखनऊ में वेल्डिंग वर्कशाप

*१६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि नरही बाजार, लखनऊ के सड़क के फुटपाथ पर अधिकांश वेल्डिंग वर्कशाप अनधिकृत रूप से रात्रि में चलते हैं, जिससे स्थानीय जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है तथा आने-जाने वाले चकाचौंध के कारण दुर्घटना के शिकार होते-होते बचते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं, नरही बाजार में वेल्डिंग वर्कशाप दुकानों में ही निर्धारित घन्टों में वेल्डिंग का कार्य करते हैं। प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों, नगरपालिका तथा टाउन एरिया के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*१७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का ३६ प्रतिशत प्राप्त होने वाला अतिरिक्त महंगाई भत्ता नगर पालिका तथा

टाउन एरिया के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका तथा टाउन एरिया के कर्मचारियों को भी ३६ प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रदेश में सभी स्थानीय निकायों जिनमें नगरपालिका तथा टाउन एरिया शामिल है के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चिकित्सालयों की स्थापना

*१८—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में नए सरकारी चिकित्सालयों को खोलते समय प्रदेश के हर जिले में कार्यरत सरकारी चिकित्सालयों की संख्या तथा उन जिलों की जन संख्या और पिछड़ेपन का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या भविष्य में नए चिकित्सालयों को खोलते समय सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी और स्वास्थ्य सेवा के मामले में पिछड़े क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने में प्राथमिकता की नीति अपनाएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । इसी आधार पर कैलेन्डर वर्ष १९७७ में [१ जनवरी, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक] खोले गये चिकित्सालयों का विवरण निम्नांकित है :—

होम्योपैथिक	.. ३६
आयुर्वेदिक	.. ४९
यूनानी	.. ४
एलोपैथिक	.. कोई नहीं ।

जी हां ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नये अस्पताल किन जिलों में किन-किन स्थानों में खोले गये हैं और उन जिलों में एक अस्पताल पर कितनी आबादी का औसत पड़ता था और इन अस्पतालों के खुलने के बाद अब कितनी औसत आबादी का भार पड़ेगा ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, एक जनवरी, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक खोले गये विभिन्न ३५ जिलों के चिकित्सालयों का विवरण निम्नलिखित है :

जिले का नाम	होम्योपैथिक	यूनानी	आयुर्वेदिक
१	२	३	४
सीतापुर	४	१	—
लखनऊ	२	—	—

१	२	३	४
बांदा	६	—	—
बरेली	३	—	—
एटा	३	—	—
हमीरपुर	४	—	—
सुल्तानपुर	१	—	2
उन्नाव	१	—	—
फर्रुखाबाद	१	—	१
खीरी	१	—	—
कानपुर	१	—	१
जौनपुर	२	—	२
फतेहपुर	१	—	—
देवरिया	३	—	३
बिजनौर	१	१	—
आजमगढ़	१	—	१
वाराणसी	१	—	३
बाराबंकी	—	१	—
प्रतापगढ़	—	१	—
बलिया	—	—	१
मेरठ	—	—	१
गाजीपुर	—	—	५
फैजाबाद	—	—	—

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत लम्बा हो गया है, अब आप रोकिये ।

श्री कल्याण सिंह—

जब आपने आज्ञा दी है, तो पढ़ रहा हूं, अभी तो सूची और लम्बी है ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जिन जिलों में ये नये अस्पताल खोले गये हैं, उनमें कितनी आबादी का औसत पहले पड़ता था और अब खोलने के बाद कितना पड़ता है ?

श्री कल्याण सिंह--

यह तो विवरण की बात रही, वैसे हमारा मापदण्ड यह है कि जो क्षेत्र मेडिकल फैसलटीज के हिसाब से पिछड़ रहा है, वहां दे रहे हैं। जिलों की जो सूची मैं दे रहा था, उसमें आप देखें कि ये जिले प्राथमिकता के आधार पर लिए गये हैं, जहां पहले से फैसिलिटीज कम थी और आगे भी इसी सिद्धान्त पर चलने वाले हैं हम। हम उनकी पापुलेशन देख रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं और मेडिकल फेसिलीज की उपलब्धता देख रहे हैं। यह नहीं देख रहे हैं कि किस विधायक का क्षेत्र है और वह किस पार्टी का है, क्योंकि पेशेन्ट की कोई पार्टी नहीं होती है उसको तो दवाएं चाहिए।

ओबरा ताप विद्युत् गृह का क्षतिग्रस्त जेनरेटर

*१९--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, १९७६ से ओबरा ताप विद्युत् गृह की एक ५० मेगावाट की मशीन जिसको लगाने में कुल खर्च लगभग १७ करोड़ रुपया हुआ, जलने के कारण सितम्बर, १९७७ से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो उसके जलने की जांच किन अधिकारियों से कराई गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सितम्बर, १९७६ में ओबरा ताप विद्युत् गृह का ५० मेगावाट का जेनरेटर शार्ट सर्किट होने के कारण खराब हो गया था और तब से अब तक खराब है। क्षतिग्रस्त जेनरेटर की लागत लगभग २१ लाख रुपये थी।

इसके क्षतिग्रस्त होने की जांच सितम्बर, १९७६ में निम्नलिखित अधिकारियों की जांच समिति द्वारा प्रारम्भ कराई गई थी :

१--श्री आर० एन० श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ओबरा ताप विद्युत गृह।

२--श्री माता प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, ४०० के वी० सब स्टेशन डिजाइन मंडल, लखनऊ।

३--श्री बी० पी० गर्ग, तत्कलीन अधिशासी अभियन्ता, ओबरा ताप विद्युत् गृह।

*२०--श्री देव कुमार--

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२१--श्री राम सजीवन--

[दिनांक ३०-३-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २१ द्वारा उत्तरित]।

फैजाबाद, बीकापुर तहसील के जिला परिषद् चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

*२२--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा संचालित चिकित्सालयों को राजकीय

चिकित्सालय बनाने पर विचार किया जा रहा है ? और क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र, दिनांक ३० दिसम्बर, १९७७ चिकित्सा मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद से मांगे गए उक्त चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के प्रस्ताव एवं संकल्प निर्धारित प्रारूप पर जब तक नहीं प्राप्त हो जाते हैं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री श्रीराम द्विवेदी—

जिन चिकित्सालयों की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि वहां पर मरहम या किसी प्रकार की कोई दवा नहीं है, तो क्या वह इन चिकित्सालयों को अपने नियन्त्रण म रखकर दवाओं का उचित प्रबन्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वह दे चुके हैं, जब तक ठीक प्रारूप में नहीं आएगा, नहीं करेंगे वह ।

विद्युत् वितरण खंड, शाहजहांपुर का विशेष आडिट

*२३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताएगी कि विद्युत् वितरण खण्ड, शाहजहांपुर का विशेष आडिट विभाग द्वारा दिसम्बर, सन् १९७७ में किया गया है ? क्या यह सही है कि उसमें उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन पर करीब ५ लाख रुपए दुरुपयोग एवं गबन के तथ्य प्रकाश में आए हैं ? यदि हां, तो अब तक किन-किन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विद्युत् वितरण खण्ड शाहजहांपुर का विशेष आडिट विभाग द्वारा २६-१०-७७ से २१-१२-७७ तक किया गया । आडिट द्वारा अधिशासी अभियंता एवं उप खंड अधिकारी द्वारा केवल अनियमित माल के क्रय आदेश के मामले पाये गये हैं । यह मामला माल के दुरुपयोग एवं गबन से सम्बन्धित नहीं है । यह मामला केवल क्रय सम्बन्धी अनियमितताओं व निर्धारित प्रक्रिया के उल्लेख से सम्बन्ध रखता है । सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, स्पष्टीकरण पर विचार करके उचित कार्यवाही की जायगी ।

आर० एस० स्टील वर्क्स, बरेली पर बकाया विद्युत् शुल्क

*२४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताएगी कि वर्ष १९७७ तक आर० एस० स्टील वर्क्स, बरेली पर विद्युत् बकाया की धनराशि कई लाख रुपए है ? यदि हां, तो कितना और इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष १९७७ के अन्त तक आर० एस० स्टील वर्क्स, बरेली पर केवल रुपया ३७,१७१·८३ बकाया था ।

इसमें रु० १७,१२७·०६ की धनराशि अधिक भार के मोटर लगाने के कारण थी । जब रु० १७,१२७·०६ की वसूली के लिए कार्यवाही की गई तो उपभोक्ता मामले को बरेली न्यायालय में १९७४ में ले गया । उक्त न्यायालय ने मामले को १–४–७८ को विद्युत् परिषद् के हित में खारिज कर दिया है । अतः रु० १७,१२७·०६ की वसूली पर अब कार्यवाही की जा रही है । शेष धनराशि रु० २०,०४४·७७ बकाया की वसूली उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर होने के कारण सम्भव नहीं है और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में मारपीट की घटना

*२५—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि हजरतगंज, लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल में दिनांक ७ जनवरी, १९७८ को मरीजों के परिवार के लोगों एवं अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बीच व्यापक झगड़ा हुआ था ? क्या इस सम्बन्ध में नवयुवक जनता संघ, लखनऊ का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ जिसमें जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई थी ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गई और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, उक्त घटना के सम्बन्ध में नवयुवक जनता संघ, लखनऊ का ज्ञापन प्राप्त हुआ था । इसकी जांच वरिष्ठ अधीक्षक, सिविल अस्पताल, लखनऊ से कराई जा रही है । उक्त घटना के विषय में रिपोर्ट हजरतगंज थाना लखनऊ में भी दर्ज है जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है ।

श्री राम सजीवन—

यह विवेचना कब तक पूरी हो जाएगी और क्या वह इसमें शीघ्रता कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

जहां तक विभागीय जांच का प्रश्न है, हमारा प्रयास होगा कि यह शीघ्रता से पूरी की जाए, लेकिन जिस मामले की पुलिस तफतीश कर रही होगी, वह उसमें जल्दी करेंगे यह उनका प्रश्न है ।

श्री राम सजीवन—

क्या मंत्री जी इन दोनों विभागों से, पुलिस विभाग व मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क करके, जल्दी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

हमारी अपेक्षा है कि पुलिस विभाग भी इसमें शीघ्रता से कार्यवाही करेगा ।

फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*२६ —श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर में एक राजकीय महिला चिकित्सालय का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

टाउन एरिया कमेटी, स्याना, बुलन्दशहर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*२७—श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने दिनांक ३० सितम्बर, १९७७ को भंग टाउन एरिया कमेटी, स्याना, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या जांच रपट और उस पर की गई कार्यवाही सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां । आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है । अभी जांच पूरी नहीं हुई है अतः जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के डाक्टर विहीन चिकित्सालय

*२८—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जनपद सीतापुर में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय हैं, जिनमें डाक्टरों का कोई व्यवस्था नहीं है ? सरकार इन अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति हेतु क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

इस समय जनपद सीतापुर में केवल ६ एलोपैथिक चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं । उक्त पदों को भरने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद रिक्त नहीं हैं ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

9146

झांसी में पानी की टंकी के त्रुटिपूर्ण निर्माण की जांच रिपोर्ट

*२९—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झांसी में जल निगम द्वारा पेयजल की टंकी २६ जनवरी, १९७७ को पहली ही बार पानी भरने में टूट कर गिर गई और उस पर कोई जांच शासन की ओर से बैठाई गई थी जिसकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में क्या-क्या बातें प्रकाश में आई हैं और अब तक उनके प्रसंग में शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, जांच रिपोर्ट पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है और उस पर निर्णय होने के बाद मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

भिंडिया टोला, बड़ा चांदगंज, लखनऊ में कथित विधवा की गिराई गई मकान की दीवार

*३०—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भिंडिया टोला, बड़ा चांदगंज, लखनऊ निवासिनी किसी विधवा के मकान की दीवार १९ सितम्बर, १९७७ को नगरमहापालिका द्वारा गिरवा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उस विधवा को अनियमित एवं अवैधानिक रूप से गिराए गए भवन की दीवारों का प्रतिकर देगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं । प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

हृदयरोग संस्थान, कानपुर के लिए निदेशक के पद के सृजन की मांग

*३१—श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हृदयरोग संस्थान, कानपुर में एक स्वतन्त्र निदेशक का पद गठन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

इस तरह का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

स्वदेशी काटन मिल, जे० के० मैनुफैक्चरर्स तथा जे० के० इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर की बन्दी

*३२—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्वदेशी काटन मिल, जे० के० मैनुफैक्चरर्स तथा इलेक्ट्रानिक्स गत तीन मास से बन्द है ? यदि हां, तो किन कारणों से एवं क्या सरकार ने इन मिलों को चलवाने का प्रयास किया तथा बेकार श्रमिकों को कोई व्यवस्था की ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मेसर्स जे० के० मैन्युफैक्चरर्स लि०, कानपुर, दिनांक १ अक्तूबर, १९७६ से बन्द है। मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर में दिनांक ६-१२-७७ से १२-३-७८ तक तालाबन्दी रही तथा मेसर्स जे० के० इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर, दिनांक १८ सितम्बर, १९७७ से बन्द कर दिया गया है।

मेसर्स जे० के० मैन्युफैक्चरर्स लि०, कानपुर के सेवायोजकों ने आर्थिक कठिनाइयों तथा घाटा होने के कारण मिल को १-१०-७६ से बन्द करने की अनुमति शासन से मांगी थी जिसे शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भी सेवायोजकों ने मिल को १-१०-७६ से बन्द कर दिया। इस अवैधानिक तरीके से मिल को बन्द करने के आरोप पर प्रबन्धकों के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, कानपुर के न्यायालय में प्राभियोजन दायर कर दिया गया है परन्तु प्रबन्धकों ने इस प्राभियोजन के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल रिवीजन दायर करके आस्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। मिल को बन्द करने की स्वीकृति शासन द्वारा न दिए जाने के विरोध में भी प्रबन्धकों ने रिट याचिका दायर की है। इस मिल को पुनः चालू कराने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं शासन स्तर पर कई बार मीटिंगें की गई और सेवायोजकों से भी बात की गई, मगर कोई सफलता नहीं मिली। सेवायोजकों का कहना है कि मिल को चालू कराने के लिए भारी मात्रा में "वर्किंग कैपीटल" की आवश्यकता होगी। प्रतिष्ठान को बैंक से ऋण दिलाने का प्रयास भी सफल नहीं हो सका है। मिल को अधिग्रहण करने हेतु भारत सरकार से बार-बार अनुरोध किया जा चुका है।

मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं०, कानपुर में वेतन का समय से भुगतान न किए जाने तथा कई पक्षों का वेतन बकाए के रूप में रखने के कारण श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त हो गया था। दिनांक ६-१२-७७ को श्रमिकों ने हिंसात्मक कार्यवाही की और मिल के दो अधिकारियों की हत्या कर दी। शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण प्रबन्धकों ने उसी दिन तालाबन्दी घोषित कर दी। यह तालाबन्दी दिनांक १३-३-७८ से उठा ली गई है। परन्तु श्रमिक कार्य पर नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा इस मिल का अब अधिग्रहण कर लिया गया है।

मेसर्स जे० के० इलेक्ट्रानिक्स घाटे में चलने के कारण दिनांक १८-९-७७ से बन्द कर दिया गया है। सेवायोजकों के अनुसार मिल को गत तीन वर्षों से घाटा हो रहा था। इस कारखाने की बन्दी के सम्बन्ध में सेवायोजकों तथा श्रमिक प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक ७-१२-७७ को एक समझौता हो गया था जिसके अनुसार श्रमिकों को प्रतिकर व एक्स ग्रेशिया का भुगतान किए जाने की बात तय हो गई थी। अतः इस मामले में अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है और मिल के बन्द होने में श्रमिकों को कोई आपत्ति नहीं है।

३३—श्री हुकम सिंह परिहार—

[६ठें गुरुवार के लिए स्थगित]

परिवार कल्याण विभाग के प्रसार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची एवं अनुसूचित जाति का कोटा

३४—श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रसार शिक्षकों की कोई वरिष्ठता सूची बनी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को उनकी ज्येष्ठता के आधार पर प्रसार शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है और क्या इसमें अनुसूचित जाति के कोटे की पूर्ति की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं, वरिष्ठता सूची बनायी जा रही है ।

चूंकि वरिष्ठता सूची अभी तक नहीं बन पायी है अतः विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को उनकी ज्येष्ठता के आधार पर प्रसार शिक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है । वरिष्ठता सूची बन जाने पर अनुसूचित जाति के कोटे की पूर्ति करने पर विचार किया जायगा ।

*३५-३६—श्री प्रदीप कुमार बजाज—

[दिनांक ३०-३-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५५ द्वारा उत्तरित]

*३७—श्री राजकुमार शर्मा—

[६ठें गुरुवार के लिए स्थगित]

*३८—श्री रवीन्द्र सिंह—

[दिनांक १४-४-७८ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ द्वारा उत्तरित]

नवाबगंज नगरपालिका, गोंडा के प्रधान लिपिक के विरुद्ध फर्जी रसीद पर टक्स की वसूली करने की शिकायत

*३९—श्री दीप नरायण—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७ नवम्बर, १९७७ को जिलाधिकारी, गोंडा को एक लिखित शिकायती प्रार्थना-पत्र गोंडा के एक विधायक ने इस आशय का दिया कि नवाबगंज नगरपालिका गोंडा के प्रधान लिपिक ने दोहरी रसीदें छपवाकर मवेशी बाजार का टैक्स वसूल करने के लिए बांटा है ? क्या जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और सम्बन्धित दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, । इस मामले में जांच प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, नवाबगंज द्वारा कराई गई । उससे यह ज्ञात हुआ कि दोहरी फर्जी रसीदों पर किन्हीं अज्ञात

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय--]

व्यक्तियों द्वारा टैक्स की वसूली की गई थी। उक्त जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला की इस कार्य में प्रधान लिपिक अथवा पालिका के किसी अन्य कर्मचारी का हाथ रहा हो। माननीय विधायक ने भी अपने पत्र दिनांक १२-११-१९७७ द्वारा इस कार्य में प्रधान लिपिक का हाथ न होने की सूचना दी थी। इस मामले में दोषी व्यक्तियों का पता नहीं चल सका। अतः पुलिस में दिनांक ९-११-७७ को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

आगरा नगरपालिका फिरोजाबाद की सिवेज पाइप लाइन का त्रुटिपूर्ण निर्माण

*४०-श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में सीवेज पाइप लाइन गत ६ वर्ष पूर्व डाली गयी थी और उसका पम्पिंग वाल लाइन से ऊंचा बना, जिसके कारण सीवेज चालू नहीं हुआ और अब वह बेकार है? यदि हां, तो इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्न का प्रथम भाग

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग

इस मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

आगरा नगरपालिका, फिरोजाबाद के ट्यूबवेल

*४१-श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में जल निगम के अन्तर्गत तीन नलकूप चल रहे हैं जिनसे पानी पीने को पाइप लाइन से भेजा जा रहा है? क्या उक्त तीनों नलकूप ५०० गज के दायरे में ही हैं जिससे उनमें पानी की क्षमता सामान्यतः भारी कम और सन्तोषजनक नहीं है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां?

जी नहीं। तीनों नलकूपों की पारस्परिक दूरी लगभग १५०० गज है और पानी की क्षमता पर कोई पारस्परिक प्रभाव नहीं है।

जल संस्थान, नगर महापालिका इलाहाबाद में पम्प के मोटर पर व्यय की गयी धनराशि

*४२-श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि नगर महापलिका, इलाहाबाद में वर्ष १९७६-७७ में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान के द्वारा पम्प के

मोटर के नवीनीकरण के नाम पर कराब दो लाख पैंतीस हजार रुपए खर्च किए गए ? क्या यह सही है कि नय मोटरों के स्थान पर पुराने मोटरों की मात्र मरम्मत कराई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्न का प्रथम भाग

जी नहीं, वर्ष १९७६-७७ में जल संस्थान, नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा 'मशीनरीज' के मद में कुल रु० १,७४,३२९·२३ पसे का व्यय किया गया।

प्रश्न का द्वितीय भाग

जी नहीं ।

प्रश्न का तृतीय भाग

पम्पों के पुर्जों के क्रय तथा पुर्जों के लगाने के कार्य में कुछ अनियमिततायें अवश्य हुई हैं जिनकी शासन द्वारा जांच की जा रही है ।

हमीरपुर, बिवांर एवं मुस्करा को टाउन एरिया बनाने के संबन्ध में पत्र

*४३-श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बिवांर एवं मुस्करा, जिला हमीरपुर को टाउन एरिया घोषित करने का निश्चय कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १० फरवरी, १९७८ मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हमीरपुर जिले में बिवांर एवं मुस्करा जिला हमीरपुर को टाउन एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक महोदय का १०-२-७८ का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट से आवश्यक विवरण मांगा गया है । विवरण प्राप्त होने पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जायगा ।

बुन्देलखंड क्षेत्र के नगरों में जलकर की दरें

*४४--श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बुन्देलखन्ड में जल संस्थान द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जल कर सबसे अधिक लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

केवल बांदा और झांसी शहर को छोड़कर बुन्देलखंड क्षेत्र के नगरों में जलकर की दरें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहीं हैं ।

बदायूं नगरपालिका के प्रशासक का जल वितरण योजना संबन्धी आवेदन

*४५--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं नगर में जल वितरण योजना को पुनर्गठित करने के लिए बदायूं नगरपालिका के प्रशासक ने दिसम्बर, १९७७ में आवेदन किया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

नगरपालिका द्वारा अभी तक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं जिससे अभी योजना का वितरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

फैजाबाद, थर्मल पावर हाउस, टांडा के निर्माण हेतु कथित भूमि का अधिग्रहण

*४६--श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के थर्मल पावर हाउस, टांडा के निर्माण हेतु कितनी भूमि कृषकों की अधिगृहीत की गयी ? उक्त भूमि का मुआवजा सरकार किस दर पर दे रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

अभी तक कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है, अतः अभी मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता ।

सेवायोजन कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने की मांग

*४७--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को कोई मासिक भत्ता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना की पूरी रूपरेखा क्या है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

अभी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यालय के अनुभाग अधिकारियों में अनुसूचित जाति का कोटा

*४८--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ में कार्यरत अनसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार बताएगी कि अनुभाग अधिकारी की सेवाओं में प्रतिनिधित्व का उनका क्या अनुपात है ? परिषद् आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए क्या कर रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय अनुसचिवीय सेवा नियमावली, १९६९ एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर उनके आरक्षण के लिए निर्गत आदेशों के अनुसार विधिवत पदोन्नति सात वर्ष की अर्ह सेवा वाले प्रवर वर्ग सहायकों अर्ह में से चयन द्वारा की जाती है। इस समय परिषद् मुख्यालय के १५ अनुभाग अधिकारियों में से कोई अनुभाग अधिकारी अनुसूचित जाति का नहीं है क्योंकि आवश्यक अर्हता रखने वाले कोई भी अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायक उपलब्ध नहीं है।

आवश्यक अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के भविष्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

लक्ष्मीपति सिंहानियां इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलाजी, कानपुर के प्राइवेट वार्ड से प्राप्त शुल्क

*४९--श्री बाबू बदरे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मीपति सिंघानिया इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलजी, कानपुर में कितने पेइंग बेड्स व प्राइवेट वार्ड हैं और इनमें भर्ती किए गए मरीजों से प्राप्त शुल्क कोषागार में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

लक्ष्मी पति सिंहानियां इन्स्टीट्यूट आफ कार्डियोलाजी, कानपुर में कोई पेइंग बेड नहीं है। वहां पर केवल ६ प्राइवेट वार्ड हैं।

प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीजों से प्राप्त शुल्क को धनराशि नियमानुसार कोषागार, कानपुर में जमा की जा चुकी है।

कार्डियोलाजी संस्थान, कानपुर के स्टाक एवं वितरण रजिस्टर की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*५०--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९७४ से फरवरी, १९७५ की अवधि में निदेशक, कार्डियोलोजी संस्थान, कानपुर विदेश में थे ? क्या यह सही है कि इस अवधि में विभाग के स्टाक और वितरण रजिस्टरों की सैकड़ों प्रविष्टियों में उन्हीं निदेशक के ही हस्ताक्षर मौजूद हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री कल्याण सिंह--

कार्डियोलोजी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर-निदेशक १९ नवम्बर, १९७४ से २० फरवरी, १९७५ तक की अवधि में विदेश में थे।

संस्थान के सम्बन्ध में गोपनीय जांच के प्रसंग में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा संस्थान के स्टाक और वितरण रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लेने के कारण इस समय यह सूचना दे पाना सम्भव नहीं है कि स्टाक और वितरण रजिस्टरों की उक्त अवधि की प्रविष्टियों में प्रोफेसर-निदेशक के ही हस्ताक्षर हैं या नहीं।

*५१—श्री बिहारी लाल हंस—

[दिनांक ३०-३-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २६ द्वारा उत्तरित]

अधीक्षण अभियन्ता, श्री एम० वाई० कुरेशी, फैजाबाद मंडल का निलम्बन

*५२—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (श्री एम० वाई० कुरेशी) फैजाबाद मंडल का निलम्बन किस आरोप पर हुआ था? क्या उन आरोपों की जांच पूरी हो गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्री एम० वाई० कुरेशी, अधीक्षण अभियन्ता का निलम्बन निम्नलिखित आरोपों पर हुआ था :—(१) जब श्री कुरेशी लखनऊ में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनात थे, उन्होंने परिषद् की गाड़ी का दुरुपयोग किया एवं श्री पी० आर० सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इसका व्यक्तिगत लाभ के लिये दुरुपयोग होने दिया। इस प्रकार उन्होंने परिषद् को धोखा दिया और वित्तीय हानि पहुंचाई तथा परिषद् की गाड़ियों में अधिकतम मितव्ययिता लाने सम्बन्धी परिषद् के आदेशों की अवहेलना की।

(२) विदेशी सामान लाने के उद्देश्य से उनकी पत्नी, श्री पी० आर० सिंह, अधिशासी अभियन्ता के साथ, श्री कुरेशी की रजामन्दी से नेपाल में धनगढ़ नामक स्थान पर गईं तथा बाद में उनके सूटकेस से विदेशी सामान लखीमपुर खीरी अतिथि गृह में बरामद हुआ। इस प्रकार श्री कुरेशी ने सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता के नियम ३ (२) की अवहेलना की।

उपरोक्त आरोपों पर जांच की गई थी। जांच अधिकारी ने श्री एम० वाई० कुरेशी को दोषी नहीं पाया और उन्हें सेवा में बहाल करने की संस्तुति की। जांच अधिकारी की संस्तुतियों पर समुचित विचार करने के उपरान्त श्री कुरेशी को सेवा में बहाल कर दिया गया है।

बांदा स्टेडियम का निर्माण

*५३—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा स्टेडियम (क्रीड़ांगन) निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ? क्या यह सत्य है कि स्टेडियम निर्माण हेतु केन्द्रीय एवं प्रान्तीय शासन के अनुदानों की स्वीकृति न होने के कारण स्टेडियम निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

निर्माण कार्य का प्रथम चरण आरम्भ होने के लगभग २-३ वर्ष के अन्दर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में मंडलीय सिविल सर्विसेज खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन

*५४---श्री सुरेन्द्र पाल---

क्या-खेल-कूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में सिविल सर्विसेज के अन्तर्गत जिला स्तर, प्रान्तीय स्तर एवं अन्तर प्रान्तीय स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के होने के बाद झांसी में दिनांक ८ मार्च, १९७८ से ११ मार्च, १९७८ तक मंडलीय सिविल सर्विसेज खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का क्या आधार था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन मंडल के जनपदों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उनमें स्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से किया गया।

लखनऊ विकास क्षेत्र के पुनरीक्षण के मामले को कम्पाउन्ड किये जाने का आदेश

*५५---डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी, १९७८ में लखनऊ विकास क्षेत्र में पुनरीक्षण के कितने मामलों में शासन द्वारा कम्पाउन्ड करने के आदेश दिये गए और क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन मामलों को कम्पाउन्ड कर दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जनवरी/फरवरी, १९७८ में केवल एक मामले में शासन द्वारा कम्पाउन्ड करने के आदेश दिये गये। पक्ष द्वारा उससे सम्बन्धित शमन मानचित्र नहीं प्रस्तुत किये गये जिसके कारण केस कम्पाउन्ड नहीं किया जा सका है।

*५६---श्री राम फेर---

[छठें गुरुवार के लिए स्थगित]

*५७---श्री राम फेर---

[छठें गुरुवार के लिए स्थगित।]

आगरा शहर के पास आगरा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना का निर्माण एवं भूमि का अर्जन

*५८---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आपात स्थिति के दौरान आगरा शहर के पास ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो इस योजना की रूप-रेखा किसने बनाई ? कितने एकड़ जमीन किस रेट पर अर्जित किया गया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां ।

आगरा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना तत्कालीन नगरमहापालिका ने बनाई थी, जिसको शासन ने स्वीकृत किया था । योजना का कार्यान्वयन विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा मई, १९७६ से किया जा रहा है । विकास प्राधिकरण ने अपने वित्तीय स्थिति को देखते हुए योजना को तीन चरणों में कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया । प्रथम चरण में ४६ एकड़ भूमि ५५,६०० रुपये प्रति एकड़ तथा द्वितीय चरण में ६६ एकड़ भूमि ५६,००० रुपये प्रति एकड़ की दर से अर्जित की गई । योजनान्तर्गत कुल क्षेत्र १२६ एकड़ है । प्रथम चरण में योजना की कुल लागत ९५.८९ लाख रुपये है, जिसके अन्तर्गत ९३७ भूखंडों का निर्माण किया गया, जिसमें से ८५६ भूखंड विभिन्न विभाग एवं व्यवसाय हेतु आवंटित किये जा चुके हैं । इसी प्रकार द्वितीय चरण की कुल लागत १,८५,५४,२८० रु० है, जिसके अन्तर्गत ८५७ भूखंडों का निर्माण किया गया जिनमें से विभिन्न विभाग एवं व्यवसाय हेतु ४४२ भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं । तृतीय चरण में १४ एकड़ भूमि सम्मिलित है, जिसके अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।

भारत जनसंख्या परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष वेतन

*५९—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि भारत जनसंख्या परियोजना के निर्माण खंडों के उपनिदेशकों को १५० रुपये मासिक विशेष वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण खंडों से उक्त परियोजना में स्थानान्तरित उपनिदेशकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को यह विशेष वेतन न देने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

उप निदेशकों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक, निर्माण कार्य को भी ३ दिसम्बर, १९७६ से, जब से वह अपने मूल विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर अनुमोदित हुए, १५० रु० प्रति मास विशेष वेतन दिया जा रहा है । इसके अलावा निदेशक, निर्माण कार्य को एक सीमित अवधि में विशेष वेतन दिया गया । इन अधिकारियों के अतिरिक्त भारत जनसंख्या परियोजना में कार्यरत अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को विशेष वेतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

आयातित 'रेपसीड' तेल का परीक्षण

*६०—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या उसने यह सुनिश्चित कर लिया है कि आयातित "रेपसीड" तेल का उपभोग, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई परीक्षण राज्य सरकार ने स्वयं कराया है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? यदि परीक्षण नहीं कराया गया तो क्या सरकार अब ऐसा कराएगी ?

श्री कल्याण सिंह--

भारत सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्रश्नगत तेल मानव उपभोग हेतु खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

राज्य सरकार द्वारा ऐसा परीक्षण नहीं कराया गया है अतः रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता ।

इस मामले पर सेन्ट्रल कमेटी फार फूड स्टैन्डर्ड्स की आयल्स ऐण्ड फैट्स सब-कमेटी तथा इण्डियन स्टैन्डर्ड्स इन्स्टीट्यूशन द्वारा विचार किया जा चुका है तथा भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारित किये जा चुके हैं और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्राविधानों के अनुरक्षणों में निदेशित किया जा चुका है कि इन मानकों का अनुपालन किया जाय, अतः राज्य सरकार द्वारा अलग से ऐसे परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

नगरपालिका, कन्नौज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*६१--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात् कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनके आधार पर पालिका का स्पेशल आडिट कराया गया ? क्या आडिट की आख्या प्राप्त हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका कन्नौज में भ्रष्टाचार विषयक कुछ शिकायतें जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्राप्त हुई थीं जो जांच के उपरान्त निराधार पाई गईं । अतः उनके आधार पर स्पेशल आडिट नहीं कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के नालों को ढांकने की मांग

*६२--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों के नाले विशेषकर चिरैंयापुरवा, घसियारी मन्डी, सफदरबाग, बेलदारी लेन, दक्षिण पीरजलील आदि के गन्दगी से भरे हुए हैं ? इनसे सम्बन्धित बस्तियों में रोग फैल रहे हैं ? यदि हां, तो इन नालों की सफाई कराने के या उन्हें ढांकने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, किन्तु, नगर महापालिका लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार नालों से सम्बन्धित बस्तियों में बीमारी नहीं फैल रही है । वर्षा से पूर्व इन नालों की सफाई की जाएगी । फिलहाल धनाभाव के कारण इन नालों को ढांकना सम्भव नहीं है ।

देवरिया के कसिया सब-स्टेशन (हाइडिल) द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*६३—श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया) तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत मन्त्री को यह ज्ञात है कि कसिया सब हाइडिल स्टेशन, जनपद देवरिया जिस जमीन पर बना है, उसका मुआवजा उन काश्तकारों को अब तक नहीं मिल पाया है जिनकी जमीन ली गई है ? क्या सरकार बताएगी कि इसमें कहां तक सत्यता है कि विद्युत विभाग ने मुआवजे की राशि जेल विभाग को दे दिया है ? मुआवजे की दर क्या है तथा कुल कितनी रकम दी गई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जनपद देवरिया में कसिया सब-स्टेशन के लिए भूमि जल विभाग द्वारा विद्युत परिषद को हस्तांतरित की गई थी । अतः विद्युत परिषद द्वारा काश्तकारों को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । जेल विभाग को भूमि के लागत के रूप में ४६,६७५ रु० विद्युत परिषद द्वारा दिया गया था ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में लम्बित मुकदमें

*६४—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के श्रम न्यायालयों, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ एवं अन्य स्थानों पर पीठासीन अधिकारियों के न होने के कारण लगभग ५० हजार से अधिक श्रमिकों के मुकदमें विचाराधीन हैं ? श्रमिक तारीखों पर जाते हैं और अगली तारीख लेकर लौट आते हैं जिससे उनका अनायास धन अपव्यय होता है ? यदि हां, तो विचाराधीन मुकदमों के निपटारे की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रदेश स्थित सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में २८ फरवरी, १९७८ को ७१५६ विवाद अनिर्णीत थे । उक्त विवादों के निस्तारण हेतु शासन ने ३ अतिरिक्त श्रम न्यायालय कानपुर, गाजियाबाद और बरेली में स्थापित कर दिये हैं तथा अन्य सभी रिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर दिये हैं । इस समय नवसृजित श्रम न्यायालय, बरेली को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी कार्य कर रहे हैं । श्रम न्यायालय, बरेली में भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

नगर महापालिकाओं के कतिपय पदों पर तदर्थ नियुक्तियां

*६५—श्री रामजी श्री त्रिलोक चन्द्र तथा श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आपातकाल स्थिति के दौरान प्रदेश के नगर महापालिका में सहायक नगर अधिकारी, कर अधीक्षक एवं सहायक कर अधीक्षक की चयन समिति एवं लोक सेवा आयोग की संस्तुति के बिना तदर्थ नियुक्तियां की गईं ? क्या यह भी सही है कि वर्तमान शासन काल में ऐसा किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रदेश की पंच महापालिकाओं में सचिवालय के कितने

व्यक्ति उक्त स्थानों के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे, उनमें से कितने वर्तमान शासनकालीन अवधि में वापस बुला लिए गए ? जो नहीं वापस बुलाए गए, उसका क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, प्रश्नगत पदों पर तदर्थ नियुक्तियां आपातकालीन समय, उसके पूर्व एवं वर्तमान शासन काल में भी की गयीं क्योंकि पदों को रिक्त छोड़ना प्रशासनिक हित में न था व न है। यह तदर्थ नियुक्तियां उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६ के नियम ३१ के अधीन की गयी जिसके अनुसार एसी नियुक्तियां करने में किसी चयन समिति अथवा लोक सेवा आयोग की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। सचिवालय के चार व्यक्तियों को महापालिकाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और वे सभी वर्तमान शासनकाल में वापस किये जा चुके हैं।

*६६--श्री गुलाब सेहरा--

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले के ग्राम बर्गदवा का विद्युतीकरण

*६७--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ग्राम बर्गदवा, विकास खंड रामनगर, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती का विद्युतीकरण माह दिसम्बर, १९७४ में किया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी लम्बी एच० टी० तथा एल० टी० लाइन का निर्माण किया गया और इस कार्य पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण एच० टी०, एल० टी० लाइन बिछाकर अभी तक नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रेणु सागर के पावरहाउस में अतिरिक्त भट्ठी लगाये जाने की मांग

*६८--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेणु सागर स्थित पावर-हाउस की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सन् १९७२ से १९७४ ई० के बीच में विद्युत परिषद ने ११० मेगावाट की २ भट्ठियां लगाने की अनुमति प्रदान की थी ? यदि हां, तो उनको लगाने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या उक्त लाइसेन्स वर्ष १९७७-७८ में फिर बदल दिया गया ? यदि हां, तो बदलने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय, सीतापुर के जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी का स्थानान्तरण

*६९—श्री लाल दास (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में नियुक्त स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारियों का स्थानान्तरण लगातार ५ वर्षों से अधिक समय कार्यरत होने पर भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में केवल एक जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी नियुक्त है, जिसे इस पद पर वहां कार्य करते हुए अभी पांच वर्ष पूरे नहीं हुए हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*७०—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह तथा श्री राजेश कुमार सिंह—

[५वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) लखनऊ के भंडार में गबन एवं सहायक स्टोर कीपर, श्री राम लखन शर्मा का निलम्बन

*७१—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला शाखा), लखनऊ के द्वारा तैयार माल का उसके भंडार से ३३,००० रु० का गबन हो गया है और उस गबन के सम्बन्ध में सहायक स्टोर कीपर, प्रधानाचार्य (जी० एस० मिश्र) तथा उप प्रधानाचार्य (श्रीमती रमेश ग्रोवर) को जांच अधिकारी एम० जेड० सिद्दीकी औद्योगिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने रिपोर्ट दिया कि तीनों को निलम्बित कर दिया जाय ? यदि हां, तो तीनों को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। यह सत्य है कि निदेशालय के तत्कालीन प्राविधिक अधिकारी श्री एम० जेड० सिद्दीकी, द्वारा वर्ष १९७४-७५ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला शाखा), लखनऊ के तैयार माल के भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया था और उसके फलस्वरूप संस्थान के भण्डार में ३२,९५६·४७ रु० के माल की कमी पायी गयी थी। जांच अधिकारी श्री सिद्दीकी ने अपनी जांच आख्या में श्री राम लखन शर्मा, तत्कालीन सहायक स्टोर कीपर, श्री जी० एस० मिश्रा, तत्कालीन प्रधानाचार्य तथा श्रीमती ग्रोवर, तत्कालीन उप प्रधानाचार्य को निलम्बित किये जाने की संस्तुति नहीं की थी।

उक्त व्यक्तियों में से केवल श्री राम लखन शर्मा, सहायक भण्डारी को दिनांक १३ जनवरी, १९७७ को निलम्बित किया गया तथा पुलिस द्वारा की गयी जांच के आधार पर दोषी पाये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पुलिस द्वारा अभियोजन चलाया जा रहा है। श्री जी० एस० मिश्रा एवं श्रीमती ग्रोवर को आरोप-पत्र निर्धारित किये जा रहे हैं।

आबकारी आयुक्त, मेरठ के अधीन शराब के ठेकेदारों से लाइसेन्स फीस की वसूली

*७२—श्री सोहन वीर सिंह सोमर—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७७ के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मन्त्री कृपया

बतायेंगे कि आबकारी आयुक्त, मेरठ के अधिकार-क्षेत्र में वित्तीय वर्ष १९७५-७६ के जिन देशी शराब के १५ ठेकेदार तथा वित्तीय वर्ष १९७६-७७ के जिन देशी शराब के १८५ ठेकेदार और विदेशी शराब के १०९ ठेकेदारों पर लाइसेन्स फीस की बकाया धनराशि शेष रह गई थी उनमें से कितनों से यह वसूल कर ली गई है ? इनमें से कितन ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गए हैं तथा वसूली करने के लिए अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

उप आबकारी आयुक्त मेरठ के अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष १९७५-७६ के देशी शराब के १५ ठेकेदारों और वर्ष १९७६-७७ में देशी एवं विदेशी शराब के क्रमशः १६५ (१८५ नहीं) एवं १०९ ठेकेदारों पर आबकारी राजस्व बकाया था। उनमें से वर्ष १९७५-७६ के ३ ठेकेदार तथा वर्ष १९७६-७७ के देशी शराब के ९ ठेकेदारों और विदेशी शराब के ६ ठेकेदारों से बकाया धनराशि वसूल की जा चुकी है। वर्ष १९७५-७६ के देशी शराब के १२ ठेकेदार और वर्ष १९७६-७७ के देशी शराब के ९२ ठेकेदार और विदेशी मदिरा के ५२ ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली के प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जारी कर दिये गये हैं। शेष ठेकेदारों से वसूल करन के लिये तहसील स्तर से आबकारी नियमों के अन्तर्गत ठकेदारों के विरुद्ध वसूली की नोटिस भेजी गई है। सभी ठेकेदारों के लिए वसूली के निमित्त वही कार्यवाही की जा रही है जो भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिये की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले के ब्लाक उस्का बाजार व बर्डपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

१--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के ब्लाक उस्का बाजार तथा बर्डपुर के जो गांव विद्युतीकरण योजना के अन्दर लिए गए हैं, उनमें अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितने गांवों का विद्युतीकरण निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होना शेष है, वह कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

बस्ती जनपद के ब्लाक 'उस्का बाजार' तथा 'बर्डपुर' के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लिये गये १०७ ग्रामों म से ३१ मार्च, १९७८ तक कुल १३ ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

निर्धारित लक्ष्य में से ९४ ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है।

३१ मार्च, १९८० तक इनके विद्युतीकरण होने की आशा है।

पिथौरागढ़ की कथित बेरोजगार महिला प्राशिक्षित नर्स एवं अनाश्रित महिला कल्याण संस्था की अन्ट्रेन्ड नर्स

2--श्री नारायण सिंह भैसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अब तक प्रशिक्षित महिला नर्सें कितनी बेरोजगार है और जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अनाश्रित महिला कल्याण संस्था में कोई अनट्रेन्ड नर्स वर्ष १९७७ में नियुक्त की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के विभिन्न राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के पश्चात् सभी महिला प्रशिक्षित नर्सों की नियुक्ति कर दी जाती है। अतः जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत किसी प्रशिक्षित महिला नर्स के बेरोजगार रहने अथवा वहां अप्रशिक्षित नर्स की तैनाती का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अनाश्रित महिला कल्याण संस्था में अन्ट्रेन्ड नर्स की नियुक्ति से इस विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

भूतपूर्व सी० एम० ओ०, बाराबंकी द्वारा दवाओं की खरीद

३--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के भूतपूर्व सी० एम० ओ० ने, जो वर्तमान समय में सीतापुर जनपद में सी० एम० ओ० हैं, अपनी बाराबंकी सर्विस की अवधि में कितने रुपयों की दवाय तथा अन्य सामग्री अधिकृत फर्म तथा कितने रुपयों की दवायें और अन्य सामग्री अनधिकृत फर्म से खरीदा है ?

श्री कल्याण सिंह--

बाराबंकी जनपद के भूतपूर्व सी० एम० ओ० जो वर्तमान समय में सीतापुर जनपद के सी० एम० ओ० हैं, ने अपने बाराबंकी सर्विस की अवधि में कुल ४,५०,७२६.८१ रुपये की दवायें तथा अन्य सामग्री की खरीददारी की। जिसमें ३,२८,१४७.०३ रुपय की अनुमोदित दर अनुबन्ध पर तथा १,२२,५७९.७८ रुपये की स्थानिक क्रय के अन्तर्गत थी।

आजमगढ़ की टाउन एरिया, नगरपालिकाओं के कर्मचारियों में हरिजनों का कोटा

४--श्री दयाराम भास्कर--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत समस्त टाउन एरिया और नगरपालिका में प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें हरिजनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में क्या है ? क्या हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक कोटा पूरा किया जाएगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आजमगढ़ जिले में ३ नगरपालिकायें और १४ टाउन एरियायें हैं। इनमें कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :--

(१) केन्द्रीयत सेवा	२६
(२) लिपिक सेवा	१२१
(३) चतुर्थ श्रेणी	७८४

इनमें हरिजन (अनुसूचित जाति) की संख्या निम्न प्रकार है :--

(१) केन्द्रीयत सेवा	२
(२) लिपिक सेवा	१२
(३) चतुर्थ श्रेणी	१३१

इन सेवाओं में हरिजनों के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। भविष्य की रिक्तियों में हरिजन अभ्यर्थियों को नियुक्त कर कोटा पूरा किया जायेगा।

आजमगढ़ के विद्युत् कर्मचारियों में पिछड़े वर्ग व हरिजनों का कोटा

५--श्री दयाराम भास्कर--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत् कर्मचारियों की प्रत्यक श्रेणी में अलग-अलग संख्या क्या है और उसमें पिछड़े वर्ग व हरिजनों की अलग-अलग संख्या क्या है और १८ प्रतिशत हरिजन व १५ प्रतिशत पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जनपद आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत् कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की अलग-अलग संख्या निम्नलिखित है :--

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग
प्रथम श्रेणी	६	..	..
द्वितीय श्रेणी	२४	..	५
तृतीय श्रेणी	९४८	५४	३०४
चतुर्थ श्रेणी	१०६७	१०२	६२५

श्रेणी १ व २ में नियुक्तियां प्रदेश स्तर पर होती हैं और उसी स्तर पर अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के कोटे का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार कुछ श्रेणी ३ की नियुक्तियां भी प्रादेशिक स्तर पर होती हैं और विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का ध्यान भी उसी स्तर पर रखा जाता है। जिन श्रेणी ३ व ४ की नियुक्तियां मन्डल/मंडलीय स्तर पर की जाती हैं, उनमें पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा है। अनुसूचित जाति के कोटे को पूरा करने हेतु यह आदेश दे दिए गए हैं कि भविष्य में होने वाली रिक्तियों में केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ही नियुक्त किए जायें, जब तक कि उनका कोटा पूरा न हो जाय।

६-७--श्री नारायण सिंह भैसोरा--

[दिनांक ६-१०-७७ को अतारांकित प्रश्न संख्या १३-१४ द्वारा उत्तरित]

विद्युत् विभाग, देवरिया के विरुद्ध दीवानी अदालतों में लम्बित मुकदमा

८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में विद्युत् विभाग देवरिया के विरुद्ध कितने वाद दीवानी अदालतों में १० नवम्बर, १९७७ तक विचाराधीन थे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१० नवम्बर, १९७७ तक देवरिया जनपद में विद्युत् विभाग, देवरिया के विरुद्ध दीवानी अदालतों में ७९ वाद विचाराधीन थे।

देवरिया जिले के विकास खंड बिशुनपुरा के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

९—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के बिशुनपुरा विकास खंड के ग्राम चिरगोड़ा, चितहा, मेह पकड़ी, माधो का टिलवा अरैनहुवा, बबुइया, हरपुर, चती, मुसहरी, कंठी, छपरा मे ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत खम्भे गड़े तीसरा वर्ष प्रारम्भ हो गया किन्तु अभी लाइनिंग पूरी नही हुई? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक पूर्ण कर लिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

प्रश्नगत ७ ग्रामों के विद्युतीकरण की तथा खम्भे खड़े होने की स्थिति संलग्नक में दर्शायी गयी है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६२ पर)

बस्ती जिले के डाक्टर विहीन अस्पताल

१०—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में कौन-कौन से ऐसे एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पताल है जिनमें अभी तक चिकित्सक नहीं हैं तथा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं है जहां कोई डाक्टर न हो । निम्नलिखित एलोपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं :—

१—पूरा बरहरा,

२—अमरोली सुमाली,

३—दुबौलिया बाजार,

४—बेई पार,

५—बेतिया,

६—लोटन,

७—अजीबारपुर,

८—ककरहा,

९—हलवा बाजार,

१०—महिला चिकित्सालय, नौगढ़,

११—महिला चिकित्सालय, बभनान,

१२—महिला चिकित्सालय, मेहदावल ।

उक्त पद स्थानान्तरण आदि के कारण रिक्त हुए हैं ।

आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद के बकाए गृहकर एवं जलकर की वसूली

११—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा जनपद की नगरपालिका फिरोजाबाद में गृहकर, जलकर का कितना धन वर्ष १९७६–७७ तक दो हजार से अधिक किन–किन व्यक्तियों पर बकाया है ? उसके वसूल करने की क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना संलग्न सूची* में दी गई है ।

शासन द्वारा बकाया कर की वसूली के लिए नगरपालिका, फिरोजाबाद को नियमानुसार ठोस कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, आगरा एवं नगरपालिका फिरोजाबाद को आदेश जारी किए जाते रहे हैं ।

१२—श्री श्रीनारायण—

[दिनांक ३०–३–७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४८ द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारियों का क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के विरुद्ध शिकायती–पत्र

१३—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर सेवायोजन कार्यालय के तृतीय–चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ओर से दिनांक १० दिसम्बर, १९७७ को भेजा गया कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। शिकायती–पत्र के रूप में इस प्रकार का एक ज्ञापन तत्कालीन क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, श्री फजील अहमद के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था।

इस सम्बन्ध में जांच कराई गई । शिकायती–पत्र पर शिकायत कर्त्ताओं के नाम और हस्ताक्षर नहीं थे । श्री फजील अहमद पर कर्मचारियों के निलम्बन, नियुक्ति तथा कार्य–वितरण के सम्बन्ध में, कार्यालय भवन और ट्यूबवेल की मरम्मत के लिए निर्धारित धनराशि के गबन और दुराचरण आदि के सम्बन्ध में आरोप लगाए थे, जो जांच से निराधार पाए गए।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ट्रांसफार्मर की खरीद

१४—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५ एवं १९७६ तथा जुलाई, १९७७ तक किन–किन फर्मों से कितने–कितने ट्रान्सफार्मर कितने रुपए के खरीदे गए हैं और यह खरीददारी विद्युत् विभाग के किस अधिकारी के आदेश से की गया तथा किसके द्वारा स्वीकृति दी गई ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

*छापी नहीं गयी ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष १९७५ एवं ७६ तथा जुलाई, १९७७ तक परिषद् के विभिन्न क्षमताओं के ट्रांसफार्मर भिन्न-भिन्न कम्पनियों से क्रय करने हेतु क्रय समितियों द्वारा निर्णय लेने के बाद आर्डर दिए गए थे। कोई एक अधिकारी इसका निर्णय नहीं लेता है।

चूंकि इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण बहुत विस्तृत है, अतएव माननीय सदस्य इसका अवलोकन मंत्री जी के कक्ष में कर सकते हैं।

राज्य विद्युत् परिषद् की केसा यूनिट पर बकाया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली

१५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने ३१ जुलाई, १९७५ तक १ करोड़ ९ लाख रुपए तथा केसा ने ११ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार को अदा नहीं की है ? यदि हां, तो रुपया न अदा करने का क्या कारण है ? क्या विद्युत् मन्त्री सम्बन्धित बकाएदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इस प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि तथाकथित एक करोड़ नौ लाख तथा ग्यारह लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् पर किस मद में बकाया है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की केसा यूनिट पर राज्य सरकार के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बकाए से है, जिसकी धनराशि अप्रैल, १९७४ से अप्रैल, १९७५ तक १,०९,३१,६५८.०० रु० थी और इस पर लगाए गए ब्याज की रकम ११.९५, ३९०.०० रु० थी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की यह धनराशि वित्तीय वर्ष १९७५-७६ में कुल १.८४ करोड़ रुपए तथा इस पर ब्याज की धनराशि २४ लाख रुपया केसा द्वारा राज्य सरकार को देय हो गई थी। इस सम्पूर्ण बकाए को (१.८४ करोड़ + २४ लाख रु०) राज्य सरकार ने विद्युत् परिषद् को दिए गए ऋण में से समायोजित कर लिया है। अब चूंकि राज्य सरकार को उक्त बकाए का भुगतान समायोजन द्वारा हो चुकी है, अतः इस सम्बन्ध में कोई अग्रिम कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

१६—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[११वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया नगरपालिका के सड़क अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

१७—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र, दिनांक २६ सितम्बर, १९७७ जिसमें नगरपालिका, देवरिया को चार लाख रुपए की मांग को स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र, दिनांक २७-९-७७ प्राप्त हुआ था, जिसमें नगरपालिका, देवरिया को चार लाख रुपयों की मांग को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि नगरपालिका, देवरिया ने वर्ष १९७४-७५ तक स्वीकृत सड़क अनुदानों की धनराशि १,२६,३२५.८० रु० का उपयोग नहीं किया था। अतः वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में नियमानुसार उसे और सड़क अनुदान स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं था। अतः जिलाधिकारी, देवरिया को निर्देश दिए गए कि १९७४-७५ तक स्वीकृत समस्त सड़क अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजें ताकि अग्रिम सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा सके। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ३१ मार्च, १९७८ तक प्राप्त नहीं हुआ है।

१८--श्री कृष्णा राय--

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुर्वेदिक, यूनानी औषधि निगम के स्थापना की मांग

१९--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने आयुर्वेदिक, यूनानी औषधि निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसके स्थापना में विलम्ब का क्या कारण है और कब तक स्थापना होने की सम्भावना है?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा के ग्राम तिन्दुवारी का विद्युत् कनेक्शन सम्बन्धी आवेदन-पत्र और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

२०--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिन्दुवारी (बांदा) के विद्युत् कनेक्शन सन् १९७० के आवेदन अब तक पड़े हैं? यदि हां, तो कितने? और उनमें उपभोक्ताओं द्वारा कितनी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं तथा अब तक इनको कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सन् १९७० में ग्राम तिन्दुवारी, जिला बांदा के केवल १० उपभोक्ताओं ने बत्ती एवं पंखे के कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त ८ उपभोक्ताओं ने नवम्बर, १९७२ में बत्ती एवं पंखे के कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इनमें से १४ उपभोक्ताओं द्वारा फरवरी, १९७३ से जुलाई, १९७४ तक की अवधि में तथा शेष ४ उपभोक्ताओं द्वारा जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ की अवधि में सर्विस कनेक्शन चार्जेज जमा किये गये हैं, परन्तु किसी भी उपभोक्ता द्वारा न तो घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही वायरिंग पूरी होने का बी० एण्ड एल० फार्म जमा किया गया। जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ की अवधि में ही इन सभी उपभोक्ताओं द्वारा घोषणा-पत्र तथा बी० एण्ड एल० कार्य भी जमा कर दिया गया है। अतः इन उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने हेतु लाइन बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और इन्हें शीघ्र ही कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

२१—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

क्या शासन इसकी जांच करके सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी को दंडित करेगी तथा उन आवेदकों के विद्युत् कनेक्शन दिए जाने के आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

कनेक्शन न देने के लिये कोई भी अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, इसलिए जांच करके किसी भी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता । आवेदकों ने बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने से सम्बन्धित औपचारिकतायें इसी वर्ष १/७८ से ३/७८ के बीच पूर्ण कर लिया है । अतः लाइन बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं उन्हें कनेक्शन शीघ्र ही दे दिये जायेंगे ।

फतेहपुर जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुहा और पूरेदान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

२२—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि फतेहपुर जिले के विकास खंड खजुहा के अन्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरेदान को वहां न चला कर कहीं अन्यत्र चलाया जा रहा है जबकि पत्राचार व अन्य समस्त कार्य पूरे दान के नाम से ही हो रहे हैं ? यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कहां और कब से तथा किन कारणों से कार्यरत हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । फतेहपुर जिले के विकास खंड खजुहा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने स्थापना की तिथि (१-१०-१९६६) से खजुहा में ही चल रहा है । पूरेदान के नाम से न तो पत्राचार हो रहा है और न अन्य कार्य ही किये जा रहे हैं ।

२३—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या मंत्री पूरेदान ग्राम की सारी सुविधाओं को दृष्टि में रखकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं, क्योंकि विकास खंड के अन्तर्गत केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्राविधान है जो विकास खंड मुख्यालय खजुहा में कार्यरत है ।

प्रदेश में होम्योपैथिक शोध संस्थान की स्थापना की मांग

२४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि होम्योपैथिक औषधि स्वेदज, आण्डज, उद्भिज्ज तथा जरायुज चारों प्रकार के जीवों को प्राणदायिनी औषधि है ? यदि हां, तो सर्वजन सुलभ तथा देश के जन साधारण की प्रकृति तथा सामर्थ्य के लिए उपयोगी इस चिकित्सा में प्रवृत्त स्नातकों के ज्ञान वृद्धि हेतु कितने होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रदेश में चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ कर दिए जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन कोई भी होम्योपैथिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट अभी नहीं चला रहा है लेकिन एक ड्रग प्रूविंग (Drug proving) रिसर्च यूनिट सेन्ट्रल कौंसिल फार रिसर्च इन इन्डियन मेडिसिन एवं होम्योपैथी, नई दिल्ली के नियंत्रण में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यरत है ।

प्रदेश में होम्योपैथिक शोध संस्थान की स्थापना हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दी गयी है जिसकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

२५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[१२ वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेवायोजन कार्यालय, बहराइच में अंकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं मुस्लिम वर्ग के अभ्यर्थी

२६—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1977 तक जनपद बहराइच के सेवायोजन कार्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के संवर्गों की अर्हता वाले कितनी-कितनी संख्या में बरोजगार दर्ज थे और उनमें से कितने-कितने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं मुस्लिम वर्ग के थे तथा कितने-कितने शासन के किस कार्यालय द्वारा सेवाओं के लिए अभियाचित किए गए ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी—

सेवायोजन कार्यालय, बहराइच में सजीव पंजिका पर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए ५,७५४ अभ्यर्थी थे, जिनमें ५४१ अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थे और ९०४ अभ्यर्थी मुस्लिम वर्ग के थे । चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए २,३०५ अभ्यर्थी थे जिनमें ५१६ अनुसूचित जाति के थे तथा ४५७ मुस्लिम वर्ग के थे । उक्त दोनों श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी उक्त सेवायोजन कार्यालय में दर्ज नहीं था ।

उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात हुआ है कि शासन के किसी कार्यालय ने सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की कोई संख्या अभियाचित नहीं की थी, केवल रिक्तियां ही सूचित की थीं ।

दिनांक १-४-१९७६ से ३१-३-१९७७ की अवधि में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न स्थानीय शासकीय कार्यालयों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों एवं सेवायोजित हुए अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण संलग्न है ।

मुस्लिम वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्प्रेषण तथा नियुक्ति से संबन्धित सूचना अलग से रखने का प्राविधान नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६३ पर) ।

आपातस्थिति में आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम के अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारी

२७—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम में आपातस्थिति के दौरान कितने कर्मचारियों को ५८ वर्ष की आयु पूरी करने से पहले अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

आपातस्थिति के दौरान आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर १९ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत किया गया ।

वाराणसी, हरतीरथ निवासी श्री शिवनाथ प्रसाद का विद्युत् कनेक्शन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

२८—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवनाथ प्रसाद के ४६/१२६ हरतीरथ वाराणसी ने विद्युत् कनेक्शन नं० एस० सी० ५५३४९ को वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग वाराणसी द्वारा चालू न करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ११ अगस्त, १९७७ को माननीय विद्युत् मन्त्री एवं दिनांक १६ जून, १९७७ को अधीक्षण अभियन्ता अन्डर टेकिंग को दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

प्रश्नगत मामले में श्री शिवनाथ प्रसाद, ४६/१२६ हरतीरथ, वाराणसी के दिनांक १४-१०-१९७७ तथा १९-११-१९७७ के प्रार्थना-पत्र जो माननीय विद्युत् मन्त्री जी को सम्बोधित थे, वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं । उपभोक्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान २९-११-१९७७ को व रीकनेक्शन फी का भुगतान ८-१२-१९७७ को किया गया । सभी औपचारिकतायें पूरी कर देने के पश्चात् उनका कनेक्शन दिनांक १७-१२-१९७७ को पुनः जोड़ दिया गया है ।

गोरखपुर क्षेत्र की कतिपय चीनी मिलों पर बकाया वेतन और दायर किया गया प्राभियोजन

२९—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने यह अध्यादेश जारी किया है कि जिन कारखानों पर मजदूरी का एक लाख से अधिक बकाया रहेगा उन्हें कम से कम तीन माह की जेल यातना आर्थिक दण्ड के अतिरिक्त भोगना पड़ेगा ? यदि हां, तो दिसम्बर, १९७७ तक गोरखपुर रीजन में कितनी चीनी मिलें इस श्रेणी में आती हैं, और इस अवधि में उनके प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, १२ दिसम्बर, १९७७ को उक्त आशय का उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अध्यादेश जारी किया गया है ।

दिसम्बर, १९७७ तक गोरखपुर क्षेत्र की दो चीनी मिलों, लक्ष्मी शुगर मिल्स प्रा० लि०, छितौनी (देवरिया) तथा पंजाब शुगर मिल्स प्रा० लि० धुवली पर एक लाख से अधिक का वेतन बकाया था। दोनों प्रतिष्ठानों के पूर्ववर्ती सेवायोजकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अध्यादेश के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर करने के आदेश दे दिये गये हैं।

नगरपालिका पडरौना के अधिशासी अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी का वेतन

३०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना नगरपालिका के मुख्यालय के कर्मचारियों का अप्रल, १९७६ का वेतन रोक दिया गया था ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका पडरौना के समस्त कर्मचारियों का अप्रैल, १९७६ का वेतन नहीं रोका गया था। केवल अधिशासी अधिकारी तथा एक सफाई कर्मचारी के माह अप्रैल, १९७६ के वेतन का भुगतान इस कारण नहीं किया गया था कि अध्यक्ष ने एक सफाई कर्मचारी के माह दिसम्बर १९७५ में ९ दिन का वेतन अधिशासी अधिकारी के माह अप्रैल १९७६ के वेतन से काटने का आदेश दिया था जो कि अनियमित होने के कारण शासन द्वारा रद्द कर दिया गया था। तदोपरान्त अधिशासी अधिकारी व सफाई कर्मचारी के रुके हुए वेतन का भुगतान कर दिया गया।

नगरपालिका पडरौना के सफाई कर्मचारियों का वेतन

३१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त नगरपालिका के सफाई सेवकों तथा सेविकाओं को इस वर्ष दीपावली के अवसर पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका पडरौना में धनाभाव के कारण वर्ष १९७७ में दीपावली के अवकाश के पूर्व वहां के सफाई सेवकों तथा सेविकाओं को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। पालिका में धन प्राप्त होते ही दीपावली अवकाश की अवधि में उनको वेतन का भुगतान कर दिया गया।

अर्जक संघ व शोषित समाज दल द्वारा ग्राम दयानतपुर (कांधी) जिला कानपुर में चेतना दिवस पर रामायण व मनुस्मृति जलाये जाने की धमकी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

श्री बाबूराम शुक्ल तथा श्री राम आसरे जी का भी है इसमें।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

हम आपके माध्यम से कानपुर जनपद की एक ऐसी ज्वलन्त समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसको यदि समय रहते न रोका गया तो जनपद में न केवल वर्ग-विद्वेष बढ़ेगा वरन् ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम शुक्ल—]

सकती है, जिससे जातीय दंगा हो जाय । अर्जक संघ एवं शोषित समाज दल नामक संस्थाओं का कानपुर जनपद में ही जन्म हुआ था । इन संस्थाओं के संस्थापक आज भी कानपुर में ही निवास करते हैं । वैसे तो इन संस्थाओं की गतिविधियों से समाज में वर्ग विद्वेष एवं जातीय कटुता की भावना पैदा होती है, किन्तु इस माह की २९ व ३० तारीख को ग्राम दयानतपुर (कांधी) में चेतना दिवस के नाम से आयोजन किया जा रहा है, उससे हिन्दुओं के ही दो वर्गों म दंगा हो जाने की निश्चित सम्भावना प्रतीत होती है । उक्त आयोजन अर्जक संघ एवं शोषित समाज दल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसका प्रचार एक छपा हुआ पर्चा बांट कर किया जा रहा है । पर्चे में सरकार से मांग की गयी है कि आल इंडिया रेडियो से संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण समाप्त किया जाय, रेडियो पर प्रसारित रामायण पाठ को अविलम्ब बन्द किया जाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बन्द किया जाय । अर्जक संघ व शोषित समाज दल की ओर से सरकार को धमकी दी गयी है कि यदि उनकी उपर्युक्त मांगों को सरकार ने २९ अप्रैल, तक स्वीकार न किया गया तो वह ३० अप्रैल १९७८ को ग्राम दयानतपुर (कांधी) में सार्वजनिक स्थान पर रामायण व मनुस्मृति की होली जलावेंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी धारणा है कि यदि अर्जक संघ एवं शोषित समाज दल द्वारा निर्धारित तिथि पर रामायण व मनुस्मृति की होली जलाई जायगी तो इससे न केवल करोड़ों हिन्दुओं की धार्मिक भावना को ठेस लगेगी, वरन् हमें आशंका है कि उपर्युक्त ग्राम में हिन्दुओं के ही दो वर्गों में दंगा हो सकता है ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से शासन से मांग करते हैं कि यह ग्राम दयानतपुर (कांधी) में २९–३० को चेतना दिवस के नाम पर किये जा रहे आयोजन को तुरन्त रोकें, तथा आयोजकों, जिनके कि पर्चे पर भी अपील कर्ता के नाते नाम छपे हैं, के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करें । हम शासन से यह भी मांग करते हैं कि अर्जक संघ व शोषित समाज दल जो समाज में वर्ग विद्वेष, कटुता एवं बिलगाव की भावना पैदा करते हैं, पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

थाना कुरारा, हमीरपुर के एक सब इन्सपेक्टर द्वारा ग्राम उदनपुर, जिला हमीरपुर के एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं शासन का ध्यान जनपद हमीरपुर के एक पुलिस दरोगा द्वारा जालौन जनपद के एक निर्दोष नागरिक की गोली मार कर हत्या तथा दूसरे को गम्भीर रूप से घायल कर देने की लोक महत्व की गम्भीर घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

हमीरपुर जनपद में तनात दरोगा ने जालौन जनपद में कुराना थाने में पड़ने वाले ग्राम उदनपुर में ३० कारबाइन राइफल से एक व्यक्ति की जान से मार डाला तथा दूसरे को गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज कानपुर में लाला लाजपत राय हास्पिटल में काफी दिनों चला, तब उसकी जान बची ।

थाना कुरारा, हमीरपुर के एक सब-इन्सपेक्टर द्वारा ग्राम उदनपुर जिला हमीरपुर के एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ५९

घटना इस प्रकार बतलायी जाती है कि दिनांक १९ फरवरी, १९७८ को उक्त दरोगा रोडवेज की बस से कालपी से कुरारा की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी कुछ लोगों से कहा सुनी हो गयी। दरोगा ने ड्राइवर को आदेश दिया कि बस सीधी कुरारा थाने पर रोक दी जाय। जनपद जालौन के अन्तिम ग्राम उदनपुर में बहुत सी सवारियों ने जो वहां उतरना चाहती थी, शोर मचा कर ड्राइवर को बस रोकने पर मजबूर कर दिया। जसे ही बस वहां रुकी दरोगा भी वहां उतर पड़ा, और जिन लोगों से उसकी कहा सुनी हो गयी थी, उसको बदमाश कह कर पकड़ने को दौड़ा। सभी सवारियां तथा गांव के लोग दरोगा की धमकी से गांव की तरफ भागे। दरोगा ने उनका पीछा किया तथा भागते हुए लोगों पर ३० कारबाइन राइफल से फायर करना प्रारम्भ कर दिया। एक गोली ग्राम काना-खेड़ा के निवासी स्वामीदीन पुत्र श्री दुर्जन को लगी। यह व्यक्ति ग्राम उदनपुर में अपनी ससुराल लड़की की शादी के सम्बन्ध में जो कि कुछ ही दिनों में होने वाली थी, बात करने आया था। केवल इतने से ही दरोगा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने दूसरी गोली एक बारह वर्षीय ग्राम उदनपुर के ही निवासी बालक रामआसरे पुत्र श्री मंकूलाल को मार दी। पर भाग्य से उसकी गर्दन पर पड़ने वाली गोली गर्दन के बीच से न निकलकर कुछ किनारे से गर्दन से पार होती हुई निकल गयी।

इस घटना के बाद दरोगा ने दोनों घायलों तथा एक तीसरे व्यक्ति को जो कालपी का निवासी है कुरारा ले जाना चाहा पर ग्राम की जनता ने यह कान्ड देखकर हिम्मत बांध ली और बस को कुरारा न जाने देकर कदौरा थाने पर मजबूर कर दिया। दरोगा भी कदौरा आया, जहां पर चिकित्साधिकारी ने घायलों की हालत चिन्ताजनक बतायी। उन्हें तुरन्त कानपुर ले जाने की सलाह दी। घायलों के सम्बन्धियों ने रिपोर्ट दर्ज करानी चाही, परन्तु वह भी वहां नहीं लिखी गयी, न ही उनको घायलों को कानपुर ले जाने की अनुमति दी गयी। दरोगा दोनों घायलों को एक टैक्सी द्वारा हमीरपुर ले गया। तथा वहां दोनों घायलों को चार घंटे पड़े रहने के बाद ही कानपुर जाने दिया। चूंकि स्वामीदीन को इस बीच काफी रक्त निकल गया था, इसलिए उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गयी, दूसरे १२ वर्षीय बालक राम आसरे जो कानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां काफी मुश्किल से उसकी जान बच सकी। तीसरे आदमी को पकड़ कर दरोगा ने एक असलहा तथा फौज आदमी के एक हैंडग्रिनेड की बरामदगी दिखा दी। पता चला है कि जिस राइफल से उसने मारा है, उसका लाइसेंस उसके पास नहीं है। जिला अधिकारी, जालौन ने उक्त घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दे दिए हैं। पर दरोगा के वहां रहते निष्पक्ष जांच होना सम्भव नहीं है। दरोगा उदनपुर के ग्रामवासियों को जाकर धमकियां दे रहा है, जिसने भी उसकी खिलाफत की उसे भी गोली से मार दिया जायेगा। दरोगा के धमकियों के फलस्वरूप मृतक के रिश्तेदार तथा ग्रामवासी अपने पहले दिए हुए बयानों को बदलने पर मजबूर किए जा रहे ह। पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। अभी तक दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शासन से अनुरोध है कि अविलम्ब कार्यवाही की जाय तथा ऐसा वातावरण बनाया जाय, जिससे जांच निष्पक्ष हो सके।

ग्राम राम लोक, जिला खीरी के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के भू आवंटियों की फसल ग्राम रामपुर, थाना ईसानगर जिला खीरी के लोगों द्वारा काटे जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान ग्राम राम लोक परगना फिरोजाबाद तहसील धौरहरा जिला खीरी के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के भूमि आवंटियों की रबी की तैयार फसलों को ग्राम रामपुर, थाना ईसानगर जिला खीरी के कुछ आतंकवादी भूमि स्वामियों द्वारा फसल काटे जाने से रोकने तथा कटी फसल को जबरदस्ती उठा ले जाने से उत्पन्न भयंकर परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक १५ अप्रैल को लगभग ५० भूमिहीनों ने आकर अतिरिक्त जिलाधिकारी, खीरी को लखीमपुर आकर प्रार्थना पत्र दिए। अतिरिक्त जिला अधिकारी महोदय ने स्थानीय पुलिस और तहसीलदार धौरहरा को आदेश दिए किन्तु अभी कल १९ अप्रैल तक इन लोगों की फसल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री जी से गरीबों की फसल की सुरक्षा की व्यवस्था करने एवं वक्तव्य दिलाए जाने हेतु निवेदन करता हूं।

जिला जेल, एटा से अपराधियों की अनियमित रिहाई से जनता में आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

महोदय, आपके माध्यम से एटा जिला जेल से प्रशासन की तकनीकी गलती के कारण गत १५ दिनों में सैकड़ों भयंकर जघन्य अपराधियों की अनियमित रिहाई और उसके बाद जनपद में जघन्य अपराधों में आई बाढ़ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

एटा जनपद में जघन्य अपराधियों को प्रशासन द्वारा सामान्य तकनीकी जेल वारन्ट बनाने में गलती के कारण छोड़े जाने से शान्ति व्यवस्था को भारी संकट उत्पन्न हो गया है इस त्रुटि से जहां उच्च न्यायालय द्वारा जो जमानतें अस्वीकृत हो गयी थी वह भी जनपद एटा की अदालतों से जमानतें मंजूर कराके अपराधी रिहा हो गये हैं। इनकी रिहाई से जनपद में अपराधियों की भयंकर बाढ़ आ गयी है। अपराधी छूटकर अपराधों में जुट गये हैं। गत १५ दिनों में अकेले अलीगंज क्षेत्र में ही ५ डकैती तथा १० हत्यायें हो गयी हैं। पुलिस निष्क्रिय और अकर्मण्य है और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गयी है। क्षेत्र में भयंकर आतंक उत्पन्न हो गया है। शाम से ही रास्ते बन्द हो गये हैं। स्थिति निरन्तर विस्फोटक बनती जा रही है और शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब उचित व्यवस्था की मांग करता हूं।

बाराबंकी चीनी मिल मशीन की खराबी से बन्द होने के कारण किसानों के समक्ष कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बाराबंकी चीनी मिल की मशीन में खराबी हो जाने के कारण चीनी मिल विगत ४ दिन से बन्द हो गयी है मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मशीन की खराबी इस सत्र में ठीक हो पाना संभव नहीं है। अभी बाराबंकी मिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में हजारों एकड़ गन्ना खेतों म खड़ा है जिसकी सप्लाई व्यवस्था किसानों के हित में तत्काल आवश्यक है ।

पड़ोस की चीनी मिल बुढ़वल बिल्कुल ठीक हालत चल रही है । बाराबंकी चीनी मिल का गन्ना बुढ़वल चीनी मिल को आसानी से भेजा जा सकता है परन्तु अभी तक सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि बुढ़वल चीनी मिल के भी आज से वहां के अधिकारी बन्द करने जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बाराबंकी चीनी मिल के किसानों का गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायेगा ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बुढ़वल चीनी मिल को पेराई करने से तत्काल रोका जाय और बाराबंकी मिल क्षेत्र के गन्ने की सप्लाई बुढ़वल चीनी मिल को करने के निर्देश दिए जायें ताकि किसानों का गन्ना खेतों में न खड़ा रहे ।

विधान सभा सदस्य, श्री राम दत्त जोशी पर १८ अप्रैल, १९७८ की किच्छा रेलवे स्टेशन पर हमला तथा उनके लापता हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सखावत हुसैन (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, हमें विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है कि सदन के माननीय सदस्य, श्री रामदत्त जोशी पर १८ अप्रैल, १९७८ को किच्छा रेलवे स्टेशन पर उस समय प्राणघातक हमला हुआ जब वह काशीपुर एक मुकदमें के सम्बन्ध में जा रहे थे । कुछ अवांछनीय तत्वों ने उन्हें घेर कर बुरी तरह मारा-पीटा और गाड़ी में डालकर ले जाने लगे तो पुलिस ने बड़ी कठिनाई से उन्हें बचाया । श्री रामदत्त जी अभी तक लापता हैं तथा हमें भय है कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना घटित न हो गयी हो । श्री जोशी जी ने एक तार आपको तथा मुख्य मंत्री क भी भेजा है । मान्यवर, यह कृत्य उन अवांछनीय तत्वों को बताया जाता है जिन्होंने पंतनगर की विषम परिस्थिति से लाभ उठाकर व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावनाओं से प्रेरित होकर अराजकता पैदा कर दी है । इन तत्वों ने कई सौ छात्रों और कर्मचारियों को बन्दी बना रखा है और वे तड़प तड़प कर मर रहे हैं । पता चला है, उनमें कई लोगों की हत्या भी कर दी गयी है । पंतनगर में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति लूट ली गयी है और करोड़ों की नष्ट हो गयी है । पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां अधिकतर मर गयी हैं तथा मिल्क डेयरी में काफी गायें मर गई हैं । इस समय वहां पूर्ण अराजकता है । जिला प्रशासन पूर्णतया निष्क्रिय है । हम लोग आपके द्वारा शासन से निवेदन करते हैं कि विश्वविद्यालय को तुरन्त बन्द कर दिया जाय तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और उसके विद्यार्थियों और कर्मचारियों के जीवन की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाय । जिला प्रशासन को कठोर आदेश दिए जायं कि यदि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या किसी को खतरा हुआ तो वह उत्तरदायी होंगे ।

शासन से यह भी निवेदन है कि श्री रामदत्त जोशी की तलाश की जाय और उनके जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम दत्त जोशी जी का जो तार मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसका हिन्दी रूपान्तर पढ़ कर सुनाये देता हूं जो इस प्रकार है :

"पंत नगर के विद्यार्थियों ने किच्छा रेलवे स्टेशन पर मेरा घेराव किया और हमला किया, मुझे पकड़ कर ले गये उस कम्पार्टमेंट से, उनकी मंशा थी कि मुझे पंतनगर ले जायं और दिखायें कि किस प्रकार से गन्ने के खेत में राख हो जाती है। पुलिस ने मुझे बचाया। मेरा जीवन खतरे में है।"

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, यह आपको कब मिला है ?

श्री अध्यक्ष--

यह मुझे आज सुबह मिला।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जोशी जी का यह तार है। उन्होंने यहां पर एक वक्तव्य दिया था, उससे हम सहमत हों या न हों। उन्होंने एक सदस्य के नाते एक फर्ज अदा किया और वे यहां से गये। इस तार के अनुसार यह मालूम होता है कि वे वापस गये और किच्छा स्टेशन पर उनका घेराव हुआ। स्टेशन से तार आता है कि मेरा घेराव हुआ, उसके बाद पता नहीं चलता है कि जोशी जी कहां हैं। यह उनका ही सवाल नहीं है कल यह सदन के किसी अन्य माननीय सदस्य के साथ भी हो सकता है। सदन में हम किसी के खिलाफ अप्रिय बात कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि तमाम बातों में एक मेल हो, एक एग्रीमेंट हो। इसलिए आपकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार यह बताये कि क्या व्यवस्था है ? इस प्रकार से अगर माननीय सदस्य लापता हो जायेंगे, अपना कार्य करने पर, तो फिर वे किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

मान्यवर, आपको और माननीय मुख्य मंत्री जी को जोशी जी ने तार भेजा है और जैसा मुझे बताया गया यह तार कल मिला था। यदि यह तार माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मिला तो उस की प्राप्ति के बाद क्या उन्होंने थाने से कोई रिपोर्ट मंगायी कि जोशी जी इस समय कहां हैं। आपको इसकी सूचना तुरन्त दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए ? क्योंकि माननीय जोशी जी के बारे में जो हमको घटना मालूम हुई है वह इस प्रकार हुई है कि जोशी जी जिस समय किच्छा पहुंचे उनको गाड़ी से उतार कर बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा और मारने-पीटने के बाद उसी रेल के डिब्बे में उनको डाल दिया गया और कहा गया कि पन्तनगर चलकर हम तुम को बता देंगे कि किस प्रकार गन्ने के खेत में आदमी जलते हैं। उस समय हमारे एक पुराने पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की पुलिस ने मिन्नत करके उनको वहां से उतारा और उतारने के बाद थाने ले गये। बड़ा आश्चर्य है कि जब पुलिस ने उन लोगों से कहा कि उनका जीवन खतरे में है तो पुलिस ने कोई मदद जिला नैनीताल के एस० पी० से नहीं ली। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। अगर तार मिल गया है तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री से कल मैंने चर्चा में उन्हें सूचना भी दी थी कि पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थिति बड़ी विस्फोटक है। वहां जो छात्र अध्यापक तथा कर्मचारी हैं वहां एक ऐसी भावना कुछ व्याप्त हो गयी है कि पूरब और पश्चिम की, चाहे उसके कारण जो कुछ रहे हों, वे अपने लिए असुरक्षित अनुभव करते हैं। मैं आपसे और इस सम्मानित सदन से यह आग्रह करूंगा कि उनकी रक्षा की जाय और पूर्ण व्यवस्था करके आश्वस्त करने की कृपा करें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मुझे कुछ सूचना है। मेरे पास पंतनगर के कुछ अध्यापक और विद्यार्थी कल आये और मैंने उनसे जानकारी की और मुझे मालूम था कि जोशी जी को आज वापस जाना था, मैं उनके घर भी गया और उनके परिवार के लोग कुछ मौजूद हैं। वह आतंकित हैं। जोशी जी को टेलीफोन करने की भी कोशिश की। रात में मुख्य मंत्री जी से मिला था, आपसे भी मिलने की कोशिश की। जोशी जी का कोई पता नहीं है यह बताया गया। पन्तनगर विश्वविद्यालय एशिया का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें करोड़ों रुपय की संपत्ति है। उसके अन्दर जो मुर्गी फार्म था वह सब नष्ट हो गया बुरे तरीके से। डेरी फार्म में कुछ गायें थीं वह मर चुकी हैं। विद्यार्थियों और कर्मचारियों के परिवार बड़े आतंकित हैं, कुछ लोग भाग कर आये हैं उनसे मालूम हुआ कि कई कत्ल हो चुके हैं। वहां ला एंड आर्डर कुछ नहीं है। स्थानीय शासन कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। किसी को अन्दर नहीं घुसने देते हैं। जितनी जीपें हैं उनमें सारे का सारा पेट्रोल डाल करके एक पक्ष के विद्यार्थी आस-पास में घूम रहे हैं। वहां पेट्रोल पम्प पर कोई नहीं रहा। तो मुख्य मंत्री जी को यह सूचना भी पढ़ी गयी है। वहां अगर कोई अनहोनी घटना घट गयी तो उसका प्रभाव बहुत बुरा होगा। वहां दूसरे पक्ष के लोग घूम रहे हैं और दूसरे कुछ लोग हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गय हैं और पूरब पश्चिम की बात फैलाई जाती है। मैं बड़ौत में एग्रिकल्चर कालेज के बारे में जानता हूं। वहां ३-४ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। रोहतक और हरियाणा कोई बात पैदा हुई तो बड़ी दुखपूर्ण घटना हो जायगी। इसलिए मुख्य मंत्री जी को विश्वविद्यालय को पूर्णतया बन्द करके जो करोड़ों रुपया की संपति है उसको बचाने की फिक्र करनी चाहिए। जो गेहूं की फसल खड़ी है उसको काट करके बेचने की व्यवस्था करें और जो डेरी है उसकी रक्षा करें। जो वहां फैमिलीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए।

इससे पहले एक चेतावनी रामदत्त जोशी ने दी थी। अब यह घटना घटित हुई। मैं चेतावनी देता हूं कि अगर तुरन्त विश्वविद्यालय को बन्द नहीं किया गया तो उस विश्वविद्यालय में दूसरा कांड होने की आशंका है और उसकी जिम्मेदारी हम सब पर होगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं जो कुछ भी बात आपके द्वारा कहूंगा वह सिर्फ जोशी जी, सदस्य विधान सभा के संबंध में कहूंगा। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम जब पूरे सूबे से प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं और बड़े पेचीदा और गम्भीर मसले रोजाना ही इस माननीय सदन में आते हैं। पिछले दिनों से माननीय सदस्य, फैजाबाद का झंडा आज तक गायब है। माननीय सदस्य बरेली, श्री अहमद रजा खां के ऊपर दिन-दहाड़े गोली चली।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

इस माननीय सदन में जो जोशी जी का कर्त्तव्य था उसको निभाने के बाद जब वे जा रहे थे तो यह घटना हुई जिसकी सूचना तार द्वारा आपको भी मिली है और माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी मिली है। माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी के साथ भी ऐसी घटना हुई, उन पर भी हमला हुआ। प्रश्न यह है कि यह सदन प्रदेश की सारी समस्याओं पर विचार कर उन पर निर्णय लेने के लिए बैठा है। यह ला एन्ड आर्डर का मसला आखिर कैसे हल होगा ? हमारे सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप इसके लिए मान्यवर, कोई हल निकालें। इस वक्त जोशी जी कहां है और उनकी रक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें ? ठीक समझें तो आप दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर, उनसे परामर्श करके, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए कोई हल निकालें। यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, जिस तरह की सूचना आयी है और यहां बतायी गयी है, हमारा सम्पर्क वहां से बराबर बना हुआ है और इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि वहां की स्थिति जो बिगड़ी थी, वह बनती जाये और इसी को ध्यान में रख कर कल यहां के अधिकारियों की जिसमें ए० पी० सी०, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कृषि मंत्री, वहां के कमिश्नर और जो इस समय वहां कार्यवाहक वाइस चान्सलर नियुक्त हुये हैं वे भी रहेंगे, उन सब की एक मीटिंग बुलाई है और उसमें इन सारे प्रश्नों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा और विचार करने के बाद अगर यह ठीक समझा गया कि विश्वविद्यालय को ७-८ दिन के लिए बन्द कर दिया जाये तो वह बन्द कर दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी। माननीय जोशी जी के साथ जो घटना बतायी गयी है उस की भी पूरी तरह से जांच की जायेगी. . . (व्यवधान) ऐसा नहीं है कि जो भावना जोशी जी के प्रति आपके मन में है, हमारे मन में नहीं है। इस बारे में पता लगाने के बाद मैं सदन को सूचित करूंगा कि क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, टेलीग्राम यह आया है कि उनकी जान को खतरा है। श्री जोशी जी इस वक्त कहां हैं ? (व्यवधान) उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ? उन्होंने जब यह लिखा है कि पुलिस ने उनकी रक्षा की, तो क्या पुलिस ने कोई सूचना आपको दी है ?

यहां पर प्रत्येक माननीय सदस्य अपने विचारों को रख सकता है। यह उसका कर्त्तव्य है और उस कर्त्तव्य के पालन में यदि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की बाधा डालता है तो निश्चय ही वह सदन का अवमान है। यदि मेरे सामने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता, तो यकीनन यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता कि किसी माननीय सदस्य को अपने कर्त्तव्य पालन करने में आतंकित किया जाये, उस पर प्रहार किया जाये। अगर इस प्रकार से घटनाएं होती हैं, तो कोई सदस्य यहां पर स्वतन्त्रता पूर्वक अपने विचारों को नहीं रख सकता है, विचार उनका कुछ भी हो, सदन में मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने की निर्भीकतापूर्ण पूरी आजादी है और उस आजादी की रक्षा करना कर्त्तव्य यहां पर हो जाता है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से चाहूंगा कि अविलम्ब इसका पता लगाया जाय कि श्री राम दत्त जोशी कहां हैं। उनका जीवन, जैसा उन्होंने तार में लिखा है, खतरे में है। वहां की पुलिस द्वारा उनकी रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? साथ ही साथ, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेशन पर उन्हें खड़ा किया, उनको पीटा गया। उन सब व्यक्तियों का पता लगाया जाय और सदन में सूचना दी जाय ताकि मैं इस पर विचार कर सकूं और इसको विशेषाधिकार समिति में भेज कर सदन के सामने उसको अभियुक्त की शक्ल में लाकर खड़ा किया जा सके। (व्यवधान)

आप लोग शान्त रहिये।

एक सदस्य—

जो तार आपको मिला, क्या मुख्य मंत्री को भी वह तार मिला कि नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

जो प्रश्न आया है, मैं भी इसको गम्भीर समझता हूं। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न आता है। इस पर कहीं आघात पहुंचता है तो सचमुच वह लोकतन्त्र पर आघात समझा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अभी से उनका पता लगाना शुरू करूंगा और सदन को ४ बजे सूचित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं पता लगाऊंगा। यहां पर इस प्रश्न पर विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि ४ बजे तक सम्पर्क स्थापित करके श्री राम दत्त जोशी के बारे में पूरा पता बतायें कि उनकी स्थिति क्या है, कहां पर हैं ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, एक सूचना दे रहा हूं केवल। अध्यक्ष जी, ऐसा था कि मैं केवल मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुनने के लिए बैठा हुआ था, कल राम दत्त जोशी जी के परिवार के एक सदस्य मेरे पास आए और बहुत दुःखी थे, तो मैंने मुख्य मंत्री जी के पास उनको भेजा। रात में मुख्य मंत्री जी ने यही उत्तर दिया कि मैं इसकी तलाश कर रहा हूं। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज भी यही उत्तर मिल रहा है कि अभी जांच हो रही है। माननीय सदस्यों की सुरक्षा का यह सवाल है। वह खतरे में हैं। जो आपको टेलीग्राम आया है, उसमें लिखा है कि मेरी जिन्दगी खतरे में है। इस बात की अहमियत मुख्य मंत्री जी ने न रात को समझी और न अब समझे। हम जो माननीय सदन के सदस्य हैं, जब उनकी सुरक्षा की इतनी उपेक्षा की जायगी और उस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया जायगा, तो मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, उस सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मान्यवर, आप का कर्तव्य है। मुझे सबसे ज्यादा निराशा इस बात की हुई कि रात में भी यही उत्तर और इस समय भी यह उत्तर आया।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह सम्मानित सदस्य गुलाब सेहरा ने जो कहा कि मैंने उनके परिवार के सदस्य को उनके पास भेजा, मेरे पास उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया था, लेकिन इतना है कि उस सम्बन्ध में जैसा कि आपने निर्देश दिया है और मैं वहीं कहने के लिए खड़ा हुआ था कि मैं पता लगा कर ४ बजे सदन को सूचित करूंगा।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अभी तार के सिलसिले में आपने पढ़कर बतलाया कि माननीय राम दत्त जोशी ने तार में लिखा है कि उनकी जान खतरे में है और पुलिस ने उनको बचाया। इसके माने यह है कि पुलिस का हस्तक्षेप हुआ और एक समय था कि वह पुलिस के साथ थे। तो उसके बाद उस वक्त से कहां हैं, जैसा बताया गया कि पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो थाने पर मालूम हुआ होगा, तो पुलिस ने उनको सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की वहां पर, यह जानने में मुख्य मंत्री को क्या परेशानी है कि फौरन क्यों नहीं मालूम किया जा सकता है ?

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मेरा निवेदन यह है कि जोशी जी ने जो तार भेजा है वह १८ तारीख को १० बजकर कुछ मिनट पर भेजा है। आज २० तारीख है। कल तार मिल गया होगा या परसों ही तार मिल गया होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मुझको २० तारीख को मिला है।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री को कोई तार मिला है ?

श्री ऊदल—

मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं। तो काफी समय बीत गया है। मुख्य मंत्री को कब तार मिला और वह तार कब चला था। इसका जिक्र मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया है। तो इतनी गंभीर समस्या के बारे में अब तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। मैं समझता हूं कि यह शासन के लिए और माननीय सदन के लिए भी बहुत गंभीर बात है। तमाम साधन हैं, हेलीकाप्टर है घंटे भर में पहुंचा जा सकता है। एक माननीय सदस्य की जान खतरे में पड़ गई है। उनका पता नहीं है कि क्या हुआ ? और अब साढ़े बारह बज रहे हैं। अभी तक उनके बारे में कोई सूचना नहीं है इसलिए इस मसले को मैं बहुत गंभीर मानता हूं और इस शासन को चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि अगर शासन इस तरह की उपेक्षापूर्ण नीति अख्तयार करेगा तो प्रदेश का कुछ भला नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी, आप मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए। १८ तारीख को यह चला हुआ है। लेकिन आज मुझको २० तारीख को मिला है। उसमें लिखा है कि किच्छा की पुलिस ने मेरी रक्षा की। तो तार में देर हो सकती है। क्या कोई वायरलेस मैसेज किच्छा की पुलिस ने भिजवाया या नहीं ? यह १८ तारीख का है। १९, २० दो दिन हो जाते हैं। आपको यह तार कब मिला ? क्या आपको कोई वायरलेस मैसेज मिला, वहां के अधिकारियों ने टेलीफोन से कोई सूचना दी ? यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में स्थिति बतायें ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जहां तक तार का सम्बन्ध है, अभी तक मेरे सामने कोई तार नहीं आया। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरेश यादव—

मैं देखूंगा कि कार्यालय में कोई तार आया है और उसके बाद जो मुझे पता लगेगा सारी जानकारी करने के बाद तो जैसा मैंने कहा कि सारी चीजों की गंभीरता को देखते हुये, यह गंभीर मसला है, प्रदेश की साधारण जनता का सवाल है, माननीय सदस्य का सवाल होने के नाते .....

(शोर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरी सूचना ही नहीं आई। इतना गंभीर प्रश्न है इस बात को देखते हुये मैं सदन का त्याग 10 मिनट के लिये करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री ऊधल—

मान्यवर, एक माननीय सदस्य की जान संकट में पड़ी है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊधल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोई तार नहीं मिला है। आप ताज्जुब करेंगे कि सूचना नहीं है। एक हमारे विधायक जिसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे सकती है इसके लिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गुलाब सेहरा अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग इतना उत्तेजित न हों। यह विषय विवाद का नहीं है। मामला साफ आपके सामने है। केवल इस पर अपने अपने मत प्रकट करें। आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो कोई रामदत्त की सहायता नहीं करेंगे। नयी बात आप कहना चाहें तो वह कहें वरना पुनरावृत्ति न कीजिये।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वहां जो भावना फैलाई गयी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं, चाहे अफसर हों या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सभी के मकानों को घेर लिया गया है। वहां के वाइस चांसलर नदारत हैं। (व्यवधान) वहां पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां इन्दिरा गांधी के लोग और तिवारी जी गये हैं। आज नेशनल हेराल्ड में खबर छपी है कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। इसलिए वहां संघर्ष हो जाने का खतरा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो राजनैतिक द्वेष फैला रहे हैं उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाय और उनको गिरफ्तार किया जाय। चूंकि इस तरह समाज में अशांति फैलना ठीक नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। सवाल सीधा है। इस समय पन्त नगर यूनिवर्सिटी की शांति व्यवस्था का प्रश्न हमारे सामने नहीं था। इस संबंध में श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने,

[श्री अध्यक्ष--]

माधव जी ने तथा और माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया कि यूनिवर्सिटी में तत्काल व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाय। लेकिन सबसे बड़ा जो तात्कालिक प्रश्न है वह यह है कि श्री राम दत्त जोशी के जीवन को खतरा है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा उत्तेजना से ऊपर उठकर इसमें सहायता करें। उत्तेजनापूर्वक भाषण देने से समस्या का हल कोई नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पूर्व और पश्चिम का प्रश्न हमारे दिमागों में उपस्थित करना नहीं है, बल्कि हम केवल इस प्रदेश के ही निवासी नहीं, हमारा देश एक है और हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। इसलिए यदि कहीं पर कोई व्यक्ति, हो सकता है वह पूर्व का हो या पश्चिम का हो, यदि अत्याचार करता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह न पूर्व का है और न पश्चिम का है बल्कि वह दोषी व्यक्ति है। इसलिए मेरा अनुरोध है, चूंकि आप पर विशेष उत्तरदायित्व है, यदि आप भावनाओं में बहकर संकीर्ण विचार रखेंगे तो इससे प्रदेश का अहित होगा। इसलिए पूर्व पश्चिम की घटना ले कर यहां कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होना चाहिये। यह घटना बड़ी बुलंद घटना है इसलिए न्यायिक जांच बिठा दी गयी है। मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी अधिकारी असावधानी के लिए या जिन्होंने बल का प्रयोग शक्ति से अधिक किया या जो भी व्यक्ति वहां के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और जो वहां अराजकता की स्थिति पैदा की है, वह सब न्यायालय के सामने होंगे जिसमें उसकी फाइडिंग होगी और मुख्य मन्त्री ने आश्वस्त किया है कि कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जायेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर आप चर्चा बन्द करें और ४ बजे तक प्रतीक्षा करें। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को अत्यधिक महत्व दें। एक बात की और मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह तार मेरे कार्यालय में मिल गया। तो आपके कार्यालय म भी यदि यह तार मिला हो तो वह कौन अधिकारी है आपके कार्यालय में जो इस तरह की असावधानी करते हैं। उनको पहला कर्त्तव्य था कि वह आपको नोटिस में यह तार लाते। इसलिए जिस अधिकारी ने इस तार को अभी तक आपके सामने नहीं रखा। उसने असावधानी बरती है। अतः आप इसकी जांच करें कि तार प्राप्त हुआ है और जिस अधिकारी ने लापरवाही की है उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्यवाही करें।

आप सब से अनुरोध करता हूं कि इस पर विवाद समाप्त करें।

(श्री श्याम दत्त पालीवाल के खड़े होने पर)

पालीवाल जी मैं आप को अब आज्ञा नहीं दूंगा। मैं अब दूसरा प्रश्न लूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी तुरन्त अपने अधिकारियों को आदेश दें कि तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया जाय। आवश्यकता हो तो होम सेक्रेटरी या आई० जी० पुलिस को हेलीकोप्टर के द्वारा तुरन्त भेजा जाय और माननीय राम दत्त जोशी को यहां पर सदन के अन्दर सुरक्षित लाया जाय। इसकी तुरन्त आप व्यवस्था करें।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, कमिश्नर के यहां से एक सूचना मिली है जिसे मैं सुना रहा हूं। उसमें लिखा गया है 'किच्छा पोलिस प्राम्पटली रीच्ड ,रेलवे स्टेशन एन्ड एसकार्टेड आउट श्री जोशी सेफली।'

इतनी तक का टेलेक्स हम को मिला है।

श्री अध्यक्ष--

कब का है मुख्य मंत्री जी ?

श्री राम नरेश यादव--

यह कल का है, १९ तारीख का ।

श्री अध्यक्ष--

आज कोई और सूचना उसके बाद आपको प्राप्त हुई श्री राम दत्त जोशी के बारे में या नहीं तुरन्त इसको देखें ?

(श्री रमा शंकर कौशिक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न पर अब मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इस पर कोई बात नहीं करूंगा । यह जो प्रश्न उठाया गया इसमें दो मुद्दे थे, दो बातें थी । एक तो माननीय राम दत्त जोशी ...

श्री अध्यक्ष--

आप को इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप बैठ जाइये मैं अनुमति नहीं दूंगा । आप स्थान ग्रहण करें, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

फैजाबाद के एम० एल० ए० के बारे...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

सम्भल, मुरादाबाद में ग्रामीण अंचल के हाई स्कूल के छात्रों की परीक्षा में हो रही कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय सदन की मार्फत शासन का ध्यान सम्भल, जिला मुरादाबाद में हाई स्कूल के ग्रामीण अंचल के छात्रों की परीक्षा में हो रही अत्यन्त दिक्कत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन् सैकड़ों छात्रों के एक वर्ष व्यर्थ जाने का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । श्रीमन् जैसा माननीय सदन जानता है, सम्भल में २९ मार्च को हुए झगड़े से गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ और कर्फ्यू लागू हुआ । यद्यपि अब स्थिति काबू में तथा शान्तिपूर्ण है, किन्तु पूर्णतः सामान्य नहीं है । सम्भल के सभी केन्द्रों की हाई स्कूल परीक्षायें, जो ११ अप्रैल से प्रारम्भ हुई, २४ अप्रैल तक के लिये स्थगित करनी पड़ी । श्रीमन् सम्भल के विभिन्न केन्द्रों पर ग्रामीण अंचल के रतूपुरा, तरगौरी, सौक्षगली, असमोली तथा चन्दावली हाई स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देनी है । सम्भव में क्योंकि पूर्णतः सामान्य स्थिति नहीं है, अतः उपरोक्त ग्रामीण स्कूलों के छात्रों का सम्भल में रहने के लिये स्थान बना कर परीक्षा देना नामुमकिन है । मैं शासन का ध्यान इस गम्भीर स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए शासन से अपेक्षा करता हूं कि उपरोक्त छात्रों के वर्ष को व्यर्थ न जाने देने के लिये ग्रामीण स्कूल में इन छात्रों का केन्द्र बना दें । ग्राम चन्दावली के स्कूल में केन्द्र बनाया जा सकता है । यह स्कूल सम्भल से ८ मील सड़क के किनारे स्थित है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

शिक्षा मंत्री जी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । विद्यार्थियों का प्रश्न है । आप कृपया तुरन्त उनकी व्यवस्था करेंगे ।

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

श्रीमन्, सवेरे माननीय कौशिक जी ने यह बात बतलाई थी और यहां से आदेश दे दिए गए हैं और जैसा कि उन्होंने बताया था कि चन्दावली स्कूल में व्यवस्था करा दी जाय । व्यवस्था के आदेश सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दे दिए गए हैं, व्यवस्था हो जायगी ।

क्लाइव रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद निवासी एक वृद्ध महिला को जबरदस्ती उसके घर से निकाल कर एक वकील द्वारा कब्जा किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

(श्री अरुण कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

जिस अंश को मैंने मना किया उसको आप नहीं पढ़ेंगे ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

आपके माध्यम से दिनांक १३ अप्रैल, १९७८ को इलाहाबाद नगर के सिविल लाइन क्षेत्र में २३/२९, क्लाइव रोड बंगले में एक हाई कोर्ट के वकील ने बंगले में गत ७२ वर्षों से भी अधिक समय से निवास कर रही एक महिला क्रिश्चियन वृद्धा को निकाल बाहर करके जबरदस्ती पिछवाड़े से मकान में घुस कर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियन वृद्धा का सामान उठा कर बाहर फेंक दिया गया । चूंकि क्रिश्चियन वृद्धा महिला मिस कानवे जो लगभग ७२ वर्ष से भी अधिक आयु की हैं और अविवाहित एवं असहाय है, उस पर इस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है । वृद्धा अल्पसंख्यक समुदाय की क्रिश्चियन महिला ने मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, गृह मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री, भारत सरकार, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक, जिलाधीश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को तार द्वारा सूचित किया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और वृद्धा महिला दर-दर भटक रही है । लेकिन प्रशासन के ऊपर से नीचे तक के सभी अधिकारी बर्बरतापूर्ण कृत्य के प्रति मौन हैं। क्या सरकार असहाय अल्प संख्यक समुदाय की इस वृद्धा महिला को गृह विहीन करके सड़क पर फेंक देने में ही प्रजातन्त्र के नाम पर दुआ देते हुए ऐसी ही कारगुजारियां करेगी ? बचपन से उस मकान में निवास कर रही वृद्धा को कमजोर पाकर इस प्रकार की कार्यवाही से इलाहाबाद के सभी क्रिश्चियन लोगों में तथा अन्य सभी लोगों में सरकार के प्रति बड़ा असंतोष फैला है । वृद्ध महिला को पूर्ववत रहने दिया जाय और बलात अधिकार करने वाले सज्जन तथा अधिकारियों के प्रति जांच कराई जाय ।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं ।

गोंडा जिले में तुलसीपुर में देवी पाटन मेले में महिलाओं द्वारा अनैतिक व्यापार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

महोदय, मुझे अत्यधिक दुख के साथ यह बात आपके माध्यम से इस शासन को सूचित करना पड़ रही है कि देवीपाटन मेला तुलसीपुर कस्बे में गोंडा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिले में दिनांक ८ अप्रैल, १९७८ से चल रहा है। इस मेले में देश के प्रत्येक भाग से लगभग ३०० औरतें इस समय आई हुई हैं जो अपनी अस्मत को बेच रही हैं। यह मेला लगभग १ माह तक चलता है। अभी भी यह चल रहा है। इस मेले में इस समय लगभग ३०० औरतें टेन्ट लगा करके अपने अस्मत को बेच रही हैं। इन ३०० औरतों में लगभग १०० लड़कियां होंगी जो लगभग १०, १२ साल की उम्र की हैं जो अपनी अस्मत को बेच रही हैं। महोदय दुख की बात यह भी है कि इस मेले में पुलिस की ड्यूटी लगती है तथा एक मैजिस्ट्रेट भी रहता है। पुलिस के लोग इन औरतों से २ रु० ले करके यह धन्धा करवाते हैं। जिले में उच्चाधिकारी प्रायः रोज ही इस मेले में जाते हैं। परन्तु इस अनैतिक कृत्य को कोई देखने व रोकने वाला नहीं है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि समाज में कोई कानून व व्यवस्था नहीं है। जबकि इस प्रकार से छोटी-छोटी बालिकायें अपने जिस्म को बेच रही हैं, पुलिस के कर्मचारीगण केवल पैसा कमाने में लगे हैं तथा मेले के आयोजक भी धर्म के नाम पर अधर्म का काम करा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से इस शासन से मांग करता हूं कि इस प्रकार के घिनौने कार्य को तत्काल रोका जाय तथा आज ही यह शासन एक उच्च अधिकारी, लखनऊ से भेज कर के तत्काल जांच करा लें। जो लोग इस प्रकार अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके विरुद्ध शासन कार्यवाही करे तथा जो पुलिस के अधिकारी व अन्य अधिकारी इस प्रकार के अनैतिक कार्यों में सहयोगी हैं तत्काल दन्ड दिया जाय। यह इस पूंजीवाद समाज के लिए अभिशाप है तथा वर्तमान शासन के नाम पर एक कलंक है।

मैं चाहूंगा आप मुख्य मन्त्री जी से कह दें तो वह किसी को भेज देंगे और सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपने सूचना दे दी। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैंने भी ३०१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जो बड़े महत्व की है। उसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

आप उसे पुनः सोमवार को दे दीजिएगा। मैं ले लूंगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मेरी भी एक सूचना थी। लाखों रुपये की गड़बड़ी का मामला।

श्री अध्यक्ष--

आज तो उसकी अनुमति नहीं दी गयी है। आप पुनः सोमवार को दे देंगे तो मैं उसे देख लूंगा।

नन्दा देवी में गंगोत्री में विषाक्त आणुविक यंत्र रखे जाने के सम्बन्ध में सूचना की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इससे पहले कि सचिव घोषणा करें, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रश्न रखना चाहता हूं। आपके सामने एक सप्ताह पहले मैंने एक कार्य-स्थगन का प्रश्न रखा था और कुछ माननीय सदस्यों ने उसे नियम ५१ में दिया था। वह गंगोत्री पर परिमाणु यंत्र रखने के बारे में था, जिसके बारे में अखबारों में सूचनायें मिलती हैं। लेकिन उसका हमारे लिए कोई माने नहीं है। इसके सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी आपने कहा था कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत सूचना दी जायेगी। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को निर्देश दिया था कि इसकी जांच कराकर सदन को सूचित करें। यहां पर इस समय माननीय शिक्षा मन्त्री जी हैं। मैं पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नन्दा देवी पर जो विषाक्त आणविक यंत्र रखा गया है, उसके सम्बन्ध में सरकार सूचना प्राप्त करके इस सदन में वक्तव्य देने की कृपा करायें।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक १७ अप्रैल, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक १३ अप्रैल, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है ।

गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं विशेषाधिकार की सूचनायें ले रहा हूं

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने ६ अप्रैल, १९७८ को शून्य प्रहर में पंतनगर विश्वविद्यालय का दस लाख क्विंटल गन्ना किच्छा मिल को आरक्षित करने से गन्ना किसानों में उत्पन्न भय एवं आक्रोश की ओर सदन का ध्यान दिलाया था ।

मैंने माननीय गन्ना विकास मन्त्री से इस सम्बन्ध में कहा था कि स्थिति अत्यन्त भयानक हो सकती है, इसलिए इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य दें । माननीय श्री चतुर्वेदी ने १३ अप्रैल, १९७८ को पत्र द्वारा पुनः मुझे सूचित किया कि गन्ना विकास मन्त्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है । मैंने इस सम्बन्ध में गन्ना विकास मन्त्री को शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य देने का पुनः निर्देश दिया था ।

मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पूर्व माननीय गन्ना विकास मन्त्री से यह चाहूंगा कि वे मुझे वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें कि अभी तक इस सम्बन्ध में वक्तव्य न दिए जाने का क्या कारण है ?

मैंने पुनः गन्ना विकास मन्त्री जी से कहा है, वह आज सदन में उपस्थित नहीं हैं । (श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी के खड़े होने पर) आप इस सम्बन्ध में इस वक्त प्रश्न न करें ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

एक मिनट सुन लें, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

नियम के विरुद्ध मैं कोई चीज नहीं लूंगा । यदि अध्यक्ष ऐसे प्रश्न पर अपनी सहायता के लिए जब सुनना चाहें तभी कह सकते हैं । इसमें मैं आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता हूं । मैं पहले गन्ना विकास मन्त्री से सूचना प्राप्त कर लूंगा तभी मैं देखूंगा ।

दैनिक, 'अमृत प्रभात' के सम्पादक तथा पी० टी० आई० से सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने इलाहाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "अमृत प्रभात" के सम्पादक तथा पी० टी० आई के सम्बन्धित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त पत्र के १८ अप्रैल, १९७८ के प्रातः संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर "विधान सभा में पन्तनगर गोली कान्ड को लेकर जबरदस्त हंगामा" शीर्षक के समाचार में कहा गया है कि "बहस के दौरान जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सोहनवीर सिंह तोमर व रवीन्द्र सिंह सहित कई अन्य सदस्यों ने कहा..." माननीय सदस्य का कहना है कि १७ अप्रैल, १९७८ को पन्तनगर कान्ड की बहस में उन्होंने तथा सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व रवीन्द्र सिंह ने कोई भाषण नहीं दिया। उक्त समाचार पत्र ने विधान सभा की कार्यवाही को जानबूझकर गलत ढंग से छापा है तथा सम्बन्धित माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया है।

इससे पूर्व कि मैं इस विषय पर कोई निर्णय दूं, मैं दैनिक "अमृत प्रभात" के सम्पादक और पी० टी० आई० के सम्बन्धित सम्वाददाता से वस्तुस्थिति की जानकारी चाहूंगा। जानकारी आने के बाद आवश्यकता हुई, तो माननीय श्री तोमर जी को सहायता लूंगा और उनका पक्ष भी सुनूंगा, तभी मैं इस पर कोई अपना निर्णय दूंगा।

श्री श्रीराम द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री जय शंकर पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने श्री श्रीराम द्विवेदी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय श्री जय शंकर पाण्डेय का कहना है कि १७ अप्रैल, १९७८ को माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी ने सदन में यह आरोप लगाया कि १६ अप्रैल, १९७८ को कुछ लोगों ने माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री के सम्मुख उन पर हमला किया तथा उनके अंगरक्षक को लापता कर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में सदन में कहा था कि इसकी जांच की जायगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी तथा सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। माननीय श्री जय शंकर पाण्डेय का कहना है कि श्री श्रीराम द्विवेदी ने अपने विधायक के अधिकारों का दुरुपयोग करके सदन को जानबूझकर गलत सूचना दी और सदन के सम्मुख निराधार तथ्य रखे। रिवाल्वर के गायब होने की घटना तथा उनका शंडो गायब कर दिया गया, यह निराधार है। माननीय श्री जय शंकर पाण्डेय ने कहा है कि असल तथ्य है कि शंडो ने स्वयं श्री द्विवेदी के निर्देश पर जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखाई और उन्हीं के कहने पर शंडो ने कुछ लोगों पर रिवाल्वर निकाल कर हमला करने की चेष्टा की तथा गालियां दी, जिस पर पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने उसको कोतवाली में बन्द करवाया तथा उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब जय शंकर पण्डेय जी, कृपया आप बहुत संक्षेप में कहें और फिर मैं श्री श्रीराम द्विवेदी जिन पर आरोप है, से भी जानकारी चाहूंगा।

*श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, १६ तारीख की फैजाबाद जनता पार्टी के कार्यालय की दिन के २ बजे माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री गये हुए थे। माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं से कुछ बात कर रहे थे, बात के दौरान आपस में कुछ गरमागरमी हुई और उस गरमागरमी के दौरान माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी ने अपने कार्यकर्त्ताओं को ललकारा, कार्यकर्त्ता सब उत्तेजित हुए और उनके शेडो ने, जिनके बारे में द्विवेदी जी ने सदन में कहा है कि शेडो गायब कर दिया गया है.... (व्यवधान) उस दिन २ बज दिन के करीब की यह घटना है, ३ बजे कोतवाली में ले जाकर उसे कोतवाली में बन्द कराया। ३ बजे श्री राम सिन्हा आदि ने ३०२, ५०४ व ५०६ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई थी। ठीक साढ़े तीन बजे श्री श्रीराम द्विवेदी के शेडो ने जनता पार्टी के विशिष्ट कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ..

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको सूचना पढ़कर सुनाने को नहीं कहा है। यदि आपके पास अपने पक्ष में कोई नई बात कहनी हो तो कहिए वरना दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

ठीक साढ़े तीन बजे....

श्री अध्यक्ष—

आपने विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है, आप मुझे यह बताएं कि माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी के खिलाफ यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे ग्राह्य होता है।

श्री जयशंकर पाण्डेय—

यह इस दृष्टि से बनता है, जब सवा तीन बजे तक, जब कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गयी शेडो मौजूद है, तो दूसरे दिन कैसे कहा गया कि शेडो लापता है, युवा जनता के कार्यकर्त्ताओं ने लापता कर दिया है। इस दृष्टि-कोण से सदन को, माननीय अध्यक्ष को गुमराह किया गया है। सदन के अन्दर गलतबयानी की गई है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप, जय शंकर जी, बैठिए।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

मेरा यह निवेदन है कि फैजाबाद में जो जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की जबरदस्त गिरफ्तारियां की जा रही हैं और उनके कार्यकर्त्ताओं पर छापे कराये जा रहे हैं, आप सरकार से निवेदन करें कि दोनों पक्षों की जांच करके तब कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष—

जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता गिरफ्तार होते हैं या कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गिरफ्तार होते हैं, इसका विशेषाधिकार के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं इस सदन के जरिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो सूचना थी, उसको तोड़-मरोड़ करके सदन के सामने रख रहे हैं। हमारे इसी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रैंक के मन्त्री माननीय जमुना प्रसाद बोस जो घटना स्थल पर मौजूद थे। (व्यवधान) हमारे प्रान्तीय मन्त्री घटना स्थल पर मौजूद थे। सारी चीजें देखा और सुना है। मैं चाहता हूं कि माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री का वक्तव्य इस सम्बन्ध में आ जाना चाहिये। मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। जो लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

श्रीराम जी, इस सम्बन्ध में गिरफ्तार कौन हो रहे हैं, इससे इस सदन का कोई ताल्लुक नहीं है। यह एक प्रशासनिक विषय है। उन्होंने जो आपके विशेष विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखा है, आपको मुझे यह बतलाना है कि यह अग्राह्य है, अपने समर्थन में आपको यह करना है।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

यह घटना जो मैंने सूचित किया था, १६ तारीख को दिन के दो बजे घटी। चार बजे टेलीफोन पर मुझे सूचना मिली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये कि आप को लखनऊ में बुलाया है। पांच बजे फैजाबाद से चला आया। जो लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं, जिनके लिए माननीय सदस्य ने रोना रोया है, [***], वह अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किये हैं कि वे लोग शैडों को पकड़ कर ले गये।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, जो "गुंडे" शब्द का प्रयोग किया है, इसको वापस लीजिएगा। (व्यवधान) आप शांत रहिए।

"गुंडे" शब्द कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपके सामने जो सूचना विशेषाधिकार की है, उस पर आप सलाह ले रहे हैं कि वह ग्राह्यता में आती है या नहीं। प्रश्न यह है कि माननीय श्रीराम द्विवेदी ने इस आदरणीय सदन को एक सूचना दी। माननीय सदस्य को अधिकार है इस सदन में कहने का। उस पर सदन के बाहर कोई प्रतिवाद नहीं होगा। अब विचार हो रहा है कि सूचना सच है या नहीं। यह भी जानकारी आपने दी कि उनके कथन की सत्यता पर जांच हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। इसलिए आज चर्चा का प्रश्न कैसे पैदा होता है? विवाद को हम बढ़ा रहे हैं। जब तथ्य सामने आयेगा तब मालूम होगा कि माननीय सदस्य को गुमराह किया है या नहीं। यह चर्चा लेना है तो माननीय जमुना प्रसाद बोस जी को क्या कहना है वह सुन लिया जाय। वह वहां पर थे। इसलिए इस सम्बन्ध में उनके सुनने की आवश्यकता है।

नोट [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कोई भी सदस्य अगर कोई विशेषाधिकार की सूचना देता है और नियम के अनुसार वह किसी सदस्य के विरुद्ध है तो यह उसका अधिकार है, नियम के अनुसार, कि उसको पहले सुना जाय। इसीलिए मैंने इसको सुना और सुनने के बाद अपना निर्णय दे रहा हूं। माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

यह जो प्रश्न उठा है, उनको शर्म आनी चाहिए। जनता पार्टी के लोग अपने शराब के होटल पर शेंडो पाल रखे हैं। शेंडों की कमर में रस्सी बांधी गई, मारा गया और उसको एस०एस०पी० के यहां ले जाया गया और डी०आई०जी० के यहां ले जाया गया। उन्होंने खुद बयान दिया है जिस के कारण वह जांच में गिरफ्तार हुए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, सदन का बहुमूल्य समय विशेषाधिकार हनन के बारे में लग जाता है। सड़क पर चौराहे पर यह अन्य किसी रिक्शे वाले से झगड़ा हो जाये या अपनी बीवी से झगड़ा हो जाये तो क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय कौशिक जी को सलाह दूंगा कि एक प्रशिक्षण शिविर चलायें और उसमें माननीय सदस्यों को प्रशिक्षित करें और बतायें कि विशेषाधिकार का प्रश्न कब उठाना चाहिए और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाकर सदन का समय नष्ट न करें।

श्री जय शंकर पाण्डेय ने अपनी सूचना के साथ कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनसे यह कहा जाये कि माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी ने जान बूझकर १७ अप्रैल, १९७८ को सदन को गुमराह करने के लिए असत्य कथन किया था, उनकी यह सूचना नियम ३०१ के अन्तर्गत थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कल आश्वासन दिया था कि सारी घटना की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसीलिए इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है।

श्री रेवतीशरण मौर्य (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह भी मालूम कर लें कि जनता पार्टी . . . . .।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे निर्णय के बाद कोई भी बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी थी, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला।

श्री अध्यक्ष—

आपके विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैंने कुछ सूचना चाही है उसके बाद में सोमवार को इसको लूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर आर०पी०एफ० थाने के सामने सशस्त्र बदमाशों द्वारा सरकारी खजाने की लूट के सम्बन्ध में दिया है । इसको नियम ५१ में मैंने स्वीकार किया है । इसलिए मैं इसे ऐसा आवश्यक विषय नहीं समझता हूं कि सदन का कार्य स्थगित कर इस पर विचार किया जाय ।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक के खड़े होने पर)

इस पर कोई विवाद नहीं होगा ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि उचित हो कि जो सत्ता पक्ष की ओर के कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आया करें, उनको आप स्वीकार कर लिया करें ?

श्री अध्यक्ष—

बेहतर होगा कि आप नेता सदन से मिल कर यह सुझाव उनको दे दें ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, स्वीकार करना या न करना यह तो आप के हाथ में है ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ में जब कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आता है तो उस पर अगर सरकार की अनुमति होती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो मैं उसको ग्राह्य भी करूं तो भी १/५ लोगों को उठना पड़ता है ।

श्री ऊदल—

सरकार की अनुमति हो या न हो अगर १/५ उसके पक्ष में मत देंगे तो वह स्वीकार हो जायगा । तो ऐसी सूरत में सरकार और माननीय मुख्य मंत्री का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है ।

श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, धारा ३०१ के अन्तर्गत जो सूचनायें दी जायेंगी, आपने कहा था कि जिनको मैं स्वीकृत करूंगा उनको पढ़ कर सुना दूंगा और जिनको पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा उनको संक्षेप में लिख कर दूंगा । उस पर आप विचार करने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष --

ऐसा मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैंने तो यह कहा था कि जो सूचनायें मैं स्वीकृत करूंगा उनके नाम पढ़ कर सुना दूंगा और बाकी जो होंगी, जिनको मैं आवश्यक समझूंगा सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दूंगा। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ?

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या २८--शिक्षा तथा अनुदान संख्या ९१---ऋण और अग्रिम-शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,१५,०४,४४,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९१--ऋण और अग्रिम--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७२,५८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, शिक्षा की क्या आवश्यता है, या शिक्षा का क्या मतलब है इस प्रश्न पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ प्रदेश के जो सीमित साधन हैं, उनके रहते हुए जो इसके लिए व्यय निर्धारित किया गया है यद्यपि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है फिर भी चूंकि अनेक समस्यायें हैं और साथ ही साथ इस सरकार ने यह निश्चय किया है कि गांवों में रहने वाले लोग और विशेषकर खेती और ग्रामोद्योग के विकास पर हम अपना विशेष ध्यान देंगे। इस कारण से भी अगर कोई बहुत अधिक धन जिसकी आवश्यकता शिक्षा के लिए है, उपलब्ध नहीं हो सका है तो उस विषय में भी केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं उनके तहत गत वर्ष में जो कार्य किये गये हैं या इस वर्ष किए जाने वाले हैं संक्षेप में मैं उनका विवरण सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रत्येक मद में दो तरह के व्यय निर्धारित होते हैं। एक योजनागत और एक योजनेतर। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, लगभग २५८ करोड़ के व्यय में २३१,३६,७३,६०० रुपया योजनेतर पक्ष में और २६,५७,१४,५०० रुपये योजनागत पक्ष में व्यय करने के लिए प्रस्तावित है।

श्रीमन्, जहां तक योजनेतर व्यय का सम्बन्ध है उसमें मैदानी और पर्वतीय दोनों हिस्सों का व्यय है, लेकिन योजनागत पक्ष जो है वह केवल मैदानी हिस्से के लिए है। पर्वतीय हिस्से के लिए इसकी अलग से व्यवस्था पर्वतीय विकास निगम के अन्तर्गत की गई है। जो शिक्षा के लिए व्यय निर्धारित किया गया है उसमें कुल व्यय का ५२ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए, २८ प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा के लिए, ११ प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए, ३ प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा के लिए, ४ प्रतिशत अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए और २ प्रतिशत जो मंगाई भत्ता आदि है उसमें जो वृद्धियां होती हैं उनके लिए निर्धारित किया गया है।

[श्री काली चरण---]

श्रीमन्, जो इस प्रदेश की स्थिति है, खास तौर से दो प्रदेशों को छोड़ करके, साक्षरता के मसले में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही। इसको ध्यान में रख करके जो आधारभूत शिक्षा की बुनियाद है उसके लिए कुल शिक्षा का आधे से अधिक धन प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। क्योंकि यह संपूर्ण शिक्षा की नींव है और जबतक इस शिक्षा को व्यवस्थित नहीं किया जायगा, जबतक इसमें पर्याप्त सुधार नहीं किया जायगा, यह सरकार का जो दायित्व है कि ६ वर्ष से लेकर के १४ वर्ष तक बच्चों को, जिनके दो भाग ६ से ११ और ११ से १४--दो भाग किये गए हैं, इनकी पूरी-पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और प्रत्येक बच्चे के लिए उचित समुचित शिक्षा की व्यवस्था न कर दी जाय तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आग बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ५२ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।

जो माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यय निर्धारित किया गया है उसकी मुख्य थोड़ी सी बातें हैं। पहली है शिक्षा का सार्वजनीकरण। यह उद्देश्य निर्धारित किया गया कि ६ से ११ और ११ से १४ वर्ष के संपूर्ण बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हो जाय, इसके लिए दो बातों की आवश्यकता थी। श्रीमन्, १९७३ में एक शैक्षिक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश में केवल १३,४०० प्राइमरी स्कूलों की और ६ हजार मिडिल स्कूलों के खोले जाने की आवश्यकता थी। इन चीजों को ध्यान में रख कर यह सर्वे किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर के क्षेत्र मे ६ के ११ वर्ष से बच्चों के लिए विद्यालय होना चाहिये। साथ ही साथ ३ किलोमीटर के क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल होना चाहिये। पंचम पंचवर्षीय योजना में १९७६-७७ में २५७४ प्राइमरी स्कूल तथा २४७ मिडिल स्कूल खोले जा सके थे। गत वर्ष हालांकि सरकार को बहुत थोड़ा समय मिला, उसके बावजूद उसने ३,१६२ प्राइमरी स्कूल तथा ६१२ जूनियर हाई स्कूल खोले। इस वर्ष भी २,१७० प्राइमरी स्कूल और १,०३८ जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था है। माननीय सदस्य सोचगे कि इस वर्ष प्राइमरी स्कूलों की संख्या गत वर्ष से कम क्यों हो गई। उसका कारण यह है कि इस वर्ष हमने जूनियर हाई स्कूलों की संख्या काफी बढ़ा दी है। हर ५ प्राइमरी स्कूलों पर एक जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा हम चाहते यह हैं कि जो भी बच्चे प्राइमरी कक्षाओं में आयें वे पूरे समय तक रहें। अभी तक की स्थिति वह रही है कि १०० बच्चों में ५वीं कक्षा तक जाते-जाते ३९ ही बच्चे रह जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा ह्रास है। प्राथमिक शिक्षा के इस अवरोध को दूर करना होगा। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इन स्कूलों के पास भवन होंगे। दूसरे इनके अध्यापकों को भी अपनी पूरी-पूरी जिम्मेदारी का निर्वाहन करना होगा। गरीबी और पिछड़ापन के कारण बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है।

मान्यवर, अब तक लगभग १५ हजार ऐसे प्राइमरी स्कूल सारे प्रदेश में हैं जिनके पास भवन नहीं हैं। बहुत से भवन ऐसे हैं जो, यह शिक्षा इधर ट्रान्सफर होने के पहले, म्युनिसिपल बोर्ड और जिला परिषदों के थे। इसमें हस्तांतरित होने के बाद इनकी मरम्मत करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। चूंकि बहुत अधिक संशोधन तो हैं नहीं, इसके बावजूद भी इस वर्ष १,००० प्राइमरी स्कूल और ३६२ जूनियर हाई स्कूल के भवन बनाने के लिए, २ करोड़ प्राइमरी स्कूल के लिए और १.४९ करोड़ जूनियर हाई स्कूल के नये भवन बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पुराने

भवनों के मरम्मत के लिए १५ लाख रुपये और छात्रों को बैठने के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था के लिए १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों में जो लड़के पढ़ने आते हैं, बहुत से लड़के पढ़ने नहीं आते हैं, या छोड़ देते हैं, ११ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक अंक ज्ञान कराने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अंश कालिक कक्षाओं की व्यवस्था की गयी है' जिससे वे लड़के आवें, खाली समय में आवें, उनके लिए निःशुल्क पुस्तकों की कापी की व्यवस्था की गयी है ताकि वह भी समय निकाल कर पढ़कर कम से कम ऐसा बन सकें, साक्षर बन सकें इस समाज में उनको भी स्वाभिमान से जीने का अवसर मिल सके और उनमें से कोई लड़के प्रतिभावान मिल सकें तो वे आगे की कक्षा में भर्ती होकर आगे की भी पढ़ाई चला सकते हैं। ३५ इस तरह के आंशिक स्कूलों की व्यवस्था ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए की गई है।

जहां तक इन विद्याललो में उपस्थिति का प्रश्न है, समय-समय पर गोष्ठियां करके शिक्षा परिधि के लिए सेमीनार करके इनकी संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा यह काम प्रारम्भ कराये गये हैं, जिससे समाज में वह चेतना उत्पन्न करें कि अधिक से अधिक बच्चे इन स्कूलों में आवें, इनमे पढ़ें, आगे बढ़ें। साथ ही साथ इनमें एक और सुधार किया गया है। कक्षा एक और दो कक्षाओं के बच्चों के ह्रास और अवरोध को रोकने के लिए इनको समान्वित कक्षाएं चलाई जायेंगी। समन्वित कक्षायें चलाने का केवल यही एक मतलब रहा कि बहुत से लड़के, छोटे-छोटे बच्चे इस कारण से छोड़ देते हैं कि हम पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में फेल हो जाते हैं, इसलिए वे स्कूल छोड़ देते हैं तो दोनों कक्षाओं को समन्वित चलाने का उद्देश्य यही रहा कि पहली कक्षा में कोई लड़का फेल न किया जाय, परीक्षाएं ली जायं, इनका उद्देश्य यही हो कि जो कमजोर हों बच्चे उनके पढ़ने के लिए अलग से अध्यापक विशेष ध्यान दें, उन्हें दूसरे बच्चों के समकक्ष ले आ सकें और हताश होकर भाग न सकें। इस तरह से जो फेल करने की बात कही गयी है, उसमें केवल प्रत्येक कक्षा में यह है कि अतिरिक्त समय देकर उनके जीवन को सुधारा जाय। उनकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति को देख कर उनके साथ जो अधिक से अधिक समय अध्यापक दे सकते हों, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस तरह से प्रारम्भिक शिक्षा १ से ५ तक या ६ से ११ तक इनकी यह व्यवस्था है।

जहां तक मिडिल स्कूल की शिक्षा का सम्बन्ध है, ११ साल से १४ साल के लड़कों के लिये, इसमें हमने बताया कि अभी तक पर्याप्त शिक्षा संस्थायें नहीं हैं। तो यह जो शिक्षा संस्थायें हैं माननीय सदस्यों को यह पता है कि कुछ वर्षों से ऐसा हुआ है कि जो यह सार्वजनिक परीक्षा एक थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और स्तर को गिराया गया था। तो इनके ३६२ भवनों के बनाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ लगभग हजार नये जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था है। श्रीमन, यह कक्षा ६ से ८ तक की पढ़ाई तीन तरह के स्कूलों में होती है। एक तो वह विद्यालय हैं जिनको बेसिक शिक्षा परिषद् चलाती है। एक वह विद्यालय हैं जो हाई स्कूल, या इंटरमीडियेट कालेज हैं, इनमें भी कक्षा ६ से ८ तक की पढ़ाई होती है। तीसरे वह प्राइवेट संस्थायें हैं जो प्राइवेट प्रबंधकों द्वारा चलायी जाती हैं और यह मान्यता प्राप्त होती हैं। इनमें भी ६ से ८वीं कक्षा की पढ़ाई होती है।

[श्री काली चरण--]

श्रीमन् इन मान्यताप्राप्त विद्यालयों के जो अध्यापक हैं अभी तक इनके वेतन वितरण की व्यवस्था नहीं की गयी थी जिस तरह से माध्यमिक स्कूलों में वेतन वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। तो इसी प्रकार यह जो अनुदानित जूनियर हाई स्कूल हैं इनमें वेतन वितरण की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। जूनियर हाई स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक, उसी योग्यता के उसी कक्षा को पढ़ाने वाले जो हाई स्कूलों में अध्यापक काम करते हैं तो इन दोनों के वेतन में भिन्नता थी, तो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले उसी योग्यता के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक नियम को लागू किया गया है। उनको भी वही वेतन मिलेगा जो हाई स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों को मिलता है। इसी के साथ-साथ प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले जितने अध्यापक हैं और जो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडियेट कालेजों में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, तो हायर सेकेंडरी और इंटरमीडियट कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों को सुविधा थी कि साढ़े चार सौ रुपये पाने वाले जो अध्यापक थे उनके बच्चों को इंटरमीडिएट कक्षा तक पूरी फीस माफ रहती थी। यह सुविधा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को नहीं थी जबकि इनका वेतन कम था लेकिन इनको सुविधा नहीं दी जाती थी। श्रीमन्, इस सरकार ने निश्चय किया है कि साढ़े ४ सौ रुपये तक वेतन पाने वाले प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को इंटरमीडिएट तक पढ़ाने के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। कोई शिक्षण शुल्क नहीं रहेगा।

श्रीमन्, जहां मैंने अंशकालीन शिक्षा केन्द्रों की बात कही थी ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिये तो उसी के साथ-साथ मुझे यह कहना है कि १५ से २५ वर्ष तक के लोगों के लिये ८,६२० केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो लोग साक्षर नहीं हैं उनको साक्षर बनाने के लिये। जिस इलाके में जिस क्षेत्र में वह रहते हैं उनका जो काम है उस काम के लिये प्रशिक्षण देने के लिये इस तरह के केन्द्र स्थापित किये गये हैं। चूंकि सरकार का लक्ष्य है कि १० वर्षों में हम किसी को निरक्षर नहीं रहने देंगे। इसकी पूर्ति के लिये यह प्रयास किया जा रहा, यह जरूर है कि यह प्रयास पूरा-पूरा पर्याप्त नहीं है और साथ-साथ केवल सरकारी माध्यमों से या केवल धनका प्रयोग करके इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में जहां मैं यह बात कहता हूं वहीं सम्पूर्ण माननीय सदस्यों से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इनको सामाजिक अपमान से बचाने के लिये समाज में स्वाभिमानी नागरिक बनाने के लिये और प्रदेश से निरक्षरता के कलंक को दूर करने के लिये प्रत्येक माननीय सदस्य यदि इसको प्रमुखता देगा तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रदेश का नहीं बल्कि सारे देश के सम्मान को हम बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेंगे।

श्रीमन्, प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा की बात आती है। माध्यमिक शिक्षा में कुल बजट का २८ प्रतिशत खर्च करने की व्यवस्था रखी गयी है। इस वर्ष ३४ नये हाई स्कूल और ६१ हाई स्कूलों का उच्चीकरण और १० इंटरमीडिएट कालेजों में द्विपाली योजना की व्यवस्था की गयी है। जो प्रतिभावान छात्र हैं जिनके लिये आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी वह व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी। इसका विस्तार अन्य जनपदों में किया जा रहा है। ११वीं और १२वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों के लिये जितने राजकीय स्कूल हैं तो यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक जनपद में इसकी व्यवस्था हो सके जिससे लड़कों

को सुविधा मिल सके जो प्रतिभावान हैं, परिश्रमी हैं। इस सहायता और सुविधा से वह अपने को अधिक से अधिक आगे बढ़ा सकेंगे। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हाईस्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन होता था। इस वर्ष इंटरमीडिएट कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था कर दी गयी है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये और साथ-साथ जो बड़ी संख्या आई यह भी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो पहले मान्यता देने को एक तरह से रोक दिया गया था, अब आवश्यक शर्तों की पूर्ति के बाद मान्यता प्रदान की जाती है। पिछले वर्ष या जो यह सत्र चल रहा है इसमें लगभग ५०० हाई स्कूल या इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिये नवीन अथवा अतिरिक्त वर्गों या विषयों में उन्हें मान्यता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार से आने वाले वर्षों में भी जो मानक निर्धारित किया गया है उन मानकों के आधार पर उन्हें मान्यता दी जाती रहेंगी। श्रीमन् जहां मैं यह बात कहता हूं वहां एक बात कह देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर है। और इस संबन्ध में जब कभी भी बात आती है तो बराबर ध्यान भारत के अतीत की ओर चला जाता है। अतीत के नाम लेने पर यह भी दिमाग में किसी के आ सकता है। यह तो सब लोग कहते हैं कि पुरानी चीज दकियानूसी होती लेकिन देखा जाय तो जिस तरह विदेशी महिलायें होती थी। प्राचीन काल में और उनके द्वारा जिस तरह से समाज की रचना होती थी, जिस तरह की मान्यताओ का निर्माण होता था उसने हमारे देश के गौरव को बहुत बढ़ाया था। उधर गुलामी के दिनों में और उसके बाद जो ३० वर्ष आजादी का मिला उसमें इसको इतना बदतर बनाया गया कि हर पुरानी चीज को दकियानूसी कहकर हर नई चीज की तरफ इस तरह दौड़ने का प्रयास किया गया जिससे न तो पुरानी चीज रह गयी और न नई चीज ही मिल पायी। परिणाम हुआ जो होना था वह हुआ। बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षिका उसकी मां होती है और जिस तरह मां होती है निसंदेह वैसा ही बच्चा बनाने का प्रयास करेगी। और बच्चे की मां अच्छी बने इसके लिये लड़कियों को शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है।

मान्यवर, जहां प्राथमिक शिक्षा की बात कहा है वहीं लड़कियों की शिक्षा की तरफ यह सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उससें मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल की मान्यताओं के लिये जो मानक निर्धारित किये गये हैं, चूंकि उनको चलाने वाले लोग चाहते हैं कि हम अपनी व्यवस्था स्वतः करे, उन शर्तों की पूर्ति न करने के कारण संस्थाओं को या तो खोलते नहीं या उनको आगे नहीं बढ़ा पाते। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इन दोनों विद्यालयों में जो मानक है, खासकर, दो एक तो कमरों की लम्बाई और चौड़ाई तथा दूसरे संख्या की शर्त है। श्रीमन्, गांव में लड़कियों को पढ़ने की बहुत समस्या है। क्योंकि दूर-दूर बस्तियां हैं। यदि स्कूल चलेंगे तो निश्चित रूप से जो संख्या निर्धारित की गयी है वह वहां नहीं हो पायेगी। जब संख्या नहीं हो पायेगी तो स्कूल आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इसलिये संख्या और भवन इन दो बातों में जितनी छूट दी जा सकती है उस पर हम विचार कर रहे हैं, और मान्यता के विषयों पर विचार करने के पूर्व ही इसमें सरकार की घोषणाएं हो जायेंगी कि इनमें छूट मिल सके कि जो स्कूल को चलाना और बढ़ाना चाहते हैं उनको यह सुविधा मिल सके।

[श्री काली चरण--]

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षकों की ओर से समय-समय पर उनकी अपनी कठिनाइयों के बारे में शासन के पास उनकी कुछ मांग आया करती थीं तो उनके बारे में गम्भीरता से विचार करने के बाद जो चीज स्वीकृत की गयीं उनमें से बहुतों के आदेश निकाल दिये गये और कुछ आदेश नहीं निकले हैं वह शीघ्र ही निकल जायेंगे। कुछ ऐसी चीज थीं जिनका मानना किसी भी सूरत में सम्भव नहीं था जिससे उनको अवगत करा दिया गया है।

मान्यवर, जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि अनियंत्रित भीड़ को रोकने के लिये शिक्षा की मर्यादा को कायम रखने के लिये प्रतिभावान छात्र ही आगे पहुंच सके। जो पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ सके और जो पढ़ने के नामपर केवल विद्यालयों में नाम लिखाना चाहते हों उन पर नियंत्रण लगाने के लिए, नये डिग्री कालेजों की सम्बद्धता पर कड़ा नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की गयी है।

एक सदस्य--

यही तो गलत है।

श्री काली चरण--

और श्रीमन्, मैं आप को बता दूं। नेता तो पैदा होना ही चाहिए। बिना उसके देश बनता नहीं लेकिन जहां तक नेता बनने की बात है, एक बात और कह दूं।

विद्या विवादाय धनं मदाय
शक्तिःपरेषां परिपीडनाय
खलस्य साधोर्विपरीतमेतद्,
ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय ।

इस बात को भी श्रीमन् आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जब वे अपने नाम लिखते हैं तो नाम के आगे उनकी बड़ी-बड़ी उपाधियां होती हैं पीछे भी होती हैं और आगे भी होती हैं लेकिन जब वे उसका प्रयोग करते हैं . . .।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला-कानपुर)--

इधर को इशारा कर रहे हैं . . .।

श्री काली चरण--

मेरा इशारा कहीं कोई नहीं है। जब वे प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे मैंने एक महान व्यक्ति की कही हुई बात कही वह दोनों तरह के लोगों पर लागू होती है।

डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

यह आक्षेप तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपकी प्रशंसा है। (हंसी)

श्री काली चरण--

यू० जी० सी० के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास के लिए अनुदान देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अभी कितना समय और लेंगे ?

श्री काली चरण--

दस मिनट और लगेंगे।

श्री अध्यक्ष--

दस मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री काली चरण--

बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं। श्रीमन् वर्तमान सरकार ने यह तय किया है कि जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें यू० जी० सी० स्कूल वहां काम करने वाले अध्यापकों को नहीं मिलता था जब कि प्राइवेट डिग्री कालेजों में जितने काम करने वाले अध्यापक हैं, उनको ये स्केल मिलते थे। इस सरकार ने उनको भी यह स्केल दे दिया है।

श्रीमन् इसी सम्बन्ध में जो अन्य भाषायें हैं, प्राचीन भाषायें हैं, जिनमें अरबी और संस्कृत आती हैं और प्रदेशीय भाषायें हैं इन भाषाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब यह कि उनको जो अनुदान मिलता था उसको दुगुना कर दिया गया है। राजकीय इंटर कालेजों, हाई स्कूलों में यदि एक भी लड़का उर्दू पढ़ने वाला हो तो उर्दू अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। किसी भी डिग्री कालेज में दस लड़के उर्दू पढ़ने वाले अगर हों तो उसके लिए कोई शर्त नहीं। उसके लिए जो आवश्यक अनुदान है, उसकी व्यवस्था और शासन की स्वीकृति तत्काल दे दी जाती है बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय से उस विषय की पढ़ाने की मान्यता प्राप्त कर लें। उसको पढ़ाने में अध्यापक पर जो खर्च होता है वह सरकार अपने आप दे देती है। यह सहायता प्राप्त अरबी और संस्कृत के जो काम करने वाले अध्यापक हैं, उन पर लागू कर दी गयी है। निर्बल वर्ग के पढ़ने वाले जितने लड़के हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा पाठ्य पुस्तकीय सहायता इस तरह की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ प्रत्येक ६ विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी अनुसूचित जाति का भी प्रवेश पा सके इस तरह के आदेश इस सरकार ने दे दिये हैं। बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण कर्मचारियों में एक रूपता लाने के लिये सामूहिक बीमा योजना चालू की है उसमें ५ हजार की रकम को बढ़ा १२ हजार कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं प्राविधिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। प्राविधिक शिक्षा के लिये तीन तरह की संस्थायें हैं एक डिग्री प्रदान करती है, दूसरी डिप्लोमा तथा तीसरी प्रमाण-पत्र देती है। डिग्री

[श्री काली चरण]

स्तर की सभी संस्थायें स्वायत्त शासी हैं। डिप्लोमा देने वाली संस्थाओं में १८ सहायता प्राप्त हैं और शेष सरकार द्वारा संचलित हैं। २३ जिले अभी भी ऐसे हैं जिनमें यह पोलिटेक्निक स्कूल नहीं हैं। इस सम्बन्ध में एक छोटी सी पुस्तिका मिली होगी माननीय सदस्यों को उस पर लिखा है नई चेतना नई साधना।

प्राविधिक शिक्षा में पहले तो यह व्यवस्था की गयी है कि उनको स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ा जाय। कुछ जगहों पर यह व्यवस्था की गयी है कि लड़के काम भी करें, उससे पैसा भी कमायें और अपनी शिक्षा को आगे भी ले जायं। भारत सरकार ने यह रोक लगा दी है कि अब नये पोलिटेक्निक स्कूल नहीं खोले जायेंगे जिससे २३ जिलों में यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। लिहाजा जहां ये स्कूल नहीं हैं वहां पर हम विकास नहीं कर सकते लेकिन एक योजना इस विभाग के अन्तर्गत विचारणीय है। २३ जिलों में रूरल टेक्नोलोजी के अन्तर्गत संस्थायें खोलने का विचार है। हमारे पुराने बहुत से गांव में जैसे गोरखपुर, देवरिया में कुछ गांवों में मिट्टी का काम बिना पढ़े लिखे कारीगर किया करते थे। वे मिट्टी का पूर्ति तथा खिलौने बनाया करते थे और उनमें सारी ग्रामीण संस्कृति की भावनाओं को पिरो देते थे लेकिन किसी सहायता के अभाव में उनका रोजगार बिलकुल समाप्त सा हो गया है। इसी तरह शिकोहाबाद में शीशे तथा चूड़ी का काम बहुत होता है। ऐसे स्थानों में ऐसी संस्थायें खोली जायं जो उस इलाके की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और उस इलाके में जो काम होता है उस दस्तकारी की उचित शिक्षा दी जा सके और ८वीं कक्षा पास करने के बाद ही लड़के इसमें चले जायं। इससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। जो आगे पढ़ना चाहेंगे उनको डिप्लोमा कोर्स में भर्ती कर लिया जायगा और डिप्लोमा पास को आगे चल कर डिग्री कोर्स को भी सुविधा दी जा सकेगी। जहां मैं यह बात कह रहा हूं वहां एक बात खटकती है कि सारे उत्तर प्रदेश में जितने हमारे डिग्री कालेज हैं। सब अलग-अलग स्वतंत्र संस्थायें हैं। अपने किसी काम के निर्णय में न तो समरूपता होती है और न जल्दी से कोई निर्णय ले पाती है। सामान्य शिक्षा से यदि उनको जोड़ा जाय तो पता नहीं कितने दिन साल में वह स्कूल चलाये और कितने दिन न चलाये इसकी भी कोई गारन्टी नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह सबसे बड़ा प्रदेश है लगभग बहुत से प्रदेशों में एसी व्यवस्था है लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं है एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो टेकनिकल विश्वविद्यालय हो जिसे लखनऊ में खोलने पर विचार हम कर रहे हैं। यह सारे कालेज जो हैं इसके सम्बद्ध सहयुक्त कालेज होंगे। एक दूसरे में लोगों का स्थानान्तरण भी होता रहेगा। इससे प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी और साथ ही साथ जब-जब जिस-जिस चीज की आवश्यकता होगी अपने पाठ्यक्रमों में सुधार करके, परिवर्तन करके, प्रदेश और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और यहां से इस तरह के विद्यार्थी निकलते रहेंगे। इस नाते से एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न गम्भीरता से प्राविधिक शिक्षा विभाग के विचार में है। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल एक अनुरोध यह करना चाहता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर आलोचना करें जिसका कि स्वागत है। मैंने कबीर का एक दोहा पढ़ा है--

निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय।

श्रीमन्, साथ ही साथ में चाहूंगा कि इस व्यवस्था में कितना अधिक सुधार किया जाना चाहिये । इस तरह का सुझाव आवश्यक है जिससे देश के करोड़ों छात्रों का जीवन सही रास्ते में लाया जा सके । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विवाद साढ़े चार बजे तक चलेगा और साढ़े चार बजे में शिक्षा मंत्री जी को बुलाऊंगा तो इस ढाई घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकें इसके लिए मैं समझता हूं कि ७, ७ मिनट का समय अगर कर दिया जाय तो कैसा रहेगा ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

१० मिनट रख दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है १० मिनट रख लेते हैं ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८ के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९१ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने सुमधुर, सुनियोजित भाषण से शिक्षा जगत पर प्रकाश डाला है । निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि शिक्षा जगत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय-समय पर कमीशनों की सिफारिश पर सुधार एवं प्रसार किया गया लेकिन जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया कि आज की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था को देखने के बाद संतोषजनक नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री ने जो पुस्तक दी है इसको गौर से देखने के बाद 'शिक्षा की प्रगति १९७७-७८' जो मिली है उससे मालूम होता है कि कुछ परिवर्तन हुए हैं होता चला आया है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद मंत्री महोदय अनभिज्ञ नहीं होंगे, आज प्रदेश की जो स्थिति है, शिक्षा जगत में जो कुंठा व द्वेष व्याप्त है, सम्पूर्ण शिक्षा जगत जो अपने आप में एक निरीह बन चुका है, सम्पूर्ण शिक्षा जगत में जो अशान्ति और भय का वातावरण विद्यमान है, इससे भी वह परिचित होंगे । मान्यवर मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा में व्यय की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है, बढ़ोत्तरी हुई है जो समयानुकूल होती चली आयी है, आर्थिक व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये लेकिन शिक्षा जगत में जो असन्तोष है, उसके बारे में सरकार और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को चाहे इधर के हों या उधर के, बड़ी गम्भीरता और जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा । आज इस शिक्षा जगत में जो मूल रूप से अवगुण हैं, जिससे तमाम शिक्षण संस्थाएं होने के बावजूद पठन-पाठन, विद्यार्थी और अध्यापक अभिभावकों सभी की स्थिति दुरूह सी हो गई है । अपने आप में बिगड़ सी गई हैं ।

मान्यवर, जनता पार्टी का शासन हुआ, इनके घोषणा-पत्र के आधार पर यह माना जा रहा

[श्री अरुण कुमार]

था कि शिक्षा जगत में आमूल चूल परिवर्तन होंगे, शिक्षा में अभिनव क्रान्ति होगी, इसमें कोई सुनियोजित निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन दुःख है कि यद्यपि मंत्री जी ने सुमधुर भाषा में कुछ बातों पर प्रकाश डाला लेकिन शिक्षा जगत में परिवर्तन की कोई स्पष्ट झलक नहीं प्रस्तुत की, केवल शब्द जाल एवं अलंकार के सिवा शिक्षा मन्त्री जी ने शिक्षा नीति की स्पष्ट घोषणा नहीं की है।

(इस समय २ बजे अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

मुझे विश्वास था और मैं इसी विश्वास से बठा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की घोषणा आज करेंगे, लेकिन लगता है कि प्रदेश से लेकर केन्द्र तक सभी लोगों ने राष्ट्रीयकरण की भावना को भुला दिया है। इस देश के प्रधान मंत्री तक भयक्रान्त हैं, पता नहीं वह राष्ट्रीकरण के बारे में क्या सोच रहे हैं ? शायद राष्ट्रीयकरण का अर्थ ही गलत लगा रहे हों। मान्यवर, उसकी उपलब्धियों पर सरकार गौर करे। देखने की बात है कि एक ही तरह की दो शिक्षण संस्थाएं हैं, किन्तु एक में शिक्षण कार्य अच्छा होता है और दूसरे का पूर्णतया खराब होता है, जबकि अध्यापक वही हैं, उनकी विद्वता में भी कोई फर्क नहीं है। एक जगह अध्यापक १० बजे से ४ बजे तक ड्यूटी देता है और क्लासेज लेता है किन्तु दूसरी जगह का अध्यापक मैनेजिंग कमेटी के कमरे में बैठकर राजनीति करता है। राष्ट्रीयकरण के बारे में पिछली बार अध्यापकों ने जो आवाज उठाई थी उससे हटकर प्रधान मंत्री ने शिक्षा के स्वायतत्ता की बात कही थी जबकि यह उनका भ्रमात्मक तर्क है। लेकिन जो शिक्षण संस्थाएं आज पंगु हो रही हैं, इन्हें ठीक से चलाना पड़ेगा। आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो शिक्षक कर्त्तव्यनिष्ठ होंगे और वे अपनी जिम्मेदारी सोचेंगे। धन का जो दुरुपयोग होता है उसकी रक्षा होगी, आप सारा आय अन्य संरक्षण संस्थाओं को डेवलपमेंट फीस के नाम पर या जो भी चीजें या मदें दी जाती हैं, मैनेजिंग कमेटी की ओर से उनके फर्जी बाउचर आ रहे हैं। संस्थाएं वह चला रहे हैं और शासन के माध्यम से अध्यापकों को तनख्वाहें एवं अन्य व्यवस्थाएं मिल रही हैं। यह दोहरी शासन व्यवस्था क्यों चल रही है ? राष्ट्रीयकरण के साथ एक दूसरी बात यह होगी कि पूरे प्रदेश और देश के पैमाने पर शिक्षा का एकीकरण होगा, शिक्षा सम्पूर्ण प्रदेश और देश में एक जैसी होगी जिससे आप जानते हैं कि शिक्षा जगत एकता का अनुभव करेगा और यह अहसास करेगा। राष्ट्रीय भावना को इससे बल मिलेगा। राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ यह भी एक उपयोग है।

मान्यवर, निजी शिक्षण संस्थाओं में जो अध्यापक के पद पर नियुक्त होता है, वह अध्यापक के पद से ही रिटायर हो जाता है। अगर शिक्षा का अधिग्रहण (राष्ट्रीकरण) किया जायगा तो उनको आशा रहेगी उनके गुणों का, उनकी बुद्धि का उपयोग होगा, उनके विवेक का उपयोग होगा, आने वाले दिनों में उनकी सेवाओं का कुछ उपयोग होगा। उनकी शैक्षणिक योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर उनकी पदोन्नति होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यापक, अध्यापक बन कर ही रह जाता है। अध्यापक बन कर आता है और अध्यापक बन कर चला जाता है इस लिए वह अकर्मण्य बन जाता है क्योंकि उस शैक्षणिक योग्यता एवं सेवाओं का सही मूल्य नहीं मिलता वह अपने आपको अपने कार्य से अलग कर लेता है। दूसरी चीज यह है शिक्षा जगत में कि दस-दस साल तक निरन्तर पढ़ाने के बावजूद मैनेजमेंट कमेटी की कृपा पर अध्यापक ऐडहाक में हीं रखे जाते हैं। साल के आखिर में उनको नोटिस दे दिया जाता है। दूसरे साल अगर मैनेजिंग कमेटी

की कृपा है तो ऐडहाक नियुक्ति पर बना रहता है अन्यथा नहीं । कितनी अनिश्चितता की स्थिति में अध्यापक का जीवन व्यतीत होता है । उसकी सर्विस सुरक्षित नहीं है । अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है । तो क्या वह सही ढंग से अपने उत्तरदायित्व की निर्वाह कर सकता है ? मेरा निवेदन है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय । दोहरी व्यवस्था का स्वरूप समाप्त किया जाय । शिक्षा जगत में यह असंतोष का सबसे बड़ा कारण है । मनेंजिग कमेटी द्वारा रेडियो फंड, इंक फंड, डेवलपमेंट फंड के नाम से पैसा लिया जाता है । इसका सही उपयोग नहीं होता है, क्योंकि मैनेंजिग कमेटी स्वच्छन्द रूप से फर्जी वाउचर्स के आधार पर शोषण करती है । शिक्षा जगत के अन्दर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का व्यापार चल रहा है । ऐसे लोग प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं जिनका उद्देश्य वहां के छात्र युवक शक्ति को शिक्षित करना नहीं है, बल्कि व्यापार चलाना है । शिक्षण संस्थाएं उनकी दुकान बन चकी है । उनको उससे इन्कम हो जायगी या राजनीतिक जीवन में अपनी दूसरी उपलब्धियां कमाएंगे इसलिए मेरा निवेदन इस सरकार से है । यह पार्टी हमेशा राष्ट्रीयकरण की बात करती रही थी । आप शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात को मान्यता प्रदान करें । मेरी मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ३० साल के शासन में शिक्षा की प्रगति क्या हुई ? इसके आंकड़े शिक्षा की प्रगति नामक पुस्तक में दिये गए हैं । उस समय एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन का आभास हुआ था, जब शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था । राज्य में फन्ड न होने के कारण शिक्षा जगत की जो बेसिक भूख है, जो धनाभाव है उसको पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक परिवर्तन लायी थीं । यह जरूर है कि यह परिवर्तन काफी समय बाद आया था । हमारे शिक्षा मंत्री जी चाहते जरूर हैं कि हर गांव म स्कूल खुल जाये लेकिन वे मजबूर हैं क्योंकि शिक्षा के बजट म बढ़ोत्तरी नहीं कर पाये हैं । उनकी मजबूरी है । आप सोचें कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था तो क्यों डाला गया था । आज अध्यापक अपनी मांगों को पुरजोर ढंग से रख रहा था तो उस पर सरकार ने ताले बन्दी कर दी । समवर्ती सूची में आने का मुख्य कारण यही था कि शिक्षा का सम्पूर्ण विकास होगा । सम्पूर्ण शिक्षा एक जैसी हो जावे । जो सुविधायें शिक्षक अध्यापक को मिलेगी उससे समता की भावना उनमें जागृत होगी । उनमें सन्तोष होगा जिससे अध्यापक जगत में जो असन्तोष है वह समाप्त होगा । लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अहम बात थी उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा और न उसे पूरा ही किया । शिक्षा जगत में जो परिवर्तन पिछले शासन में हुए उससे विदित हो रहा था कि शिक्षा की उन्नति किस प्रकार से हो । शासन ने उस पर चोट करने के साथ ही साथ उन अध्यापकों को जल की शलाखों में डाल दिया उनकी अवाज को दबाने के लिए डन्डे का प्रहार किया गया । शिक्षा मंत्री जी ने सहानुभूति एवं शालीनता का वक्तव्य नहीं दिया । एक वक्तव्य निकला करता था कि इनकी आवाज कुचल दी जायेगी । पहले भी हड़तालें हुईं लेकिन कभी भी इस तरह की बात नहीं कही गई कि इनकी आवाज को कुचल दिया जायेगा । यह बराबर निकालते रहे कि आवाज कुचल दी जायेगी ।

मान्यवर, एक बात प्रेस सेंसर की कही जाती है । जिस मीटिंग के समय जनता सरकार और जनता पार्टी के लोग कहते थे कि उसको फ्लौप करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बाबी पिक्चर लगवा दी थी, फ्री कर दी थी । हो सकता है कि उस समय बाबी फिल्म लगी हो लेकिन किसने लगवाई थी यह प्रश्न है ? मेरा तो यहां

[श्री अरुण कुमार--]

से लेकर देश की सरकार पर खुला आरोप है कि जिस दिन हजारों अध्यापक अपनी आवाज, जिनके पास माइक तक नहीं थे, वोट क्लब पर उठना चाहते थे उस दिन इस देश के गृह मंत्री का अभिनन्दन समारोह मनाया जा रहा था। वहां पर लगे माइकों की तेज आवाज ने इन अध्यापकों की आवाज को खत्म कर दिया था। यही नहीं देश के पूरे अध्यापकों जिनको मीटिंग में न पहुंचने से मजबूर कर दिया था, दिल्ली की सारी सड़कों को घेर रखा था ८० हजार अध्यापकों की आवाज किसी अखबार में क्या आयी ? यह इसको न्यूज आइटम नहीं बना सकी। अगर आप सेन्सरशिप के विरोध की वकालत करना चाहते हैं या पिछले शासन पर चोट करना चाहते हैं तो पहले अपने गिरहबान में अपनी शक्ल को देखने की कोशिश कीजिये ?

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने को विषय तक ही सीमित रखिए ?

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, यह अध्यापक वर्ग की आवाज है।

मेरा अगला निवेदन यह है जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा किताबों के संग्रह की बात। यह सही है कि पिछली सरकार ने हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट में ऐसा किया लेकिन यह इस बात का द्योतक है कि आप इससे राष्ट्रीयकरण की भावना का आप एहसास करें। सरकार का यह सही कदम था जिसे एक तरह की किताबें चारों तरफ उपलब्ध हो सकें। अगर कोई छात्र फेल हो जाता है या अगर किसी छात्र के अभिभावक का स्थानान्तरण हो जाता है तो उसके बाल बच्चों को दूसरी जगह जाने पर भी वे ही पुस्तकें उपलब्ध हों और जिससे वह अपना पठन-पाठन कर सकें। एक उदाहरण पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की बात पर देखी। अगर आप शिक्षा जगत में राष्ट्रीयकरण की भावनाओं को जन्म देंगे तो शिक्षा में बड़ा ही सुधार होगा। शिक्षा को बहुधन्धी या जीवनोपयोगी तथा वोकेशनल होना चाहिये। कहा गया है कि यह बात सही है, लेकिन स्प्रियुलिज्म और मोरेल वैल्युज एवं सेंथिसिस की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए मान्यवर, आप कह रहे हैं कि छात्रों में असंतोष है। छात्र के अन्दर इससे कुन्ठा है। इन सब पर नियंत्रण होगा विद्यार्थी मर्यादित होगा। अगर इन विषयों की प्रविष्ट शिक्षा के अन्तर्गत होगी।

एक बात जो सबसे बड़ी बात है अब शिक्षा जगत के अन्दर वह लड़कियों की शिक्षा की बात कही गई है। निश्चय ही वह प्रदेश में बहुत कम है और मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर ३० किलोमीटर की एरिया में लड़कियों का कोई भी इन्टीट्यूशन नहीं है। मेरा निवेदन है कि २८-३० किलोमीटर के आस-पास वहां लड़कियों का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिये मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर में एक गर्ल्स इन्टर कालेज की व्यवस्था की जाय।

एक निवेदन और करूंगा कि कुछ दिन पहले इसी सदन के सम्मानित सदस्य ने कहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया है। वहां पर विद्यार्थी अगर ज्योग्राफी (भूगोल) से एम० ए० का इम्तहान देता है तोउसका एम० एस० सी० में रिजल्ट निकलता है। पूर्वांचल के अन्दर जौनपुर जिला

अपने आप में एक पढ़ा-लिखा जिला है मन्त्री जी, आपसे सम्बद्ध है। आप भी पास-पड़ोस से गुजरे होंगे। टी० डी० कालेज वहां का बहुत पुराना कालेज है। वहां के विद्यार्थियों की संख्या बहुत काफी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिग्री कालेजों में उनमें वह अपना प्रमुख स्थान रखता है। अगर इन सब को देखा जाय तो जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर तक में यह कालेज अपना स्थान रखता है, वहां विश्वविद्यालय खोलने की बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इससे गोरखपुर विश्वविद्यालय का दबाव भी कम होगा और पूर्वांचल में नया विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा। वहां पूर्वांचल में उसके टी० डी० कालेज समकक्ष एक ही दो विद्यालय रहे हैं, जो उतने पुराने हों और सक्षम हो। आज भी उस कालेज के पास सामग्री पर्याप्त है, बिल्डिंग भी है, जगह भी काफी है, इसलिए विश्व-विद्यालय खोला जाय।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त।

श्री अरुण कुमार--

मुगरा बादशाहपुर के अन्दर दो इंटर कालेज हैं और वह जनपद का सबसे पुराना इंटर कालेज, हिन्दू इंटर कालेज है, स्व० जमुना प्रसाद गुप्त वहां के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। शिक्षा के नाम पर उन्होंने इसको जन्म दिया। उसकी गोरखपुर विश्वविद्यालय की इंक्वायरी हो चुकी है। ३० किलोमीटर के आस-पास कोई डिग्री कालेज नहीं है। तो उसे डिग्री कालेज बनाया जाय।

आपने प्राथमिक शिक्षा पर इतना बड़ा जो कदम लिया है, पहल की है। आज इतने प्राइमरी इंस्टीट्यूशन्स हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, आपने खुद अहसास किया। वह टूटी हैं, उनकी व्यवस्था की जाय। जो शासन ने घोषणा की थी कि १ से ८ तक निःशुल्क पढायेंगे, उसको घटाकर ६ तक कर दिया। निःशुल्क करने की बात घोषणा-पत्र में कही थी, उसको काटकर खुद ही कम कर दिया। तो जो स्वावलम्बी स्कूल हैं, उनको मान्यता प्रदान किया जाय और जूनियर स्कूल हमारे यहां बहुत कम हैं, उनकी व्यवस्था की जाय। जिससे ग्रामीण अंचल में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज के बजट पर हमको भी अपने विचार रखने का समय दिया है। मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ शिक्षा जगत में जो कुछ भी सुझाव हम लोगों के द्वारा दिए जायं, माननीय मन्त्री जी उनको स्वीकार करें।

यह बात सही है कि जो हम लोग जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आन्दोलन करते थे तो उस समय शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग तत्कालीन सरकार से किया करते थे और उस आन्दोलन का मुख्य मुद्दा था कि इस समय जो शिक्षा चल रही है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। मान्यवर, आज हम देखते है कि पूरे देश में दो तरह से शिक्षा दी जाती है। एक तो वह शिक्षा है जिसे प्राइमरी स्कूलों में ही बच्चे कारों में जाते हैं, गद्देदार कुर्सियों में वातानुकूलित कमरों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूसरी ओर वे गरीब बच्चे हैं जो

[श्री राम गोविन]

भूखे पेट जाते हैं, कपड़े विहीन जाते हैं, नंगे पैरों जाते हैं और टाट की पट्टी पर पेड़ों की छाया में बैठ कर शिक्षा पाते हैं। जो बच्चा कुर्सी पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है, इसके भाग्य में कुर्सी लिख दी जाती है, इसके विपरीत जो बच्चा बोरे पर बैठकर शिक्षा पाता है, उसकी किस्मत में बोरे ढोना लिख जाता है। हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। जब तक इस व्यवस्था को बदल कर समान व्यवस्था नहीं की जायेगी प्रदेश और देश का हित होने वाला नहीं है। पूरे देश में न सही, उत्तर प्रदेश में ही आप कम से कम प्राइमरी स्कूलों में एक सी व्यवस्था करें, जिससे शिक्षा में यह असमानता तो दूर हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा रोजगारपूरक होना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ऐसे ही छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाय जो ऊंची शिक्षा पाने में रुचि रखते हों। मान्यवर, जो भी छात्र उच्च शिक्षा के लिए एडमीशन लेता है, वह शिक्षा पाने के उद्देश्य से ही लेता है। उसको पढ़ाने की नीयत से ही उसके घर वाले उसको आगे पढ़ने की अनुमति देते हैं। पर आज का छात्र इस बात से डर गया है कि पढ़ कर निकलने के बाद वह क्या करेगा ? बेरोजगारी का भय उसको सताता है। फिर बहुत दिनों तक बेरोजगार घर पर बैठे रहने की अपेक्षा भी वह यह उचित समझता है कि इससे अच्छा है कि वह कोई शिक्षा ही प्राप्त करे। यह भी एक कारण बन गया है। अगर रोजगार की व्यवस्था हो तो इनकी संख्या निश्चय ही कम हो जायेगी।

माननीय शिक्षा मन्त्री तो उस इलाके से आते हैं जो क्षेत्र अत्यन्त गरीब और पिछड़ा हुआ है। जहां किसानों का उत्पीड़न है। इसलिए शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए, क्यों कि मन्त्री जी खुद अनुभवी हैं ऐसे स्कूल खुलवाये जायं, जहां मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा बच्चों की रुचि जिस ओर हो उसी की शिक्षा उनको दी जाय ताकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे अपने रोजगार से लग सकें।

आज पूरे प्रदेश में छात्रों में बड़ा असंतोष बढ़ा है। इसको दूर करने के लिए सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वे एक गोल मेज सम्मेलन बुलाने की व्यवस्था कर रही है। आखिर क्यों मान्यवर, क्या कारण है कि जो इस प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान के छात्र जय प्रकाश नारायण जी के पीछे आंख मूंद कर आन्दोलन का समर्थन किया और तत्कालीन सरकार को हटाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दिया, आज वही छात्र असन्तोष में पड़कर अपनी मांगों के प्रति आन्दोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों, प्रधानाचार्यों के द्वारा उनकी मांगों को बराबर नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि गोल मेज सभा बुलवाकर बीच बचाव से सम्मानित तरीके से उनको समझा-बुझा कर, उनकी मांगों के ऊपर विचार करके तत्काल पूरे प्रदेश के जो छात्रों में जो असन्तोष बढ़ा हुआ है, उसको समाप्त करना चाहिए।

इस हिन्दुस्तान में, इस प्रदेश में जो पुराने वाइस चांसलर आज तक बने हुए हैं, वे इस बात के आदी हो गये हैं कि विश्वविद्यालय पुलिस के संरक्षण में चले। विश्वविद्यालय पुलिस और पुलिस अधिकारियों के कहने से चलें। छात्रों की बातों की अवहेलना की जाय, छात्रों की कठिनाइयों को दूर न किया जाय। यह आज के वाइस चांसलरों और अधिकारियों का रवैया है, जिसके कारण यह असंतोष छात्रों में बढ़ा हुआ है। जो यह वाइस चांसलर पुराने कांग्रेस शासन काल से चले

आ रहे हैं, छात्रों की मांगों को जानने और समझने की कोशिश तक भी नहीं करते हैं, ऐसे वाइस चांसलरों को तत्काल हटायें और उनकी जगह पर ऐसे वाइस चांसलरों को नियुक्त करें जो छात्रों की समस्याओं से अवगत रहें और उनकी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहें। विश्वविद्यालय में पुलिस का सहारा न लिया जाय। आज जो पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय बन्द हैं, उसकी जिम्मेदारी केवल वाइस चांसलर की ही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है।

इस प्रदेश में शिक्षा की कमी होने के कारण, इस प्रदेश के लोगों में अधिकतर अनपढ़ होने के कारण ज्यादातर लोग बेकार हो जाते हैं, उनकी स्थिति शोचनीय हो जाती है। मेरी यह मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिहार सरकार को देखते हुए हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा कर दी जाय, जिससे कि इस प्रदेश के छात्र पढ़-लिखकर फायदा उठावें। शिक्षा को सरकार एक ऐसी दिशा की तरफ मोड़ करे, जिससे इस देश और प्रदेश के छात्रों का कल्याण हो जाय। इस देश के महान नेता लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी बलिया जनपद के हैं और बिहार सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि हम जय प्रकाश नारायण जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। बलिया जनपद में जब कि उत्तर प्रदेश सरकार उसका आधा खर्च वहन करे, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्वांचल में जो विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गयी है, बलिया जनपद में लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, साथ ही स्वर्गीय प्रभावती जी के नाम पर एक महिलाओं का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय होना चाहिए या जो अन्य कोई बड़ा प्रभुत्व का व्यक्ति हो उसके नाम पर बलिया जनपद में एक विश्वविद्यालय खोलें। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री बाबू राम शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मुझको नहीं बुलाया जा रहा है, मैं अब चला जा रहा हूं।

(श्री राम नरेश पाण्डेय बाहर नहीं गये और अपनी सीठ पर बैठ गए।)

श्री अधिष्ठाता--

जो सदस्य हैं, यह आवश्यक नहीं है कि एक दम से उनको बुला लिया जाय।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मांगें प्रस्तुत की हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, शिक्षा मन्त्री का भाषण मैंने बहुत गौर से सुना। मन्त्री जी ने अनेक ऐसी योजनाओं की घोषणा की हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा जगत में परिवर्तन होगा। अनेक बालिकाओं के विद्यालय खोले जायेंगे और कुछ हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों को मान्यता दी जायेगी। उच्च शिक्षा के बारे में भी कई योजनायें मन्त्री जी ने रखी हैं। लेकिन शिक्षा क्षेत्र के जिस पक्ष की उपेक्षा की गई है, मैं मन्त्री जी का ध्यान उस पक्ष की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी धारणा है कि अगर शिक्षक संतुष्ट नहीं रहा तो सरकार की ओर से कितने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम शुक्ल--]

ही परिवर्तन कितनी ही योजनायें बनाई जायं, वह सफल नहीं होंगी । मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान माध्यमिक विद्यालयों म काम करने वाले शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

अभी कुछ वर्ष पहले डिग्री कालेजेज और विश्वविद्यालयों में यू० जी० सी० ग्रेड लागू कर दिये गये । यू० जी० सी० ग्रेड लागू करने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों और डिग्री कालेज के अध्यापकों के वेतन में बहुत बड़ा अन्तर हो गया है । जहां माध्यमिक विद्यालय केलेक्चरार का वेतन ७५० रु० पर समाप्त हो जाता है, वहीं डिग्री कालेज के लेक्चरार का वेतन ७०० रु० से शुरू होता है । मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एक ही शहर में दो प्रकार के इन्टरमीडिएट कालेजेज चलते हैं । एक कालेज वह हैं, जिसको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चलाती है और दूसरे वह हैं, जिनको प्रदेशीय सरकार की ओर से सहायता मिलती है और सरकार चलाती है । इन दोनों कालेजेज के अध्यापकों के वेतन में काफी अन्तर है । इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से मांग करता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक वेतन आयोग का गठन करें । और मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आज जो प्रदेश की स्थिति है, जो प्रदेश के शिक्षकों की मांग है, उसके अनुसार सुझाव है कि जो दिल्ली के माध्यमिक अध्यापकों को वेतन मिलता है, वही वेतन उत्तर प्रदेश के माध्यमिक अध्यापकों को मिलना चाहिए ।

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, उसमें माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों लिए आवास भत्ता की घोषणा की गई है । लेकिन वह किसके बराबर मिलेगा, वह बेसिक शिक्षकों के बराबर माध्यमिक शिक्षकों को दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि यह उनके साथ अन्याय है । इसलिए राजकीय विद्यालयों में जो आवास भत्ता माध्यमिक शिक्षकों को, राजकीय कर्मचारियों के बराबर मिलता है, वही माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को आवास भत्ता मिलना चाहिए ।

मान्यवर, एक बात मैं और आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले दिसम्बर महीने में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के एक ग्रुप ने सारे प्रदेश में हड़ताल चलाई । सारे प्रदेश में हड़ताल चली । हड़ताल डेढ़ महीने तक चली । मैं हड़ताल से सहमत नहीं था । आज भी सहमत नहीं हूं । मैं शिक्षा मन्त्री महोदय, के कड़े रुख की सराहना करता हूं, जिसके कारण ही हड़ताल विफल हुई और शिक्षक काम पर आये, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री महोदय ने स्वयं घोषणा की थी कि ५ जनवरी, १९७८ तक जो शिक्षक हड़ताल समाप्त करके अपने काम पर वापस आ जायेंगे, उन्हें हड़ताल के समय का वेतन दे दिया जायेगा । आज तक कोई आदेश इस प्रकार के निर्गत नहीं हुये । मैं शिक्षा मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे शिक्षा मन्त्री हैं, शासन में है, उन्हें उदारता का परिचय देना चाहिए और जिन हड़ताली शिक्षकों का अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, उनका वेतन उदारतापूर्वक विचार कर दे दिया जाना चाहिए ।

एक वर्ग शिक्षा जगत में बहुत उपेक्षित है, उसकी ओर शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माध्यमिक विद्यालयों में, डिग्री कालेजों में विश्वविद्यालयों में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहता है । मान्यवर, आज तक इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पिछले तीस साल के शासन में और ९ महीने के जनता सरकार के शासन में सेवा नियम नहीं बन सके । इनको प्राविडेन्ट फन्ड की

सुविधा नहीं है, इनको पेन्शन की सुविधा नहीं है, इनको बीमा की सुविधा नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लाभान्वित योजना में सुविधा मिलनी चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र इनके सेवा नियम बनने चाहिए।

मान्यवर, इसी प्रकार से इन्हीं विद्यालयों में तृतीय श्रेणी कर्मचारी भी कार्यरत हैं। उनका वेतनक्रम अभी तक पुनरीक्षित नहीं हुआ है और जिससे पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है।

अभी माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की कि जिस प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन वितरण करने का उत्तरदायित्व सरकार पर है, उसी प्रकार से बेसिक शिक्षकों के वेतन वितरण का दायित्व सरकार लेती है। इस प्रकार की कई बार पहले भी घोषणा की गई है, लेकिन आज तक उसके लिए आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं। शिक्षा मन्त्री जी की घोषणा स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके तत्काल आदेश निर्गत होने चाहिए, जिससे कि जिस प्रकार की सुविधा डिग्री कालेज, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को मिलती है, वही बेसिक शिक्षकों को भी मिल सके।

कुछ ध्यान मैं आपका मोन्टेसरी शिक्षा की ओर भी खींचना चाहता हूं। प्रदेश में खासतौर से बड़े शहरों में हर मोहल्ले में एक मोन्टेसरी खोला जाता है। वहां पर अभिभावकों से बड़ी-बड़ी फीस ली जाती है, लेकिन जो शिक्षक और शिक्षिकायें रखी जाती हैं उनको ५० रुपये, ६० रुपये महीने वेतन दिया जाता है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे सदन में एक ऐसा विधेयक लायें, जिससे कि मोन्टेसरी स्कूल को नियमन किया जा सके, उनकी फीस निर्धारित की जा सके और उनके यहां जो अध्यापक अध्यापिकायें नियुक्त होती हैं, उनका वेतन निर्धारण किया जा सके। अभिभावकों का शोषण रोका जा सके।

मान्यवर कुछ कानपुर नगर की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज प्रश्नोत्तर काल में आदर्श कालेज, सी० ओ० डी०, कानपुर का जिक्र किया गया था। पिछले दस महीने से वहां के अध्यापक एक दूसरे भवन में स्कूल चला रहे हैं। विभाग की ओर से स्कूल को मान्यता है। जो बच्चे फीस देते हैं, वह स्टेट बैंक आफ इन्डिया में जमा होती है। विभाग की मान्यता है, लेकिन दस महीने हो गये, वहां के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मन्त्री जी ने उत्तर में कहा था कि चूंकि प्रबन्ध कारिणी समिति स्कूल बन्द कर देती है इसलिए हमें कानूनी कोई अधिकार नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूल की मान्यता विभाग ने समाप्त नहीं की है, प्रबन्धक समिति ने अपनी ओर से स्कूल को बन्द कर दिया है। आप साधिकार नियंत्रक नियुक्त करके स्कूल को चला सकते हैं ताकि वहां के अध्यापकों का तुरन्त भुगतान हो सके। एक मांग एच० बी० टी० आई० में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के बारे में की गयी है। माननीय मंत्री ने इसके लिये एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की थी लेकिन उनकी व्यक्तिगत कठिनाई के कारण उनको इस कार्य से मुक्त कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि दूसरे सज्जन नियुक्त किये जांय और तुरन्त इस सम्बन्ध में जांच की जाय। इस तरह से कौशल्या देवी स्कूल किदवई नगर में है जिसमें साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री काली चरण--

हो गया है ।

श्री बाबूराम शुक्ल--

इसके लिये उस विद्यालय के अध्यापकों की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं । इसी तरह से महात्मा गांधी विद्यालय विजयनगर में है उसके अध्यापकों की भी मांग चल रही है कि वहां भी साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया जाय । उस पर भी आप तुरन्त विचार करें । इन शब्दों के साथ शिक्षा मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, किसी भी देश की बुनियाद उसकी प्राइमरी शिक्षा होती है । बदकिस्मती से इस देश व विशेष कर इस प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा की हालत बहुत खराब है जब कि सरकार की नीति है, गांव की ओर चलो और ग्रामीण विकास करना । इसके लिये सबसे पहले गांव की शिक्षा में हमको सुधार करना होगा जिस पर हमको ध्यान देना चाहिये । जो स्कूल गांवों में चल रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है । स्कूल है तो भवन नहीं । भवन है जो बैठने की व्यवस्था नहीं और अगर बठने की व्यवस्था है तो अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है । कोई ऐसा स्कूल न ही मिलेगा जहां सभी व्यवस्थायें पूर्ण हों । मेरा निवेदन है कि खर्चों में कटौती करके सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों के भवनों, साज-सज्जा, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें तथा अध्यापकों की व्यवस्था की जाय ।

जब हम विरोध पक्ष में थे तो कहा करते थे कि समान शिक्षा होनी चाहिये । एक अफसर, बड़े नेता तथा एक बड़े आदमी के बच्चे को जिस तरह की शिक्षा मिलती है उसी तरह की शिक्षा अन्य नागरिकों को, जो गांवों में रहते हैं, जो गरीब हैं उनके बच्चों को भी मिलनी चाहिये । हम लोग अब सरकार में हैं । तो हमारा यह दायित्व हो जाता है कि जो हम कहा करते थे उसे पूरा करें । सरकार को स्पष्ट घोषणा करना चाहिये कि इतने समय में वह समान शिक्षा की व्यवस्था कर देगी । एक वर्ष हमारी सरकार को चलते हो गये । और अभी तक हमको कोई आश्वासन इस सम्बन्ध में नहीं मिल सका है । माननीय मंत्री अपने उत्तर भाषण में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि समान शिक्षा प्रदेश में कितने वर्षों में लागू करने वह जा रहे हैं ।

दूसरी समस्या हमारे प्रदेश में बेकारी की है । जो नौजवान छात्र हैं वे हर समय सड़कों पर घूमा करते हैं । आंदोलन करते हैं, हिंसात्मक आंदोलन भी होते हैं । उनकी समस्याओं का कोई हल हमारी सरकार नहीं सोच रही है । इसमें सबसे बड़ा दोष हमारी शिक्षा नीति का है । हमारी शिक्षा नीति ही ऐसी है कि शिक्षित लोगों को बेकार बनाती है । इसके लिए खासतौर से हमारी मांगे हैं कि टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ावा दें । हर साल जब जुलाई में प्रवेश होने लगते हैं तो हमारे सामने प्रवेश की समस्या आती है, हम लोग दौड़ धूप करते हैं और छात्र भी परेशान होते हैं । हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में टेक्निकल स्कूलों को बढ़ाया जाय और लखनऊ जो हमारी राजधानी है यहां पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोल दी जाय ।

अब मैं अपने जनपद बाराबंकी के बारे में कुछ कहूंगा । बाराबंकी में लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध बहुत खराब है । वहां पर एक ही गर्ल हायर सेकेन्डरी स्कूल है उसमें पूरे जिले की लड़कियां हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आती हैं और शायद हाईस्कूल भी एक ही है । गवर्नमेंट इन्टरमीडिएट कालेज लड़कियों का एक ही है । उसमें इस साल डबल शिफ्ट करने के बाद भी तमाम लड़कियां वंचित रह जाती हैं । इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है । हमारे बाराबंकी जनपद में ५ टाउन एरिया है और दो म्युनिसिपेलिटी है । अतः इन म्युनिसिपेलिटीज और टाउन एरिया में एक-एक हाई स्कूल लड़कियों का खोला जाय । पिछली सरकार ने कुछ स्थानों पर लड़कियों का हाईस्कूल खोलने की घोषणा की थी । आपको याद होगा स्व० लाला जी श्री अवधेश शरण वर्मा थे उनकी कुछ आततायियों ने हत्या कर दी थी उसको शहीद स्थान माना जाता है । पिछली सरकार ने घोषणा की थी वहां पर एक हाईस्कूल खोला जायेगा जो अभी तक नहीं खुला है । दूसरा स्थान जैतपुर है जहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की घोषणा पिछली सरकार ने की थी लेकिन वहां पर भी अभी तक नहीं खोला गया है । अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इन दोनों स्थानों पर इस बजट में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की घोषणा शिक्षा मंत्री जी करेंगे । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता---

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) माननीय सदस्य शांति रखें । आपही लोग बोलने जा रहे हैं कोई बाहर से नहीं आयेगा । मेरा अनुरोध है कि आप लोग शांत रहें ।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ घोषणायें इस माननीय सदन में की । उन्हें सुनने के बाद और आपकी शिक्षा की प्रगति पुस्तिका पढ़ने के बाद आभास हुआ कि आपने अपने समय में कुछ प्रगति की है । यह आवश्यक नहीं है कि मैं हर बात की आलोचना ही करूं । यदि कुछ कार्य ऐसे हैं जो वास्तव में प्रदेश की प्रगति के लिए हैं तो उनके लिए मैं उनको धन्यवाद का पात्र समझता हूं । मैंने अभी वित मंत्री के भाषण में यह पढ़ा था कि पिछली सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के तीन वर्षों में केवल २५७४ प्राइमरी स्कूल और २४७ मिडिल स्कूल खोले जब कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने अपनी सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्दर एक वर्ष में ३१६२ प्राइमरी स्कूल और ६१२ मिडिल स्कूल खोले । इस समय जब स्कूलों की स्थापना का सवाल उठा तो हमने अपने जनपदों में पाया कि जनता में एक उत्साह था । वे चाहते थे कि हमारे यहां प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों ही खुलें । कुछ ब्लाक स्तरों में अच्छे स्कूल दिये गये । यह सब बातें मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में चार चांद लगाने वाली हैं । लेकिन एक बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ती है,...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव—]

उसमें कुछ सुधार करने की नीयत से । वह यह कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या निसन्देह काफी हो गई है, लेकिन उनमें यदि शिक्षा मंत्री जी जाएं, मैं तो जानता हूं । विधायक की हैसियत से जब पहुंचता हूं, तो देखता हूं कि वहां किसी भी स्कूल में दो-एक कुर्सी भी साबुत हमें नहीं मिली और बच्चों की टाट-पट्टी और उनके पानी पीने की समुचित व्यवस्था नहीं पायी है । केवल मात्र संख्या बढ़ा देने से विकास की ओर हम सही मायने में नहीं बढ़ रहे हैं । मेरी राय में इन्हें जब आप काफी संख्या में खोल रहे हैं, वहां पर मेज कुर्सियां अध्यापकों के लिये और बच्चों के लिए टाट पट्टी अवश्य होने चाहिए ।

जूनियर हाई स्कूलों के बारे में आप से कहना चाहता हूं कि इनके परीक्षा के संबंध में जो पुरानी व्यवस्था लम्बे समय से चली आ रही है, उसके प्रबन्ध में इतनी अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा हो गई है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के विभाग में कोई ऐसी भावना नहीं है कि उन्हें समुचित परीक्षा पद्धति के माध्यम से गुजरना पड़ेगा । इससे विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय होता है । इस वर्ष आप जूनियर हाई स्कूल परीक्षा बो० एस० ए० के माध्यम से कराने जा रहे हैं, यह ऐसी पोस्ट जिले में पैदा की गई है, जो कहने के लिए जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन वास्तव में मैंने जो अपने जिले और पड़ोसी जिले में पाया, इससे निकृष्ट कोई व्यक्ति किसी विभाग में नहीं होगा । जो भी आते हैं, वे रिटायर होने वाले होते हैं या छुट्टी लेकर चले जाते हैं । यह पोस्ट आपका कायम रखनी है तो ऐसे लोगों को भेजें, जो सही रूप से कार्य कर सकें, नहीं तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय रहेगा । बच्चों की जड़ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों से ही बनती है और इनको देखने का दायित्व उसी पर होता है । इस पद पर कहीं भी उच्च श्रेणी का व्यक्ति नहीं है । पता नहीं वे कहां से ले लिए जाते हैं । इसका नतीजा यह है कि इस पद की कोई गरिमा किसी जनपद में प्रतीत नहीं होती है ।

जहां तक इन्टर कालेज की बात है, एक ही बात कहनी है कि हमारे अध्यापकों की कुछ मांगें थीं, जिनको वर्तमान शासन मान नहीं सका, उनको ठुकराया और उनके आन्दोलन को कुचल दिया । इससे अध्यापकों में असन्तोष है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि वर्तमान समय में अध्यापकों में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है हर समय आन्दोलन करना, स्ट्राइक करना और वे गुरु शिष्य के पवित्र रिस्ते से अलग हो रहे थे और वह यह नहीं समझ रहे थे कि उनका दायित्व सही तरीके से शिक्षा के संचालन का है । ऐसे समय में वर्तमान सरकार ने जो कदम उठाए, सही हैं । इससे शिक्षा का जरूर सुधार हुआ है । लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि इनकी जो मांगें हैं उन पर शिक्षा मंत्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कष्ट करें । कभी कभी यह समस्या आती है कि स्ट्राईक में जो टीचर्स रहे हैं और उनके स्थान पर एक माह के लिए दो दूसरे अध्यापक रहे हैं, इसमें स्ट्राईक पर रहने वाले अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है और न नये अध्यापकों को वेतन मिला है । इसके सम्बन्ध में भी आपकी नीति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किस अध्यापक को आप वेतन देने जा रहे हैं और अगर देने जा रहे हैं । तो कब तक ?

इसके विषय में जगह-जगह हम लोगों से सवाल उठाये जाते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज खोल रहे हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां

पर दर्जनों इंटरमीडिएट कालेजेज हैं, पोस्ट गेजुएट कालेजज हैं, किसी किसी जिले में यूनिर्सिटीज भी हैं। लेकिन आपके प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर एक भी पोस्ट ग्रजुएट कालेज नहीं है। उसमें मैं अपने जिले के लिए भी कहना चाहता हूं। तीस साल के बाद, जो भी सरकार रही हो जिला शाहजहांपुर में इस समय कोई पोस्ट ग्रजुएट कालेज नहीं है। लड़कियों के लिए एक भी ग्रजुएट कालेज नहीं है। किसी भी तहसील में लड़कियों के लिए इंटरमीडिएट कालेज नहीं है। माननीय मंत्री ऐसे पिछड़े इलाकों के प्रति भी न्याय, तब समझा जायगा कि वह पूरे प्रदेश के प्रति न्याय कर रहे हैं। जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है विश्वविद्यालयों के अन्दर अनुशासनहीनता की भावना पैदा हो रही है। आज कोई भी विद्यार्थी पढ़ने की तरफ अपना ध्यान नहीं देता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

किसी समय हमारे देश की संस्कृति और परम्पराएं दूसरे देशों के लिए अनुकरणीय थीं वहीं पर हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इन बातों की तरफ न विद्यार्थी का ध्यान है न अध्यापक का ध्यान है। अनुशासनहीनता का एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जुलाई १९७६ में एल० एल० एम० पार्ट १ के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं करायीं। कम से कम तीन बार परीक्षाओं की स्कीम बनी, उनके बनने के बाद विद्यार्थी परीक्षार्थी के रूप में हाल में गये। लेकिन वहां पर विभागाध्यक्षों द्वारा कोई भी प्रबन्ध नहीं था। इसका परिणाम हुआ कि न पढ़ने वाले गुंडों ने न पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अशान्ति का वातावरण पैदा किया जो पढ़ना चाहते उनकी परीक्षाएं नहीं हो सकीं। बीच में मैंने यह भी देखा कि १९७६ में परीक्षाएं नहीं हुई, १९७७ में नये लड़कों की भरती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जुलाई १९७७ में नये लड़कों की भर्ती भी कर लिया गयी।

पुराने विद्यार्थियों को यूनियन का वोट देने से वंचित किया गया, उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। यूनिवर्सिटी एक स्वायत्तशासी बाडी है लेकिन आप का भी दखल है, आपको भी अधिकार है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। यह ढाई सौ एल० एल० एम० के विद्यार्थियों का प्रश्न नहीं है, इस विभाग की बहुत बड़ी आलोचना होती है। जिस तरीके से मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना और सामान्य प्रशासन दो ऐसे विभाग हैं जो प्रतीत नहीं होते हैं, उसी तरह से मैं कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपनी कुछ धाक जमाई है। मैं चाहता हूं कि अपने माध्यम से प्रयास करें। इस प्रकार की जो भावना भड़क रही है उसको दूर करने की कोशिश करें। आपने हरिजन और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां देने की योजना बनायी है। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि वह छात्रवृत्तियां बहुत लेट मिल रही हैं। छात्रवृत्ति की पहली किश्त अप्रैल में मिली है जबकि पढ़ाई का सत्र समाप्त होने वाला है। इस प्रकार छात्रवृत्ति से सही लाभ नहीं हो पा रहा है। इस ओर भी ध्यान देने का कष्ट करें।

अब मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राइवेट विद्यालयों के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के अध्यापकों में बड़ा असन्तोष रहता है और यही लोग असंतोष भड़काने का भी प्रयास करते हैं। इसका कारण यह है कि इन अध्यापकों पर किसी का अंकुश नहीं रहता है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन प्राइवेट इन्टर कालेजों में झगड़े का कारण वहां के अध्यापक होते

[श्री सत्यपाल सिंह यादव---]

हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसका कोई हल निकालें और कोई उपाय सोचें । मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि बालिकाओं की शिक्षा बिलकुल नगण्य है । आप एक हजार सेन्टर खोलने जा रहे हैं निरक्षरता के लिए लेकिन उन अध्यापकों की तनख्वाह इतनी कम है कि वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी राकेश---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश में लगातार ३० वर्षों तक शिक्षा जगत में जिस तरह से शिक्षा का जिस तरह से अवमूल्यन हुआ वह किसी से छिपा नहीं है । शिक्षा का क्षेत्र आज एक मेस बन कर रह गया है । यह बात भी किसी से छिपी नहीं है । शिक्षा में जो आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी वह नहीं हो पाया है । हमारी आशा थी कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नयी दिशा देगी और शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी । शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसकी भी पूर्ति की जायगी, लेकिन इस ओर इस सरकार ने कोई क्रान्तिकारी और उपयोगी कदम नहीं उठाया है । मैं उन तमाम कमीशनों की रिपोर्ट नहीं देना चाहता हूं जिन्होंने इस ओर अपनी संस्तुतियां की हैं । मुझे आशा थी कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक रास्ता पकड़ेगी जिससे उसका उत्थान होगा, लेकिन इस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया । मुझे आशा थी कि जिन बड़े बड़े नेताओं जैसे डा० राम मनोहर लोहिया की इच्छाओं के मुताबिक कार्य होगा । आज साक्षारता नहीं है बल्कि निरक्षरता है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप एक माइक पर बोलिये, आवाज साफ नहीं आ रही है ।

डाक्टर अश्विनीकुमार चतुर्वेदी राकेश---

प्रदेश में शिक्षा मंत्री की नहीं बल्कि अशिक्षा मंत्री की आवश्यकता थी । आज प्रदेश में किसी शिक्षा मंत्री की आवश्यकता नहीं रह गई है । सीमित साधनों का प्रश्न आज नहीं है । इंग्लैंड में आक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय को किसी सरकार ने स्थापित नहीं किया था । इंगलैंड में १८३२ में २ हजार पौंड का अनुदान पहली बार दिया गया मुझे लगता है कि इनसान वही है लेकिन केवल मुखौटा बदल गया है । इसकी आवश्यकता नही थी, बल्कि आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी । मुझे आशा थी कि कोई परिवर्तनशील बजट भाषण माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया केवल बनारस केकिसी साड़ी की दूकान के मुनीम की तरह का बहीखाता प्रस्तुत कर दिया । यह इनसे अपेक्षा नहीं की जा थी । १९६८ में एक राष्ट्रीय नीति के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया था । वह प्रस्ताव १७ सूत्री था ।

(माइक पर न बोलने से आवाज साफ न आने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आप एक माईक को अपने सामने कर लें ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी राकेश---

आपका समग्र क्रान्ति या सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा देना चाहिए था जिससे शिक्षा जगत में परिवर्तन होता लेकिन आपने अपनी बजट स्पीच के केवल यह बताया कि

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किस तरह से इसको पास करो और किस तरह से इसको न पास करो, कितने भवन बनाये जाये और कितने भवन न बनाये। तो यह तो आपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों का काम ले लिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैकाले की शिक्षा नीति चालू रहेगी या जो नीति महात्मा गांधी ने चलाया था वह चालू रहेगी। जिन लड़कों के बल बूते यह आज विधान सभा में आये और जिनके बूते पर यह शिक्षा मंत्री बने हैं, आपने उनकी नीति में परिवर्तन किया होता। लोक-तांत्रिक पद्धति में सबको कहने का अधिकार है। जब कोई सरकार किसी नीति का क्रियान्वयन करती है तो उसे कोमल होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कठोरता के साथ काम करना चाहिए। आप जानते हैं कि शिक्षा सन्दर्भ हीन हो गयी है आप चाहते हैं कि गांवों में शिक्षा का विकास हो और शहरों में शिक्षा का विकास हो। आप देहात के स्कूलों को देखें। एक लाख १२ हजार गांवों का यह प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रशासनिक युनिट है। आप इस प्रश्न पर विचार करें।

आप यह भी जानते हैं कि नालन्दा जसे विश्वविद्यालय सरकारी अनुदान पर नहीं बने थे बड़े बड़े लोगों न दान दिया था और शिक्षा संस्थायें खोली जाती थीं। मैं कहना चाहता हूं कि जितना बजट पिछले साल था उतना ही बजट इस साल भी रखा गया है। जो प्रस्ताव आपन पिछले सम्मेलनों में पास किए हैं उन पर आप अमल करें। एक लाख १२ हजार गांवों में १५० गांवों में तकनीकी शिक्षा भेज पाये हैं। आज सोचा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों को बन्द कर दिया जाये, ठीक है लेकिन जेल के फाटक को खोलो। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप विचार करें कि इसका कारण क्या है। कितने वाइस चान्सलर ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय छोड़कर भाग गये हैं। ६ महीने तक वे विश्वविद्यालय नहीं गये हैं। हर जगह विश्वविद्यालय और कालेज बन्द हो रहे हैं। चाहे विश्वविद्यालय का सवाल हो या होम्योपैथिक कालेज का सवाल हो उनको नजर अन्दाज न कीजिए, आप इनको देखिए। अब मैं यह चाहता हूं कि कुछ सुझाव आपको दे दूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि आप यह कोशिश कीजिए कि फील्ड एजूकेशन हो। मैं तो चाहता हूं कि आप उनको डी० लिट दीजिए जो भी टेक्नकल हो उसको दें। और इस प्रकार की एजूकेशन खत्म कर। जो स्पेशलिस्ट हों चाहे वे भैंस के चरवाहे हों या उनका दूध दुहते हों, उन सब स्पेशलिस्ट को दें।

जहां तक नारी शिक्षा का प्रश्न है हमारी माताएं और बहनें ५० प्रतिशत से ज्यादा पढ़ा लिखी नहीं हैं, उनकी शिक्षा के लिए आपने कौनसा कदम उठाया है, आपने उनके आरक्षण तक की भी कोई योजना नहीं तैयार की है ?

जहां तक पंतनगर यूनिवर्सिटी का प्रश्न है आपको वहां पर इजराइल जैसे देशों के समान वर्कर्स एजूकेशन सेन्टर्स कायम करने चाहिए थे। दुनिया भर में एक भी युनिवर्सिटी नहीं है बिक बैंक कालेज लंदन से लेकर हार्वर्ड युनिवर्सिटी तक जहां पर यह न होता हो। मैं अपने सारे सुझावों को आपको लिखकर दे दूंगा और यदि आप बुलायेंगे तो चर्चा भी कर लूंगा। चाहे वह नारी शिक्षा की बात हो, चाहे वह परिवर्तनों की बात हो और चाहे वह नौजवान का कोई विधान बनाने की बात हो चाहे वह स्टूडेन्ट्स पार्लियामेंट की बात हो, चाहे वह यूथ पार्लियामेंट की बात हो चाहे वह नौजवानों के लिए कानून बनाने की बात हो,

[डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

या उनको दिशा देने की बात हो, ये नौजवान खामोश नहीं बैठ सकेंगे। गांधी जी ने कहा था कि

"It is better to be violent if there is violence in our breasts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence".

Some times it is a sin to obey the authority.

**आज का नौजवान अनुशासन में है लेकिन शासन में नहीं है। मैं आज उनकी वकालत नहीं करता हूं कि अगर आप उनको दिशा नहीं देंगे तो सड़कों पर खेत पर खदानों पर सब जगह बगावत होगी और उसको आप रोक नहीं सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप दिशा परिवर्तन कीजिए, उनको दिशा दीजिए?

एक सदस्य—

मान्यवर, आज की सूची में मेरा नाम प्रथम स्थान पर था पर मुझे अभी तक भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया। यह माना कि आप अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्था की उपेक्षा की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा की अनुदानों पर बोलने का समय दिया। पूर्व इसके कि मैं शिक्षा सुधार के बारे में कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करूं, म निश्चित रूप शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष १९७७-७८ में ३,१६२ प्राइमरी स्कूल और ६१२ मिडिल स्कुल खोले यानी ३,७७४ स्कूल खोले, ये स्कूल किसी शहर में नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में खोले। गांव की ओर बढ़ते हुए कदम शिक्षा बजट में झलकते हैं। वर्ष १९७८-७९ में २०७० प्राइमरी और १,१३८ जूनियर हाई स्कूल खोलना चाहते हैं। अर्थात् ३,२०८ प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। यह भी उन्होंने जानकारी दी है कि ३·४९ करोड़ रुपये से ये नये प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का निर्माण कराना चाहते हैं। जिसमें से एक हजार प्राइमरी स्कूल और ३६२ जूनियर हाई स्कूल बनेंगे अर्थात्। १,३६२ नये मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के भवन बनाने का प्रस्ताव है।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए।)

एक मेरा सुझाव है कि आपने पांचवीं तक शिक्षा निःशुल्क रखी है, लेकिन साक्षरता को और उत्तर प्रदेश के कढ़ते हुए कदम तब चलेंगे जब अनिवार्य शिक्षा ५वीं तक कर दें और जो गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में न भेज उसको दंड का प्राविधान किया जाय, तभी उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए कदम गांव की ओर जा सकेंगे। ५वीं तक जो निःशुल्क आपने किया है उसको ८वीं तक कर दें। ये प्रिंसिपल और हेडक्लार्क जो बड़े बड़े महन्त और मठाधीश बने बैठे हैं इनका ट्रांस्फर एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया जाय तो जातिवाद की गन्दगी और धर्मवाद के जो ये महंतगीरी चला रहे हैं, जो सांप की तरह कुंडली बनाये बैठे हुए हैं वह

समाप्त होगी और शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा । साथ ही गांव की ओर चलने का इरादा है तो ६ से १० तक टेक्निकल एजूकेशन को भी कम्पलसरी बनायें । क्योंकि हाई स्कूल करने के बाद जिसको टेक्निकल नालिज रहेगी वे कुछ कर सकें अभी तो दो ही मिनट हुए हैं,, यह आपने लाल बत्ती कर दी । इसको बन्द कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट और हैं आपके ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं अपनी घड़ी से बता रहा हूं ।

दूसरी बात दोहरी शिक्षा प्रणाली है । एक तरफ कनवेंट स्कूल और दूसरी तरफ आपके प्राइमरी स्कूल हैं । एक तरफ लोग कुर्सियों पर बठते हैं, आलीशान बिल्डिंग में बैठते हैं और दूसरी तरफ टाट-पट्टी और बोरिया लाकर उसपर लड़के बैठते हैं । तो इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया जाय और पब्लिक स्कूल के विए मैं नहीं कहता कि इनको तोड़ा जाय, बल्कि गांव वाले प्राइमरी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उन पब्लिक स्कूल के समान करें जिससे प्राइमरी शिक्षा का लेबिल बढ़ सके ।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात बहुत दिनों से कही जा रही है । हम सब भी कहते थे और आज भी कहते हैं । आप भी चिल्लाया करते थे कि शिक्षा का राष्ट्रीकरण हो । पर इस कुर्सी पर आने के बाद कौनसा जादू हो जाता है कि आपको वह राष्ट्रीयकरण की नीति न जाने कहां दब गई । आपके पहले के व्याख्यान लायब्रेरी में मौजुद होंगे, तो मेरी मांग है कि शिक्षा के राष्ट्रीकरण करने के लिए प्रभावी कदम उठये जायं । साथ ही प्राइवेट मैनेजमेंट वाली शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लें तभी यह महन्तगोरी समाप्त हो सकेगी । आपने आरक्षण की नीति बैकवर्ड और हरजिनों के लिए अपनाई है तो ४,६४४ माध्यमिक स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में जिन में १,०४,०७२ टीचर्स हैं, लेकिन मैं हरजिनों की बात करता हूं की हरजनों की संख्या नगण्य है । उनका आरक्षण होना चाहिए, कहीं पर भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है । इसलिए कागजों में प्राविधान करने से काम नहीं चलेगा । आपको देखना होगा कि हरजनों को उचित प्रतिनिधित्व वास्तव में मिले ।

डिग्री कालेजों में अध्यापक मंडल में भी आरक्षण की बात जो कही है उसको ठीक से आपको इम्पलीमेंट कराना पड़ेगा । विभागाध्यक्षों के पदों पर कम से.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

उनका रोटेशन करके रखें । जिससे सभी को मौका मिले । अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आरक्षण की व्यवस्था जो रखी गयी है....

श्री अधिष्ठाता—

गौरीशंकर जी अब आपका समय समाप्त । आप कृपया बैठिये ।

श्री गौरीशंकर ऐडवोकेट—

मैं केवल अन्त में यही कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

अब नहीं, आप कृपया समाप्त करें । अब आप बैठें । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, आप कृपया शुरू करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जिला (फैजाबाद)—

मान्यवर, शिक्षा और लोकतंत्र का वही सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा का हुआ करता है । इसलिये यदि इस देश में लोकतंत्र के मूल्यों को प्रतिष्ठित करना है तो हमें शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आज जिस तरह से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, नैतिक मान्यतायें टूट रही हैं, उसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी आज हमारे मित्र अरुणकुमार जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव किया है, यह देखकर बड़ा दुख होता है । बड़ी शर्म आती है । इसमें तो और बढ़ोत्तरी होना चाहिये थी, न की कटौती का प्रस्ताव रखा गया है । मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले १९ महीनों में और पिछले ३० वर्षों में जिस तरह से नैतिक मूल्यों का गला घोटा जाता रहा है, आपकी (विरोध पक्ष) नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार ने जिस तरह से नैतिक मूल्यों का गला घोटने का काम किया है वह बड़ा ही दुखद है । उनके हाथ आज खून से रंगे हुये है । आज कटौती का प्रस्ताव भी उन्हीं की तरफ से रखा गया है । शिक्षा के प्रसार एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि काश्मीर, राजस्थान और बिहार को छोड़कर, साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का स्तर सबसे नीचा है । इस स्थिति में शिक्षा का जो बजट रखा गया है, उससे कहीं अधिक रखने की हमारे यहां आवश्यकता थी, पर हमारी सरकार की कुछ मजबूरियां भी हैं । हमारे यहां संसाधनों की काफी कमी है । उनको देखते हुये शिक्षा के लिए हम इससे ज्यादा बजट में धन नहीं रख सकते थे । लेकिन एक निवेदन मैं अवश्य करना चाहूंगा । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के अन्तर्मन प्रवृत्ति एवं क्षमता को जागृत करना होता है । उसी के अनुरूप अध्यापक का भी कर्त्तव्य है कि वह छात्र में उसकी उस क्षमता को विकसित करे । इसी प्रकार शासन का भी दायित्व हो जाता है कि विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों की सुख-सुविधाओं का प्रबन्ध करे ।

मान्यवर, स्वतन्त्रता के बाद इस देश में डा० राधाकृष्णन कमेटी, आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी, मुदालियर कमेटी बनी और भी तमाम कमेटी बनीं, जिन्होंने अपने-अपने मूल्यवान सुझाव एवं संस्तुतियां अपने प्रतिवेदनों में दी हैं, वे सभी संस्तुतियां रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं । आज जो यह कहा जाता है कि शिक्षा की दुर्दशा के लिये जनता पार्टी जिम्मेदार है, या उसे जरा भी परवाह नहीं है, यह गलत है । पर मेरा सरकार से निवेदन है कि वह यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाये । इस प्रकार की शिक्षा को पुनर्जीवित करें, जिससे हमारे राष्ट्र तथा समाज की नव रचना की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही साथ आदर्शनात्मक शिक्षा से हमारी

शिक्षा पद्धति अनुरंजित रहे, मैंने पिछले शासन में भी कहा था कि हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् इस देश की ही नहीं दुनियां की सबसे बड़ी इक्जामिनिंग बाडी है। अगर इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को समाप्त करना है तो इसको विकेन्द्रीयकरण करके नई पद्धति अपनाना होगा। इसी प्रकार के यथार्थवाद के नाम पर अविचारित आदर्शवाद की ऊंचाइयों को अधिगत करने का प्रयास बन्द होना चाहिये। प्राइमरी का छोटा बालक जब अपनी पीठ पर या कन्धे पर लटकाता हुआ किताबों का बोझ लेकर स्कूल तक पैदल जाता है तब वह निर्मम दृश्य देखकर शिक्षा की नई योजना बनाने वालों की बुद्धि पर तरस आता है। इसी प्रकार दस प्लस २ प्लस ३ वाली योजना के संदर्भ में एक दर्जन से ऊपर अध्ययन के विषयों को, जो हाई स्कूल के स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, समझ से बाहर की बात है।

मैं बल पूर्वक कहना चाहता हूं कि किशोर मस्तिष्क में सभी प्रकार के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सूचनाओं को ठूस देना नितांत अनुचित तथा अवांछनीय है। क्योंकि यह निश्चित है कि विशेषीकृत ज्ञान (स्पेशलाइज्ड नालेज) चाहे वह प्रारम्भिक स्तर का ही क्यों न हो, मानसिक तथा शारीरिक विकास के एक निश्चित धरातल की अपेक्षा रखता है। यह सही है कि शिक्षा रोजगार पूरक होनी चाहिए। लेकिन इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि शिक्षा अपना महत्व तथा सार्थकता पूर्णतः खो देगी, अगर इसकी मशीनरी का पुनर्गठन केवल तकनीकियों तथा व्यवसायियों की जाति को ही पैदा करने में मुड़ जाय, जो जीवन की अपेक्षा सुन्दर तथा उदार तथ्यों को समझाने में समर्थन न हो सके। इसी प्रकार से उच्चतर या विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य विषयों की संख्या बढ़ाने की मांग कम से कम सस्वर (वोकल) चिन्तन के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। उदाहरणतः नैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये, एन० सी० सी०, राष्ट्रीय सेवा योजना, खेलकूद, योग शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्यों की इस बिरादरी में एक और भी सदस्य जुड़ना चाहता है जो अभी परम्परा से डर कर मुखर नहीं हो रहा है, वह है सेक्स का ज्ञान, जिसे परिवार कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाने लगा है। कालेज तथा विश्वविद्यालय के स्तरों पर इन अनिवार्य विषयों की वकालत पर थोड़ा आप विचार करें। ये अनिवार्य विष अन्य शैक्षिक अनिवार्य विषयों के साथ किस प्रकार अभियोजित किए जायेंगे? महाविद्यालयों में टाइमटेबुल का फैलाव कितनी दूरी अथवा सीमा तक किया जायेगा? फिर नैतिक शिक्षा जैसे विषयों का ज्ञान किशोरों के धरातल पर कराया जाना चाहिये न कि कालेज तथा यूनिवर्सिटी जाने वाले प्रौढ़ मस्तिष्क के युवकों को। आज तो हम एक ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिये शैक्षिक, शारीरिक औद्योगिक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम एक बुद्धिजीवी, खिलाड़ी, समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा वैज्ञानिक अन्वेषक, सब का एक ही समन्वित कम्पाउण्ड तैयार करना चाहते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यावहारिक धरातल पर बौद्धिक प्रेत और शारीरिक गमा दोनों को एक साथ प्राप्त करने का महत्वशाली उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्नातकीय स्तर पर पाठ्यक्रमों को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। (१) जनरल कोर्स और आनर्स कोर्स। जनरल कोर्स में प्रवेश के लिये निचली कक्षा में उत्तीर्ण होने के अलावा और कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए।

इसमें एन० सी० सी० के अतिरिक्त दो ही शैक्षिक अनिवार्य होने चाहिए, जिनके साथ भाषा एवं ललित साहित्य का एक संक्षिप्त सामान्य प्रश्न-पत्र जुड़ा

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

होना चाहिए। अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री से तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उधर विशेष ध्यान दें और शिक्षा विभाग को दफतरशाही के शिकंजे से मुक्त करावें। फैजाबाद में एक ही डिग्री कालेज है। वहां से संस्तुति आई कि रसायन शास्त्र में एम० एस० सी० की कक्षा खुलनी चाहिए। उसमें एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा था कि बिल्डिंग की शर्तें और उपकरण की शर्तें पूरी हैं, उसके बावजूद भी नहीं खोला गया और कल जब मैंने उस पर सवाल किया था तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जवाब दिया कि अगले सत्र से खुलने पर विचार किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि विगत ३० वर्षों में कांग्रेसी शासन में शिक्षा की जो दोषपूर्ण नीति रही है, उसके कारण बेकारी का वातावरण प्रदेश में पैदा हो गया है। किसी देश की तरक्की और खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा नीति जो है, वह सुचारु रूप से चले। दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। तो मान्यवर, मैं शिक्षा मन्त्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह दोहरी शिक्षा नीति जो प्रदेश में चल रही है, वह समाप्त होनी चाहिये। मान्यवर, आप जानते हैं कि मन्त्रियों के बड़े-बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों तथा अफसरों के बच्चों के पढ़ने के लिए देहरादून और ऊटी जैसे शहरों में अलग स्कूल बनाये गये हैं और वहां वह पढ़ते हैं। मान्यवर, एक तरफ गरीब का पाताल और दूसरी तरफ अमीरी का कैलाश है। गरीबों के बच्चे देहातों में पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे देहरादून और ऊटी जैसी जगहों पर। इसलिये जहां ८६ फीसदी गरीब लोग रहते हैं, जिनके बच्चों के पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है। अतएव नागरिकों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। शिक्षा क्षेत्र में जब तक समानता नहीं लाई जायेगी, तब तक गांवों का विकास नहीं होगा और न वहां खुशहाली ही आ सकती है।

इसलिये जनता सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि गांवों की ओर चलो जहां कहते हैं तो उनको देखा जाय कि हमारे ग्रामीण शिक्षा की हालत क्या है। प्राइमरी शिक्षा ही एक मूल शिक्षा है। मूल का यहां अर्थ है नींव। जब नींव ही कमजोर होगी तो आगे चलकर चाहे जितनी पढ़ाई की जाय, लेकिन वह अधूरी रहेगी, वह ग्रेजुएशन कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन जब उनको हिन्दी और उर्दू का इमला बोल दिया जाता है तो वह सही नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी तो दूर की बात है। इसका खास कारण यह है कि गांव में जो जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है बड़े लोगों के लड़के जो बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनपर प्राइमरी सेक्शन में २०० से ४०० रु० महीने खर्च किया जाता है। इसलिए बड़े लोगों के बच्चों के प्राइमरी स्कूलों में और छोटे लोगों के बच्चों के प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई में काफी अन्तर है। देहात के प्राइमरी स्कूलों में बैठने के लिए स्थान नहीं है। किताबों की व्यवस्था नहीं है और न अध्यापक ही समय पर आते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में

शिक्षा के स्तर में समानता आये तो जब तक यह दीवारें तोड़ी नहीं जायेगी, तब तक यह समानता नहीं आयेगी ।

मान्यवर, मैं अपने जिले बाराबंकी के बारे में कहना चाहता हूं कि बाराबंकी जिला राजधानी के पड़ोस में है । लेकिन कहावत है कि बड़े के पड़ोस में रहने से ओछाव पड़ जाता है । हमारा बाराबंकी जिला राजधानी के पड़ोस है, इसलिए उस पर ओछाव पड़ गया है । मान्यवर, जिस तरह से बाराबंकी जिले की तरक्की होनी चाहिए, वह नहीं हुई है । मैं शिक्षा मन्त्री का शुक्रगुजार हूं कि पिछले सत्र में उन्होंने वायदा किया थी कि दोहरी पाली की व्यवस्था इन्टरमीडिएट कालेजों में की जायेगी तो मन्त्री जी ने अपना वायदा पूरा किया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां इन्टरमीडिएट कालेज जो लड़कियों का है, उसकी निजी बिल्डिंग नहीं है । वह बिल्डिंग टूटी-फूटी है । बरसात में वह टपकने लगती है । लड़कियों के बैठने की उसमें जगह नहीं है । बरसात में स्कूल अक्सर बन्द रहता है । इसलिये मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारा निर्वाचन क्षेत्र रबौली है । रबौली नोटीफाइड एरिया है जो १९०८ में बना । वहां की आबादी ३० हजार है । लेकिन ७० साल हो गए हैं, किन्तु अभी तक वहां एक भी लड़कियों का हाई स्कूल नहीं है । इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसी सत्र में कोई व्यवस्था करें । हमारे जिले में १३५० प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें से ४६२ ऐसे स्कूल हैं, जिनकी कोई इमारत नहीं है । उसी प्रकार १४६ मिडिल स्कूल हैं, उनमें ७१ ऐसे हैं, जिनके लिए कोई भवन नहीं है । मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से चाहता हूं कि इस सिलसिले में तत्काल व्यवस्था की जाय ।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का भाषण सुनता रहा । उन्होंने बजट पेश करते वक्त कुछ अतीत का जिक्र किया । मैं यह याद दिला दूं कि अतीत और भविष्य के बीच में एक पुल और भी है, जिसे वर्तमान कहते हैं । और वर्तमान पैमाना है, इस बात का कि किस तरह की पालिसी है आया वह आज की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है या नहीं, कभी एक आवाज गूंजी, जिससे यह जाहिर हुआ कि जो परिवर्तन शिक्षा में होना चाहिए था, वह परिवर्तन नहीं हुआ । पुराने बेल के ऊपर पैमाना लाकर रख देना और उसके बाद वाहवाही करने की कोशिश कुछ अजीब बात सी मालूम होती है ।

मैं समझता हूं कि सभी का तजुर्बा यह होगा कि प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य होनी चाहिये । इसलिए कि अगर अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी तो यह प्रदेश और पिछड़ा चला जायगा । जहां तक प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रश्न है, उसमें भी ऐसा मालूम होता है कि किसी कायदे के मुताबिक नहीं खोले गये हैं । मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करूं । मेरे क्षेत्र में एक गांव है, सफरी नदियों से घिरा हुआ है, उसमें कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है । बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं । इसी तरह मेरे क्षेत्र में दस-बारह गांव रामगंगा खादर में है और वहां केवल चार प्राइमरी स्कूल हैं । कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है । अब यह कहना कि दस साल में सब पढ़-लिख जायेंगे कुछ खवाब सा मालूम होता है । जहां तक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों का सवाल है मेरा ख्याल है कि बी० टी० सी० पास करके लड़के और लड़कियां हजारों की तादाद में बेरोजगार अपने घरों में बैठे हैं, इसमें

[श्री हामिद रजा खां--]

शक नहीं कि आपने प्राइमरी शिक्षा पर तकरीबन ५२ प्रतिशत खर्च दिखाया है, लेकिन आपने पिछले वर्ष के मुकाबिले में इस साल स्कूल की तादाद कम कर दी।

इसके अलावा में उर्दू के तालीम के बाबत दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। उर्दू को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लेकिन उसमें कई शर्तें हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में चालीस बच्चे हों तब उर्दू का टीचर दिया जायेगा दस बच्चे दस बच्चे हों तब टीचर दिया जायेगा। टीचर है ही नहीं उर्दू पढ़ाने वाला, चाहे दस बच्चे हों या बीस बच्चे हों। आपके पास उर्दू पढ़ाने वालों की मेरे ख्याल में बहुत कम तादाद है। जामियां उर्दू अलीगढ़ की पिछले बजट में दस हजार ग्रान्ट थी आप ने उस ग्रान्ट को बन्द कर दिया। जामिया उर्दू अलीगढ़ एक संस्था है जो कि उर्दू की सेवा करती रही है। उसकी तरक्की के लिये मेरी राय में उस ग्रान्ट को बन्द नहीं होना चाहिये। दस हजार रुपये नाकाफी है। इसके अलावा में इस बात की और गुजारिश करूंगा अरबी की तालीम के बारे में। यह भी एक विशेष विषय है संस्कृत की तरह। उसकी भी ग्रान्ट मिलती है, वह युटिलाइज नहीं हो पाती है, उसका कारण तलाश किया जाना चाहिये। अरबी के टीचर्स का जो ग्रेड है, वह बहुत कम है और संस्कृत टीचर्स के बराबर नहीं है। उनको बिल्डिंग ग्रान्ट भी नहीं मिलता है और जिन संस्थाओं ने अरबी ग्रान्ट की मांग है, वह उनको मिलनी चाहिए। अरबी और फारसी के जो मदरसे हैं इलाहाबाद युनिवर्सिटी के आलिम फाजिल बनाये जाते हैं उनको भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तरह बी० ए० तथा एम० ए० के बराबर दर्जा दिया जाय।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

आज शिक्षा की जो विचित्र स्थिति है, उसको देखकर एक शताब्दी पूर्व के उस सैयाद की याद आती है, जिसने ऐसी तालीम दी इस देश को लाखों लाख व्यक्ति मैकाले नजर आते हैं।"

मेरे सैयाद की तालीम की है धूम गुलशन में

यहां जो आन फंसता है वह कल सैयाद होता है।

इसी तरह शिक्षा के बारे में इस देश के इस देश के मनीषी और महर्षियों ने कहा है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः। स्वम् स्वम् चरित्रम् शिक्षेरन्, पृथिव्याम् सर्वमानवाः।

शिक्षा एक अलग चीज है, किताबों का योग अलग चीज है। बोझ शिक्षा में बोझ बढ़ गया है, बोध नहीं बढ़ा है। शिक्षा आज उसे कहते हैं जिसने बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं। उसे आज मनीषियों ने पढ़ा लिखा गधा कहा है। वह गधा किताबों और डिग्रियों के बोझ से लदा है। इसके लिए कहा गया है यथा खरश्चन्दन भारवाही।

भारस्यवेत्ता न तु चन्दनस्य,

तथैव शास्त्राणि वहून्यधीत्य।

चार्थेसु मूढ़ाः खरवद् वहन्ति।

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, गधे पर यदि मलया गिरि चन्दन का बोझ लाद दिया जाय या घूरे और कूड़े का बोझ लाद दिया जाय गध के लिए बोझ बोझ है। वह नहीं जानता कि मलवा गिरि चन्दन का यह बोझ है या कूड़े का बोझ है। इसलिए शिक्षित लोगों के लिए यह बात कही गई है स्पष्ट तौर से कि शिक्षित वह है जो मानव को मानव बना दें। आज शिक्षा दीक्षा की बात कही जाती है। शिक्षा अलग है, दीक्षा अलग है दीक्षा चली गई है। स्वामी दयानन्द ने कहा है कि शिक्षा अलग है, दीक्षा अलग है। अब तो शिक्षा के साथ नौकरी की भिक्षा रह गयी है। शिक्षा भिक्षा हो गई है। शिक्षा की एक स्थिति होती है और वह यह है कि लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियां व लोक कल्याणकारी दृष्टि ही शिक्षा का मन्तव्य होता है। उस शिक्षा से क्या फायदा जो लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों की सृष्टि न कर सके, सार्वभौम दृष्टिकोण को विकसित न कर सके। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने सार्वभौम दृष्टि के लिए बड़ी अच्छी बात कही है :

"कीरति भनिति भूति भलसोई।
सुरसरि सम सब कर हित होई।

वह सार्वभौम दृष्टिकोण क्या है :

अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्तिरन्येव कापि रचना वचना
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरात्तवलीनाम् हृद्या
विद्यावताम् सकल मेव गिरांवदीयः।

यानी लोक कल्याणकारी मानसिक प्रवृत्तियां सामान्य जन से अलग होती हैं। अन्याजगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति, रन्वेव कापि रचन बचना वलीनाम्, लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरातं हृदयाविद्यावता सकलमेव गिरादवीयः॥

विद्या और शिक्षा यह है, जिससे लोक कल्याण हो मानव प्रवृत्तियों का विकास हो और उनकी वाणी से फूल झरते हों। 'विद्या अमृतं अश्नुते' विद्या ऐसी कामधेनु है।

श्रीमन्, आज शिक्षा की स्थिति बदल गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय विष विद्यालय बन गए हैं। बड़ी उदात्त कल्पना कुलपति की थी। जमदग्नि और अत्रि जो सहस्त्रों विद्यार्थियों के जीवन को उज्जवल करते थे। उसी को कुलपति कहा जाता था। आज की स्थिति भिन्न हो गई है। जहरीली वायु, जहरीला भोजन, जहरीला जल जितना देश के लिए घातक नहीं है, जहरीली शिक्षा उससे ज्यादा घातक होती है। आज चारों तरफ अपराध बढ़ रहे हैं। समाज के सामने जहरीली चुनौतियां आई हैं, शिक्षा जहरीली हो गई है। वह जहरीली शिक्षा सड़ांध पैदा कर रही है। इसीलिए उसे दूर करने के लिए आज खुली चुनौती होनी चाहिए। उसको जन्म देने वाला यह अश्लील साहित्य है। जब तक उसे दूर नहीं किया जायेगा, तब तक सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जायगा। इस सम्बन्ध में मैं शासन से मांग करता हूं कि सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें, इस राष्ट्रीयकरण में कौन बाधक हैं? यह व्यवसाय कौन चला रहे हैं? जिनके हाथों में आज हजारों की आमदनी होतीहै। इन बड़ी दुकानों से २ हजार रुपये से लेकर ४० हजार रुपया महीना एक-एक शिक्षा संस्था से आमदनी होती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरे साथी बुरा न मानें, उसमें माननीय विधायक हैं, मन्त्री हैं, संसद सदस्य हैं, जिला परिषदों के अध्यक्ष हैं। जो यह बड़ी दुकानें चला रहे हैं। ८० प्रतिशत ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हुआ ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करता हूं और एक मांग करता हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो और गांवों में शिक्षा का प्रसार हो । इन शब्दों के साथ में आपका आभार प्रकट करता हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, हमें भी मौका मिलना चाहिए महिला होने के नाते...

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले श्री अरुण कुमार जी ने तथा अन्य विरोधी दल के सदस्यों ने हमारे शिक्षा मन्त्री जी के इस बजट प्रस्ताव की सराहना की है । मैं समझता हूं कि उत्तरदायी विरोधी पक्ष केवल सरकार के अवगुणों की ही नहीं बल्कि सरकार की जो अच्छाइयां हैं उनकी भी सराहना करता है और उनका प्रचार भी करता है । मुझे इस बात की खुशी है। और खुशी होती यदि विरोधी पक्ष के एक सज्जन ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने केवल पुराने कपड़े पर पेबंद लगाने की कोशिश की है यदि वह ईमानदारी से कुछ अच्छे पेबन्द लगाने का सुझाव देते । बहरहाल जिन परिस्थितियों में जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और बिना कोई अधिक टैक्स लगाए बजट जो पेश किया गया है, उससे उनको सन्तोष होना चाहिए । मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो यह कह कर सन्तोष करूं कि पिछले ३० साल में कांग्रेस की हुकूमत में क्या काम हुए हैं । मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि कांग्रेसियों ने जो कुछ किया हो ,हम उनकी आलोचना करके वाह वाही नहीं लूट सकते हैं । उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए वह उत्तरदायी हैं और जो जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं । मौजूदा बजट में हमारे शिक्षा मंत्री ने कई अच्छी बातें की हैं । मैं अपने विरोध पक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि क्या किसी भी हायर सेकेन्डरी स्कूल वाले को अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए यहां बार-बार आना पड़ा है ? क्या सन् ७५ से लेकर अब तक के तमाम हाई स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ मान्यता प्रदान करने का शुभ कार्य नहीं किया गया है ? क्या शिक्षा मंत्री ने इसका प्राविधान नहीं किया है कि जिन राजकीय विद्यालयों में एक भी उर्दू पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा , वहां उर्दू अध्यापक दिया जायेगा ? इससे अच्छी बात उर्दू पढ़ने वालों के लिए और उर्दू प्रेमियों के लिए और क्या हो सकती है ।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

बिलकुल नहीं किया है, यह चीज बिलकुल गलत कहना है । जो पहले से था वह आज भी है । कोई बदलाव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कर शान्ति पूर्वक सुनें ।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी विशेष सुविधाओं का प्रविधान किया गया है । इसके साथ जहां तक शिक्षा पद्धति की आयोजना का प्रश्न है, मैं इस माननीय सदन का ध्यान आज के अखबार में प्रकाशित राष्ट्रपति महोदय के वक्तव्य की ओर खींचना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने अपने पहले से तैयार किए हुए व्याख्यान से हटकर कहा है कि देश की शिक्षा संस्थाओं में अशान्ति का मुख्य कारण यह है कि छात्र अपने भविष्य के प्रति किंचित मात्र भी आश्वस्त नहीं हैं । आगे उन्होंने कहा-स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आज विश्वविद्यालयों के लिए वाइस चांसलर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं । यह आर्थिक प्रश्न है । जहां तक स्थिति की गम्भीरता का प्रश्न है देश के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति ने हमारी आंखें खोल दी हैं । उन्होंने कहा है कि वस्तुस्थिति यह है कि जब तक छात्रों को अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद भविष्य की ओर कोई दिशा नहीं होगी और कोई काम नहीं मिलेगा, यह अशान्ति जारी रहेगी । यह प्रश्न सरकार का नहीं है, विरोध पक्ष का नहीं है यह एक राष्ट्रीय ज्वलन्त प्रश्न है । मैं उम्मीद करता था कि जहां राष्ट्रीय मसला हो, विरोध पक्ष, को ठोस सुझाव देना चाहिए । किन्तु अब तक जितने भाषण हुए, उनमें कोई भी नई बात नहीं कही गयी । कुछ ने कहा हमारे यहां विश्वविद्यालय होना चाहिए, किसी ने कहा इतने स्कूलों को मान्यता मिल जाय । लेकिन बुनियादी बातों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है । किसी सदस्य को बोलने का अवसर मिले तो मैं चाहूंगा कि विरोध पक्ष के सदस्य इस सम्बन्ध में अपने निश्चित सुझाव हमारे सामने रखें ।

जहां तक हमारी शिक्षा का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी शिक्षा उद्देश्य हीन है । एक तरफ शिक्षा में यह मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय खुलें, टेक्निकल स्कूल खुलें । दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें से जो छात्र निकलते हैं, दर-दर नौकरी के लिए मारे फिरते हैं । जैसा कि दूसरे देशों में है, हाई स्कूल तक कम्पलसरी शिक्षा कर दीजिये । उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड शिक्षा होनी चाहिए । औद्योगिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे बेरोजगारी जो हमारे देश में मुंह बाये खड़ी है, उसका हल निकल सके ।

हमारा बड़ा भारी एक प्रश्न इंटीग्रेशन का है । मेरा निश्चित सुझाव है कि माननीय शिक्षा मन्त्री इस प्रकार का प्राविधान करें कि हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट कक्षाओं में साउथ की भाषा, असमी, बंगला भाषाओं को पढ़ाया जाय, जिससे इंटीग्रेशन का काम चल सकेगा । केवल उर्दू और संस्कृत भाषाओं को पढ़ाकर काम चलने वाला नहीं है । इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

मेरा सुझाव एक और है कि बहुत से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जांच होती है । जब आप किसी जांच का आदेश दें तब यह भी देखें कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो, अन्यथा अध्यापकों अथवा प्रबन्धकों में तनाव बढ़ता जाता है । आज से पांच-छः महीने पहले एन० आर० ई० सी० डिग्री कालेज, खुर्जा को आपने जांच के लिए आदेश दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । इसी प्रकार एस० एम० जे० इंटर कालेज, खुर्जा का छः महीने पहले जांच का आदेश कराया था । उसमें कुछ नहीं हुआ है । इसी प्रकार आपने बहुत से जांच के

[श्री बेनी प्रसाद माधव]

आदेश दिए होंगे, जांच नहीं होती है। जरूरत इस बात की है कि जब आप जांच का आदेश करें, तो निश्चित समय निर्धारित करें, जिसके अन्दर जांच हो कर आ जाय ताकि जिस उद्देश्य से जांच करायी जाती है, वह पूरा हो सके।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। चार बज गए हैं। माननीय मुख्य मन्त्री ने श्री रामदत्त जोशी के लिये कहा था। वह इससे ज्यादा आवश्यक है। माननीय सदस्य आतुर हैं, सुनने के लिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। सूचना होगी तो जरूर देंगे।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

मेरा यह भी निवेदन है कि जो माइनारीटीज के स्कूल हैं, अगर उनमें कुछ कमी हैं तो भी उनको मान्यता प्रदान करें। मेरे देहाती क्षेत्र में एक गांव है जो मुसलमानों का है। उसमें हैदरी हायर सेकेन्डरी स्कूल है। उसको मान्यता देनी चाहिए।

प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में बहुत से मित्रों ने कहा है और उनकी कमियां बतायी है। जो अध्यापक जिस गांव का हो, उसी गांव में उ की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। वह राजनीति का हिस्सा बन जाता है। इन शब्दों के साथ में माननीय शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस साहस और शौर्य का परिचय उन्होंने अध्यापकों की हड़ताल के समय दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि उसी प्रकार उदारतापूर्वक उनकी मांगों को स्वीकार करें और उनके हृदय को जीतने का प्रयास करें।

श्री मुकीमुर्रहमान—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जब एक विधायक भाषण दे रहे थे तो मैंने नीचे बैठकर बोला। आपकी तरफ से व्यवस्था हुई है कि यहां पर बोलने के लिये, अपनी बात आजादी से रखने का हर माननीय सदस्य को हक है। मैं बोलना चाहता था श्री लीलवत खड़े हो गये एक लफ्ज उर्दू का सुनना बरदाश्त नहीं किया। ऐसे खड़े हो गये जैसे हमला कर रहे हैं। माइनारिटी को यह हक है कि अपनी बात रख सकें। माइनारिटी की बात सुन नहीं सकते हैं तो माइनारिटी के लिए क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। बाकी लोग कृपया शान्त रहें। आप लोग बैठिये। आप लोग शान्त रहिये। माननीय मुकीमुर्रहमान ने जो प्रश्न उठाया है माननीय लीलवत सिंह जी ने जो कहा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिये।

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, मैं यह देखता हूं कि सदन में कुछ लोगों को २० मिनट, कुछ को १५ मिनट और किसी को १० मिनट का समय दे दिया जाता है और किसी को

५ मिनट का ही । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप बता दें कि आपने १० मिनट निर्धारित किया था या ५ मिनट ? मान्यवर, यह भी देखा गया है कि जब आपकी कुर्सी पर अधिष्ठाता महोदय, पीठासीन होते हैं तो बहुत से सदस्य इन ५ मिनट से भी वंचित रह जाते हैं । यह बात अपनी सीट पर बैठे-बैठे देखता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आरम्भ में ही मैंने पूछा था कि केवल २ घंटे का समय में और कितना समय दिया जाय । मैंने यह भी कहा था कि ७ मिनट का समय पर्याप्त होगा, लेकिन माननीय सदस्यों ने निर्णय लिया कि० १० मिनट का समय हो, पर संशोधन-कर्त्ता को २५ मिनट और माननीय शिक्षा मन्त्री के समय पर कोई पाबन्दी नहीं हो सकती है । १०-१० मिनट के समय में लोगों को हमें सहयोग देना चाहिये ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह कोई दूसरा प्रश्न है । आप कृपया बैठ जायं । मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनूंगा ?

श्री मन्जूर अहमद---

क्यों नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई नया प्रश्न नहीं किया गया है ।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

उन्होंने बेसिक शिक्षा के लिए १६.८८ करोड़ रुपया, माध्यमिक शिक्षा के ९.५८ करोड़ रुपया और विश्वविद्यालयों के लिए ३.७४ करोड़ रुपया एवम् प्रौढ़-शिक्षा के लिए १,२४,३०० रु० रखा है । इस प्रकार से इस वर्ष ८३४५८ प्राइमरी स्कूल्स, ४८४४ माध्यमिक और १९ विश्वविद्यालय खोलने का प्रयत्न किया है, लेकिन सब चीजों को देखते हुये हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि ३० साल की हुकूमत में जो इनके अन्दर त्रुटियां आयीं हैं, उनपर क्या होना चाहिये । यदि हम प्राइमरी शिक्षा की ओर देखते हैं, जो कि शिक्षा की बुनियाद है तो पता चलता है कि यह प्रणाली बहुत खराब हो चुकी है । इसमें हम देखते हैं कि न तो विद्यार्थियों के शिक्षा का ही कोई उपयुक्त प्रबन्ध है न कोई साज-सज्जा का ही प्रबन्ध हो रहा है । हम यह भी देखते हैं कि इस देश के अन्दर बड़ा ही भेद-भाव हो रहा है, कहीं पर प्राइमरी शिक्षा है तो कहीं पर नर्सरी स्कूल हैं, जो ज्यादातर शहरों में हैं । इस नर्सरी स्कूलों में बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं और देहातों में प्राइमरी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं । मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इन अध्यापकों की ड्यूटी की ओर विशेष ध्यान दें । प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक कभी समय से स्कूल नहीं पहुंचते हैं और २-२ घंटे पहले ही चले जाते हैं । उनकी

[ठाकुर मूल चन्द--]

ड्यूटी की ओर हमारे जो डी०, आई० ओ० एस० डी० आई० या जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं। जहां तक प्राइमरी स्कूलों के भवनों का सवाल है, वे टूटे-फूटे पड़े हुये हैं और अबकी खुशी की बात है कि शिक्षा मन्त्री ने भवनों के लिए इस वर्ष बजट दिया है, लेकिन इसका सदुपयोग हो जाय तो मैं समझता हूं कि भवनों की व्यवस्था भी ठीक हो सकती है। इसी प्रकार मैं एक सुझाव परीक्षण की बाबत देना चाहता हूं। जितनी भी परीक्षायें चल रही हैं, वह बिलकुल उनका परिणाम पैसे के आधार पर होता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं होता है। केवल पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है, उसी के अनुसार परीक्षा के परिणाम वे देते हैं।

श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)--

मुख्य मन्त्री जी आ गये, वह बयान दे दें, बड़ी बेचैनी है।

श्री अध्यक्ष--

वक्त आयेगा तब बयान देंगे।

ठाकुर मूल चन्द--

इस प्रकार परीक्षा का महत्व समाप्त हो जाता है। अतः परीक्षायें सुचारुरूप से चलाई जायं और पैसा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को रोक कर इस परिपाटी को खत्म किया जाये।

अध्यापकों के जो सम्पूर्ण वर्ष स्थानान्तरण होते हैं, उससे शिक्षा का सत्यानाश हो जाता है। स्थानान्तरण केवल मई जून में किये जायं, जिससे शिक्षा सुचारुरूप से चल सके। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक सिफारिशों से या पैसा लेकर स्थानान्तरण कर देते हैं और उससे शिक्षा सुचारुरूप से नहीं चल पाती।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बोर्ड परीक्षा चल रही हैं, उनकी हालत बड़ी गम्भीर है। मैं देखता हूं कि इन दिनों सुपरिन्टेन्डेन्ट मैजिस्ट्रेट बना दिये जाते हैं। पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन पुलिस भी नकल कराती है। मैं अपने सेन्टर पर गया तो मैंने देखा कि एक पुलिसमैन नकल दे रहा था, यह भी नहीं कि वह ड्यूटी पर था, बल्कि दूसरी जगह से आया था और पुलिस की वर्दी पहने हुए नकल बांट रहा था। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन परीक्षाओं का संचालन सुचारुरूप से कराया जाय और जितने हक सुपरिटेन्डेन्ट को दिये हैं, उनको मान्यता दिलाई जाय।

इसके अलावा मैं देखता हूं कि पाठ्यक्रम जो माध्यमिक स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में चल रहा है, वह भी उनके अनुसार नहीं है। किताबें भिन्न-भिन्न तरीके से लगायी जाती हैं और कोई राइटर किसी तरीके से लिखता है, दूसरा किसी तरीके से और उसमें एक समानता नहीं आती है। इस डायरेक्शन में भी कुछ प्रगति हुई है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि इस ओर विशेष तरीके से ध्यान दिया जाय और तमाम प्रदेश का पाठ्यक्रम समान किया जाय और जितनी भी किताबें हैं, वह नेशनलाइज करके लगाई जायं। यह जो आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है

कि बोर्ड बैठता है और किताबों की रिकाग्नीशन देता है तो अच्छी किताबें पाठ्यक्रम में नहीं आती हैं ।

एक सदस्य--

हमें भी बोलने का मौका दीजिये ।

ठाकुर मूल चन्द --

पूर्व वर्ष शिक्षा संघ या छात्र परिषद् जो विद्यालयों में बनायी गयी है उससे बड़ी अव्यवस्था हुई है और पूरे साल एलेक्शन का वातावरण बना रहा परिषद् के लिए जो एक ध्येय रखा गया था, वह पूरा न होकर विद्यालयों में इंडिसिप्लिन हुआ है । मेरा कहना है कि इस ओर ध्यान देकर छात्र संघ खत्म किए जायं और छात्रों को इस स्तर पर राजनीति के अन्दर हिस्सा देने की आवश्यकता नहीं है । छात्र हर स्टेज पर आता है । जब विश्वविद्यालय में पहुंचता है, तब छात्र संघ होना चाहिये और बीच का रूप जो छात्र परिषद् और छात्र संघ का दिया गया है, वह खत्म हो जाना चाहिए

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय अरुण कुमार जी बहस का उत्तर भाषण देंगे, इसके बाद मन्त्री उत्तर देंगे फिर मतदान होना है । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान--शोर)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मुझे एक मिनट का समय दे दिया जाय, मैं बार-बार प्रयास कर रहा ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बोरा जी, आप कृपया बैठिये । अब समय नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

हमारी तरफ से किसी को अवसर नहीं मिला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपकी तरफ के कोई खड़ा नहीं हुआ होगा ।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा--

आप मुझे समय नहीं देंगे तो मुझे सदन का बहिष्कार करना पड़ेगा....

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य श्री डी० पी० बोरा सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्त रहें । अब समय नहीं है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

महिलाओं की तरफ से हमें बोलने के लिए समय मान्यवर, जरूर दें ।

श्री अध्यक्ष—

महिलाओं के नाम पर आप ज्यादती मत कीजिये । कृपया बैठिये ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, आज पूरी शिक्षा जगत में . . . .।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नरायन (जिला हमीरपुर)—

मैं ३५ वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं और आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया, इसलिए मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री लक्ष्मी नरायन सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राम सजीवन—

मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि आज शिक्षा जगत में बड़ा भारी असन्तोष है । छात्र और अध्यापकों के ऊपर आज लाठी और गोली चल रही है । यूनिवर्सिटी, कालेज और स्कूल आज बन्द होते जा रहे हैं । सत्ता पक्ष वाले जब विरोध पक्ष में बैठते थे तो कहा करते कि शिक्षा नीति बड़ी दोषपूर्ण है । इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । शिक्षा नीति को रोजगारपरस्त होना चाहिये । मगर हम देखते हैं कि आपकी नीति आज कांग्रेस जैसी नीति ही है बल्कि उससे ज्यादा और बिगड़ रही है । आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अन्दर सरस्वती शिशु मन्दिर संचालित करने में आप लोगों ने ध्यान दिया है । नतीजा यह हो रहा है कि छात्र लोगों के दिमाग में साम्प्रदायिकता का भाव फैलता जा रहा है । तो इस तरह से प्रदेश के अन्दर हिन्सा का वातावरण पैदा हो गया है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष की आवाज की नकल कर सकता है ?

(हंसी)

श्री राम सजीवन—

मान्यवर, जो शिशु मन्दिर चलते हैं, ये साम्प्रदायिकता पैदा करते हैं और इससे पूरे प्रदेश में हिंसा की आग भड़कती है । तो इस प्रकार की आप अपनी नीति बदलिये । शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात को तमाम माननीय सदस्यों ने उठाया । लेकिन राष्ट्रीयकरण के नाम आप बिलकुल पर खामोश, ऐसा ही नहीं चलता आप उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं । तमाम प्रदेश के अन्दर यह सवाल पैदा होता है कि आप कोई नीति स्पष्ट रूप से नहीं घोषित करते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा निवेदन है कि आप अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा करिये। बी० एड०, बी० टी० सी० किये हुये नवजवान आज बेकार घूम रहे हैं। उनके लिये आप रोजगार का इन्तजाम करिये। स्कूल खोलिये। प्राइवेट स्कूलों को आप मान्यता दें।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्यों ने इस शिक्षा के बजट पर अपने विचार व्यक्त किये। अभी एक सवाल हमारे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य श्री माधव जी, ने किया था कि विरोधी पक्ष को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज इस बात को सोचना पड़ेगा कि युवा शक्ति का आक्रोश जो है, वह इस ढंग से बढ़ चुका है जिसकी वजह किसी भी विश्वविद्यालय में उप कुलपति तैयार नहीं हो रहे हैं। आपका कहना जायज है। लेकिन इसके मूल में आप अपनी ही दृष्टि डालें तो पायेंगे कि इसके लिये कहीं ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। आपने भी सत्ता के थोथे नारों के मार्फत सत्ता का अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन वह सारी चीज विद्यार्थियों या युवा शक्ति में आक्रोश का कारण बन गई है। उसको आप देखेंगे तो एहसास करेंगे कि उसकी जड़ में ग्रंथियां लगी हैं। आप सच्चे मन से, खुले मन से फैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन शासन में आने के बाद आप ईमानदारी से कहिए कि उसमें क्या फैसला कर रहे हैं, क्या शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं? आज अलगाव की तमाम स्थिति पैदा हो रही है। उसमें भी आप देखें कि शिक्षा में आज तमाम अव्यवस्थायें जन्म ले रही हैं। इन सब अव्यवस्थाओं को देखें, तो दूसरी संस्थाओं से अलग दिखाई पड़ते हैं। यह कई गवर्नमेन्ट स्कूल एवं प्राइवेट स्कूलों में हैं। सारा का सारा ध्यान ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग जिनके माध्यम से आप शिक्षा जगत को संवारने और संजोने की बात कहते हैं। काश उनका लड़का प्राइमरी एजूकेशन में उन तमाम गलियों से गुजरेगा तो वह अहसास करेंगे। आज उनके बच्चे सेन्ट जोजफ, कालबिन, सेन्टमेरी, लामा टिनियर एवं देहरादून स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी संस्थाओं में अच्छी शिक्षा पाते हैं। जबकि आप कहते थे कि जहां गरीब का बच्चा शिक्षा पायेगा, वहीं राष्ट्रपति का बच्चा पढ़ेगा। तो फिर क्या कारण है ऐसा नहीं हुआ। यदि ऐसा करना था तो उसकी बजट में आपको घोषणा करना था कि वह सारी अच्छी संस्थाय समाप्त होंगी, लेकिन नहीं हुआ सम्पूर्ण शिक्षा एक जैसी होगी। आज शिक्षा के पठन-पाठन की व्यवस्था में आपने जिम्मेदारी लिया है, लेकिन वहीं खेल-कूद की व्यवस्था में कमी आ गई है, जिसका अहसास आपको करना चाहिए। विद्यार्थी पठन-पाठन के बाद खेलना और व्यायाम करना चाहता है, लेकिन आज उसका स्तर गिरता जा रहा है। कुछ दिन पहले इस देश के ही बल्कि विश्वविख्यात खिलाड़ी बाबू के० डी० सिंह जी का देहान्त हुआ।

मेरा निश्चित मत है कि शासन ने उनको कहीं न कहीं प्रताड़ित किया था जिससे उनकी हत्या हुई। इसलिये पठन-पाठन के बाद खेल-कूद के बारे में आपको पहले करनी होगी जिससे विद्यार्थी अपने आपको क्रीड़ा जगत में सम्मान पायें। सबसे बड़ी बात है किसी चीज को जोर जबरदस्ती से रोकने की बात आप करते हुए आप प्रजातंत्र के हामी हैं ऐसा आप कहते हैं और डा० राममनोहर लोहिया की बात को अपने चेहरे में छिपाने की बात करते हैं जो सर्वथा भूल है। लेकिन आक्रोश चाहे वह विद्यार्थी का हो अध्यापक का हो क्या आप उसमें समझौता की बात सोचते हैं? या नहीं सोचते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा है सरकार समझौता की बात करती थी और आज ज्वलन्त उदाहरण है कि सरकार समझौता

[श्री अरुण कुमार—]

वर्ता के लिए तैयार नहीं है इसका पन्त नगर यूनिवर्सिटी एक प्रतिविम्ब है यदि वहां आप पहल किये होते तो वहां की समस्या का समाधान हो जाता। शासन आज वाइस चांसलर को शरण दे रहा है और वह इसी शहर में हैं। आज वह मन्त्रियों के साथ समझौते की बातें कर रहे हैं और वहां गोलियां चलवा रहे हैं। इसलिये जो लोग जनता के आक्रोश को बन्द करना चाहते हैं तो वह नहीं होगा। हरियाणा और पश्चिमी जिलों में नहीं रोक सकते हैं। यही नहीं वह आक्रोश पूरे प्रदेश में चलेगा यदि आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभायेंगे। आज सारे प्रदेश में विश्वविद्यालय बन्द हैं। इलाहाबाद के १० दिन पहले ला में एडमीशन होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी परीक्षा के बारे में क्या होगा? क्या आपने इसमें सोचा है? यह सारी बातें शिक्षा जगत में आज अव्यवस्था फैला रही हैं। इसलिए इसमें आपको पहल करनी होगी।

मान्यवर, जहां तक आप कहते हैं कि इमरजेन्सी के वाइस चान्सलर हैं। तो इमरजेन्सी का वाइस चान्सलर इतना निकम्मा नहीं है जितना कि आपकी छाया में। पन्त नगर का वाइस चान्सलर पल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई शिक्षा क्षेत्र में या और कहीं कोई आक्रोश मिलता है तो कहा जाता है कि वह इमरजेन्सी का है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उनको बनाने में, उनका चयन करने में कहीं न कहीं कोई प्रक्रिया बरती गयी है, किन्तु आपने वह नहीं किया है। इसीलिए जो आदमी चयन समिति द्वारा दो-दो बार रेजेक्ट हुआ है। आज उसको आपने वाइस चान्सलर बनाया है आज उसको आपने कृषि निदेशक के पद पर रखा है। इन सारी चीजों को देखते हुए आपने ईमानदारी से पहल करनी चाहिए थी कि वाइस चान्सलर उपकुलपति नियुक्त करते वक्त आप शिक्षा शास्त्रियों की तलाश करते लेकिन आप ब्यूरोक्रेट की तलाश कर रहे थे। आज हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर भारत सरकार के मंत्री का बयान है। विद्यार्थियों ने वाइस चान्सलर के खिलाफ आवाज उठाई। हम विद्यार्थियों के हिमायती हैं विद्यार्थियों के साथ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उपकुलपति अपने आप में नकारा है। भारत सरकार के मंत्री कहते हैं कि वाइस चान्सलर इमरजेन्सी का वाइस चान्सलर है। वह वाइस चान्सलर अपने आप में प्रतिभा रखता है। उस वाइस चान्सलर को पढ़े लिखे इन्सान जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं परिचित होंगे। वह ब्यूरोक्रेट वाइस चान्सलर नहीं है। इतनी परख आपको होनी चाहिए थी।

मेरा निवेदन है कि इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लाठी और गोली का सहारा लेना बन्द कर दीजिए, आक्रोश ठंडा करने के लिए जेल की सलाखों का सहारा बन्द करिए। जैसा पिछले वक्तव्यों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा आन्दोलन कुचल दिया जायगा। जनतंत्र और लोकतंत्र की हामी भरने वाले लोग हमारे सम्मानित सदस्यों ने शायद फैजाबाद जेल का निरीक्षण नहीं किया होगा, जहां जेल के अन्दर बन्द करके मास्टरों को मारा जा रहा था, आजमगढ़ में जेल के अन्दर मास्टरों को मारा जा रहा था। मान्यवर, इसका निराकरण जेल और मारना नहीं है। वे मास्टर हैं जिन्होंने आपको कुर्सी पर बिठाया है, मोहर लगवा कर आपको इस पद पर विद्यमान किया है, उनपर ईमानदारी से सोचिए। विद्यार्थी हैं जिनके सहारे आप उठ कर इस सदन एवं सरकार में आए हैं। सड़कों पर अपने गोली चलवायी लाठी चार्ज करवाया इतने कम दिनों के अन्दर।

में यह नहीं कहता कि पिछले शासन में लाठी नहीं चलायी गयी, गोली नहीं चलायी गयी लेकिन मान्यवर, इतने कम दिनों के अन्दर इतनी ज्यादे लाठी और गोलियां पिछले शासन के इतिहास में नहीं है और इतन जबरदस्त ढंग से किसी भी विश्व-विद्यालय के परिसर में आगजनी और गोलियों का इतिहास ३० साल के अन्दर...

श्री अध्यक्ष--

समाप्त कीजिए।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किसी स्पष्ट शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की है।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त करिए।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, इस सरकार की शिक्षा नीति प्रतिक्रियावादी है, राष्ट्रीयकरण की विरोधी है समवर्ती सूची में से शिक्षा ...।

श्री अध्यक्ष--

आप दोहरा रहे हैं ...

श्री अरुण कुमार--

सभी चीजों को देखते हुए मेरा निवेदन है और शिक्षा मंत्री जी आप ईमानदारी से जिन शिक्षा संस्थाओं में आर० एस० एस०...

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करिये।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं समाजवादी मंत्री हैं। मेरा निवेदन है कि काशी विश्वविद्यालय से हिन्दू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मुसलमान सब को हटाये जाने की मांग करता हूं क्योंकि इससे विभेद की भावना समाप्त होगी एवं समाजवाद का जन्म होगा।

श्री काली चरण--

माननीय अध्यक्ष, मैं आभारी हूं माननीय श्री अरुण कुमार जी का जिन्होंने जब अपना कटौती का प्रस्ताव रखा था तो लगभग हमारी सारी बातों का स्वागत किया था कुछ लोगों की बातें सुन कर के मान्यवर, कुछ थोड़ा सा जोश आ जाता है जैसा उन्होंने अपने बातों में कहा। मैं सारे माननीय सदस्यों का आभारी हूं..

जिन्होंने इस शिक्षा के सुधार के सम्बन्धमें अपने आमूल्य विचार दिये हैं। मैं उनके विचारों का सम्मान करूंगा। दो तीन खास नीतिगत बातें उठाई गईं। उनमें

[श्री कालीचरण--]

पहली यह है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाय। मैंने शुरू में भी कहा है कि इस प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह इस देश व प्रदेश के लिये पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है। इसका सम्बन्ध प्रत्यक व्यक्ति के जीवन से है। आजादी के बाद लगातार तीस वर्षों से जैसा कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कई कमीशन आयोग बैठ, उनकी रिपोर्ट्स आई लेकिन इन सबके बावजूद शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं भी यह कह दूं कि आज मैंने कोई एसी व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर दीं जिससे सारे प्रदेश में कोई इस तरह का वातावरण उत्पन्न हो जाय जिससे बड़ी चिन्ता बढ़ गयी। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है कि सारे देश की शिक्षा व्यवस्था एक जैसी हो और साथ ही साथ वह रोजगार देने वाली हो, जो इस देश के अनुकूल नागरिक उत्पन्न कर सके। संभव है थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो गया हो तो हो जाय लेकिन नीति बदलेगी और उसका स्वरूप आपके सामने आ जायगा।

दूसरी बात राष्ट्रीयकरण की कही गयी। बड़ा लुभावना शब्द है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जिन कमेटियों और विद्वानों का यहां हवाला दिया गया, जितने भी शिक्षाविद् हैं उनमें से कोई भी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। शिक्षा शासन से अलग रहे। सदैव से एसा रहा है। शिक्षा पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं रहा है चाहे कोई भी शिक्षा हो। शिक्षा पर अगर शासन का नियंत्रण हो जाय तो जो सरकार सत्ता में है वह सम्पूर्ण शिक्षा का प्रयोग अपने हित में ही न करने लगे इसलिए सरकार के अधिकार से हटा कर शिक्षा को रखने की संस्तुति सारे शिक्षाविदों ने की है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो केवल उनके भाषण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो माननीय सदस्य व्यवस्था के नाम पर खड़े हो सकते हैं। व्यवस्था का नियम यह है कि जब एक प्रश्न समाप्त हो जाय और दूसरा शुरू होने वाला हो उनके बीच में किसी कार्य विन्यास के बारे में या नियम के बारे में वह व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। जब कोई वक्ता बोल रहा हो और उसमें असंगति हो, पुनरावृत्ति हो तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है वर्ना व्यवस्था का दुरुपयोग होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है उसी संदर्भ में प्रश्न उठाना चाहता था। जब शिक्षा मंत्री इधर बैठते थे और हम भी बैठते थे तो एक कमेटी पिछली बार बैठी थी...

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मंत्री इधर बैठते थे या उधर बैठते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री कालीचरण--

शिक्षाविदों का जहां तक प्रश्न है, विभिन्न आयोगों का जहां तक प्रश्न है उन्होंने सदैव शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में अपनी संस्तुति नहीं दी है। इस समय जो व्यवस्था चल रही है इसके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें केवल एक बात यह है कि यह जो प्रबन्ध समितियां है वह व्यापार के अड्डे बन गयी हैं। बार-बार यही कहा जाता है। श्रीमन्, ४ हजार से ऊपर इंटरमीडिएट कालेज उत्तर प्रदेश में है और इन सारों की स्थापना और इनका विकास तथा इनमें काम करने वाले जितने अध्यापक हैं सबको बनाने वाली यही प्रबन्ध समितियां हैं। अगर आज पूरा-पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो निश्चित रूप से जो सरकार की अपनी वित्तीय स्थिति है उसमें से वह केवल २०, २५ और ३० स्कूल प्रतिवर्ष खोलती है और दूसरी तरफ इनके स्कूलों की संख्या दो सौ, तीन सौ और चार सौ तक होती है। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अगर इन समितियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और स्कूल खोलने न दिया जाय तो इस समय जो शिक्षा का प्रसार है उसमें मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने का रास्ता नहीं निकल पायेगा। यह जरूर है और मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ प्रबन्ध तंत्र ऐसे हैं, जिनके बारे में शिकायतें हैं और जो शिकायतें आती हैं और कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रबन्धतंत्र को तुरन्त खत्म कर दिया जाय और उस पर कंट्रोलर नियुक्त कर दिया जाय। श्रीमन्, उसके कुछ नियम हैं, उनके पालन में कुछ विलम्ब हो सकता है लेकिन जितनी शिकायतें आती हैं अगर वह सही हैं तो उन पर साधिकार नियंत्रक शासन द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं।

तीसरी बात कही गई है शिक्षकों के बारे में। बार-बार कहा जा रहा है कि उनके आन्दोलन का दमन किया गया है। मैं इसे बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह बात जो कहते हैं शायद उनको जानकारी नहीं है इसलिए कहते हैं या किसी ने गलत बता दिया है इसलिए कहते हैं। दमन कतई नहीं किया गया। जेल इन्हें नहीं भेजा गया। जो बार-बार कहा जाता है कि जेल भेजा गया। जेल तो यह जबरदस्ती गये। (व्यवधान) वैकल्पिक व्यवस्था तो बाद में की जिस दिन विधान सभा के सामने प्रदर्शन हुआ था चूंकि यह शिक्षक थे उनके पद और उनकी मर्यादा तथा विद्वतता को ध्यान में रखकर उन्हें छूट दी गई थी अपनी बात कहने की। चूंकि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं। जो अभद्र प्रदर्शन किया, विधान सभा के रक्षकों के साथ हाथा पाई की, बार-बार महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और डा० लोहिया का हवाला दिया जाता है। इन तीनों नेताओं ने बराबर कहा है कि जो दूसरों पर हाथ उठाता है वह कायर होता है। इस बात को वह भूल जाते हैं।

शिक्षक जो राष्ट्र के गौरव कहे जाते हैं, वे जबरदस्ती सचिवालय में घुसने की कोशिश करते हैं और विधान भवन के रक्षकों के दांत तोड़ते हैं और उनके कपड़े फाड़ दें और शिक्षिका जो हैं वह स्कूलों में काम करने के बजाय हम लोगों की गाड़ियों में चढ़कर कोई तमाशा करें जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती इसके बावजूद जब उनको जेल के फाटक पर भेज गया तो निरंतर प्रयास किया कि जेल न भेजा जाय चूंकि वह कटिबद्ध थे कि हम जेल के भीतर जाना चाहते हैं और चूंकि वह कटिबद्ध थे कि हमको जेल जाना ही है इसलिए यह लोग जेल भेजे गये। यह बराबर कहे देते हूं कि जेल के अन्दर किसी पर कोई लाठी चार्ज आदि जैसा दुष्कर्म नहीं हुआ, जैसा कि आरोप लगाया जाता है। इमरजेन्सी में

[श्री कालीचरण --]

जो पुरानी सरकार ने जेल अधिकारियों से कह रखा था और जो उन्होंने कर रखा है, उसका पालन करने में किसी के साथ कुछ इसमें नहीं हुआ है। यदि इन अध्यापकों ने कुछ ऐसा किया होगा तो परिणाम उनके सामने अवश्य आएगा, लेकिन सरकार ने न किसी को पीटा और न पिटवाया। इनसे बराबर बातें की गई, इनकी हर सम्भव चीज स्वीकार कर ली गई। बाद में इनके नेताओं ने कहा यह जो ८०-९० हजार अध्यापक हैं, इनके अन्दर सरकार के विरुद्ध विरोध की भावना भर देना हमारा एकमात्र उद्देश्य था और उसमें हम सफल हुए। तो इस बात के लिए ही कोई आन्दोलन करता रहे, तो जिस सीमा तक सम्भव था, उनको माना गया, उनके आन्दोलन को टाला गया और जो बातें स्वीकार करने योग्य नहीं थीं, उसके लिए उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि यह इस समय स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। उनसे निरंतर अनुरोध किया गया। फिर भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो आवश्यक था, वह किया गया। इसलिए इनका कोई किसी तरह का दमन कतई और बिलकुल नहीं किया गया।

छात्र असन्तोष की जो बात कही जाती है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि इसके कारणों का पता लगाने और उनके निराकरण के लिए विश्व-विद्यालयों के कुलपतियों, छात्र प्रतिनिधियों और अन्य सम्बन्धित लोगों का एक सम्मेलन बुलाने की हमने घोषणा की है, जो दिन निश्चित करके बुलाया जाएगा। छात्र असन्तोष का यही कारण नहीं है कि उन्हें शिक्षा बड़ी खराब दी जाने लगी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यदि एक बहती हुई नदी को बांध दिया जाए और उसका पानी इकट्ठा होता चला जाए, तो जब तक बांध मजबूत है, वह पानी को रोके रहेगा, लेकिन बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएगा। एक समय आएगा कि बांध टूटेगा और जब बांध टूटेगा तो इकट्ठा पड़ा हुआ पानी बहुत तेजी से बहेगा, असा-धारण गति से बहेगा। ऐसे समय में वह किनारों को तोड़कर बहता है, सीमा को तोड़कर बहता है, जिससे निश्चित रूप से पेड़ और किनारों का कटाव होता चलता है। यही बात छात्र असन्तोष के बारे में है।

आपात्कालीन स्थिति में सारे प्रतिबन्ध लगाकर इनकी सारी भावनाओं को दबाकर कैद कर दिया गया था, डंडे के बल पर उनको दबा दिया गया था और कहा गया कि आपातकालीन स्थिति अनुशासन पर्व है। यह पर्व जिस दिन समाप्त हुआ, उसके कारण के बाद वह बांध टूटा तो छात्र असन्तोष रूपी जमा हुआ इकट्ठा गन्दा पानी जोरों से बह चला, जिसमें जैसे बरसात के जमा पानी में होता है, तरह तरह के जीव-जन्तु, मेढक-कीड़े आदि निकलते हैं और उसमें सड़ान्ध भी होती है और सड़ान्ध होने के कारण उससे कटाव भी अधिक होता है। उसी तरह से यह जो गन्दगी इमरजेन्सी के समय इकट्ठा हुई थी, इमरजेन्सी रूपी बांध टूटने के बाद वह गन्दगी बह रही है छात्र असन्तोष के रूप में। कुछ लोग इसमें और कूड़ा-करकट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में यह पानी साफ होगा, तो न यह परिस्थितियां रहेंगी, न यह समस्या रहेगी, चाहे कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे। आज इस देश की परिस्थिति के अनुकूल अपने यहां शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पायी है। यह समस्या उनके सामने थोड़ी रहेगी जरूर। इसके निराकरण के लिए हमने बताया कि भारत सरकार पूरे देश में एक जैसी शिक्षा के बारे में विचार कर रही है। एक बात और बार-बार उठायी जा रही है, मांटेसरी स्कूल और पब्लिक स्कूल के बारे में। मांटेसरी स्कूलों का जो स्वरूप है मैं उसकी तारीफ नहीं करता। लेकिन जो नर्सरी स्कूल हैं, सरकार की ओर से जो व्यवस्था है

वह प्राइमरी स्कूल और उसके ऊपर की व्यवस्था है, प्राइमरी व्यवस्था, एकआध राजकीय विद्यालयों को छोड़ कर, बाकी कहीं नहीं हो पायी है। मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा विदों ने यह अनुभव किया है कि पूर्व प्राइमरी वय जो है, छः वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं, शिक्षा की दृष्टि से उनके जीवन बनाने की दृष्टि से, यह बहुत अधिक बहुमूल्य अवस्था है। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और वह हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके लिए मुझे खेद है।

बाकी कुछ पब्लिक स्कूलों के बारे में प्रश्न उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार या शिक्षा विभाग ऐसी संस्थाओं को न अनुदान देता है न तो मान्यता देता है। भारतीय संविधान ने अधिकार दे रखा है, संविधान की धारा ३० (१) में, यह दिया हुआ है कि धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को यह अधिकार है कि वह अपने ढंग से शिक्षा संस्थायें चलायें। चुनाव के पहले जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस ने पुरानी सरकार ने, इमरजेन्सी लगाकर, संविधान में संशोधन करके, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया है, हम उन्हें वापस करेंगे पहला मुद्दा यही था जिस पर चुनाव लड़ा गया था। जो अधिकार छीने गए थे उनको हम वापस करने की बात कर रहे हैं। जिस अध्याय में मौलिक अधिकार रखे गए हैं उसी अध्याय में धारा ३० (१) भी है। वह मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत आता है। तो माननीय सदस्य आज इसी भावना पर आएंगे कि संविधान ने जिन मौलिक अधिकारों को जिस किसी को प्रदान किया है क्या उनको छीन लिया जाय, जब यह प्रश्न आए तो मैं समझता हूं कि चाहे माननीय अरुण कुमार जी के पास जो लोग बैठे हैं, वह लोग हों या माननीय ऊदल जी के साथ बैठे हुए लोग हों . . .

श्री ऊदल--

आप अपनी बात कहिए। हम शिक्षा को राजकीय क्षेत्र में मानते हैं। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते।

श्री काली चरण--

संविधान ने जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उनको छीनना उपयुक्त नहीं है। और संविधान के प्रति आदर रखते हुए किसी भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा चलायी हुई शिक्षा संस्थाओं को बन्द नहीं किया जा सकता। हम वादा कर सकते हैं कि जिन पब्लिक स्कूलों की बात कही है, न रेकगनीशन दे सकते हैं न अनुदान दे सकते हैं। लेकिन उनके मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है।

कुछ बातें औद्योगीकरण के बारे में कही गयी हैं। जो टेक्निकल विद्यालयों का प्रश्न है, हमने शुरू में बता दिया कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां आई० टी० आई० और पालीटेक्निक के बीच जैसी संस्था जो ग्रामीण औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और बाकी शिक्षा में १० धन २ धन २ धन का सुझाव है। इसका स्वरूप आने पर स्पष्टीकरण हो जायगा।

जहां तक माननीय सदस्यों के अपने-अपने स्थानों की समस्याओं का सम्बन्ध है किसी के यहां पर स्कूल नहीं है, जैसे माननीय अरुण कुमार जी के यहां पर लड़कियों के स्कूल नहीं हैं, विश्वविद्यालयों की भी जरूरत है ये सब

[श्री काली चरण---]

कमियां हैं। इस सम्बन्ध में शासन की नीति है कि क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए जहां भी हम शासन की ओर से स्कूल खोल सकते हैं, जहां पर कमी है, हम अवश्य ही इन स्थानों पर विद्यालय खोलने में प्राथमिकता देंगे। इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जायगा।

एक बात माननीय मुकीमुर्रहमान साहब ने कही, यह व्यवस्था उर्दू शिक्षा की पहले से थी। मैंने यह नहीं कहा या माननीय सदस्य माधव जी ने नहीं कहा कि यह व्यवस्था पहले से नहीं थी। पहले से थी। उस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वह किया गया। उस बात को माधव जी ने यहां पर कहा था जिस पर किसी के रोष की बात नहीं थी। यही नहीं बल्कि राज्य कर्मचारियों में जिन लोगों ने उर्दू में प्रवीणता प्राप्त कर ली, उनको पुरस्कार देने की भी योजना सरकार ने बनायी है। उर्दू की पुस्तकों को छपवाने के लिए, जो कि हिन्दी पुस्तकों की अपेक्षा अधिक दाम में मिलती थीं, भी प्रयत्न किया गया ताकि वे सस्ते दर पर मिल सकें। सरकार ने इन उर्दू पुस्तकों का जितना अधिक दाम हो जाता था उतनी छूट भी देने का निर्णय ले लिया है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र जो गांवों में खोलने जा रहे हैं उनमें भी उर्दू में छपी हुई पुस्तकों को, जो गांवों में रहने वालों के हित के लिए हों, उनको वहां पर भेजने की व्यवस्था का जा रही है। इस प्रकार से उर्दू शिक्षा में ऐसी बात नहीं है कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अन्त में अधिक समय न लेकर....

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में क्यों २ लाख रुपये की कटौती कर दी गयी है? क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था नहीं।

श्री डी० पी० बोरा---

मान्यवर, मैं तो एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था के प्रश्न पर कोई बात, कोई स्पष्टीकरण, कोई प्रस्ताव इस प्रकार नहीं माना जा सकता।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

नोट---[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रवीन्द्र सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह आवश्यक नहीं है कि सदन में आपको प्रत्येक अनुदान पर बोलने का अवसर दिया ही जाय। मैं अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठिए।

श्री रवीन्द्र सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो भी माननीय रवीन्द्र सिंह ने कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर)

बदरे जी, आप भी बिना अनुमति खड़े हो जाते हैं। जब तक मैं अनुमति न दूं तब तक आप बोला न करें।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जो टेक्निकी, प्राविधिक विद्यालय हैं जो कुल १६५ गांव के एरिया में पड़ते हैं उनको लिया गया है। गांव में रहने वालों की समस्याओं का अध्ययन करना, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनके लघुउद्योगों के लिए रूपरेखा तैयार करना, खेती के उत्थान में उनको सुझाव देना ये सामान्य काम जो पालिटेक्निक स्कूल हैं उनके हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपको समाप्त करना है।

श्री काली चरण--

एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं पुनः सम्मानित सदस्यों के प्रति इस उत्तर सुझाव के लिए आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, चतुर्वेदी जी मेरी ओर देख रहे हैं कि उनका आभार प्रकट नहीं किया। उन्होंने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बात कही। दोनों विश्वविद्यालयों में उपाधि की कोई

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री काली चरण—]

व्यवस्था नहीं थी । वहां आचार्य मान लेते थे कि अब यह मेरा विद्यार्थी इस लायक हो गया है कि यह देश की सेवा जाकर करेगा, तो उसे आशीर्वाद देकर निकाल देते थे । ऐसा नहीं करते थे कि डिग्री लेकर मेरा विद्यार्थी जायगा तो देश में कोई ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर देगा जिससे देश के लोगों को ही चिन्ता हो जायगी ।

अब पुनः मैं सब का आभार प्रकट करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष—

श्री अरुण कुमार, क्या आप कटौती के प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री अरुण कुमार—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो एक उदाहरण और कहानी के सिलसिले में ....।

श्री अध्यक्ष—

भाषण देने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री अरुण कुमार—

मंत्री जी ने कोई ठोस बात नहीं कही । ५ साल वह समझते हैं कि उनको रहना है और १० साल की नीति घोषित कर दी है, जबकि पता नहीं एक साल भी रह पायेंगे इसलिए कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की बात नहीं उठती ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८— सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखाअनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,१५,०४,४४,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९१—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९१—ऋण और अग्रिम— शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने

के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७२,५८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा सदस्य श्री रामदत्त जोशी के लापता होने तथा उनके जीवन के खतरे के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, आज सदन में श्री रामदत्त जी जोशी ने जो तार आपके पास भेजा उसके संबन्ध में जो चर्चा हुई और जो यह कहा गया कि वह लापता हैं। उनकी क्या स्थिति है, जबकि उनके द्वारा तार भी भेजा गया, कोई पता इस समय तक सरकार को नहीं चल सका। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस सदन में कुछ पूरब और कुछ पश्चिम की चर्चा भी हुई, कुछ वातावरण काफी उत्तेजित हो गया, कुछ माननीय सदस्यों ने सदन त्याग भी किया, ऐसे प्रश्न जब यहां सदन में उपस्थित हों तो माननीय सदस्यों को कुछ संयम से काम लेना चाहिये। जो तार यहां सदन में पढ़ा गया उसकी कोई प्रतिलिपि न तो हमें प्राप्त हुई है और न ही हमारे किसी अन्य मंत्री के यहां प्राप्त हुई है। सदन में जो पढ़ा गया वही केवल एक तार था। ऐसे प्रश्न जब भी उपस्थित हों मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमें बहुत सोचविचारकर और संयम से काम लेना चाहिये ताकि सदन की गारिमा और मर्यादा की रक्षा हो सके।

मान्यवर, मैंने जोशी जी से बात करने का प्रयास किया और मेरी बात भी उनसे २ बजकर ५ मिनट पर हुई। जोशी जी जिस समय किच्छा रेलवे स्टेशन पर गये कुछ छात्रों ने उन्हे घेर लिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस को उसकी सूचना गयी। पुलिस मौके पर पहुंची। जो अवांछनीय तत्व थे वे भाग गये पुलिस की सुरक्षा में जोशी जी काशीपुर आये। काशीपुर से वे अपनी कार में बैठ कर रामनगर आये और वहां से वे नैनीताल वापस आये। नैनीताल में जिस समय मेरी उनसे बात हुई २ बजकर ५ मिनट पर, वे एस० डी० एम० के कक्ष में बैठे थे। हमने इस बात की व्यवस्था की है कि उनको या उनके परिवार वालों पर किसी तरह की आंच न आने पाये। अगर उन पर आंच आती है तो वह हम सभी माननीय सदस्यों के लिये शर्म की बात होगी। इसलिए उनकी सुरक्षा का जो भी विशेष प्रबन्ध होना चाहिये, उनका व उनके घरवालों का, वह कर दिया गया है। हो सकता है कि ५-६ बजे तक वे लखनऊ में ही चले आयें क्योंकि मैंने यहां से उनके लिये हेलीकाप्टर भेजा है। अधिकारियों को यहां से भेजा है। यह उनकी सुरक्षा का ही आज प्रश्न नहीं है, सारे प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह के प्रश्न पर, बिना जानकारी के, सदन में ऐसी बात न कहें, ऐसा काम न करें जिससे सदन की मर्यादा गिरे।

एक सदस्य--

क्या उनके कोई चोट भी आयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज सदन में जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात कह दी कि जाति बिरादरी के आधार पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यदि आप कोई स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहते हों तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री मन्जूर अहमद—

क्या यह सही नहीं है कि पंतनगर के अत्याचार को दबाने के लिये ही कुछ व्यक्तियों ने इस मूवमेंट को तोड़-मरोड़ कर इस सदन में उठाने का प्रयास किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री मन्जूर अहमद ने जो प्रश्न किया है वह असंगत है। आज प्रश्न था श्री राम दत्त जोशी जी के बारे में, आया वह सुरक्षित हैं या नहीं ? उनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री रामदत्त जोशी जी के बारे में वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य में जो बात कही गयी है कि इधर के पक्ष के बैठने वाले लोगों को इस सदन की गरिमा बनाये रखना चाहिए और संयम रखना चाहिए। बहिर्गमन करने से या सदन का त्याग करने से, सदन की गरिमा, गौरव समाप्त नहीं होता। मुख्य मंत्री ने उत्तर भी दिया, जिससे संतोष नहीं हुआ। हम लोगों ने यह सोचा कि विधायकों की सुरक्षा के लिए यह गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। तो सदस्यों पर आरोप मुख्य मंत्री जी ने लगाया। जब उत्तर ठीक नहीं आया, तब लोगों ने सदन का त्याग किया।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक प्रश्न मुझे पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको रवीन्द्र सिंह जी, हरगिज अवसर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सेहरा ने जो प्रश्न उपस्थित किया, आपको बहिर्गमन करने का अधिकार है, लेकिन बहिर्गमन पर टिप्पणी करने का अधिकार इस पक्ष के लोगों को भी है। तो इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एक बात मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर कोई विवाद नहीं। अब रियासत साहब में अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर।)

रवीन्द्र जी, आप बैठ जाइये, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

गुफरान जी, आप बैठ जाइयें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

जनार्दन जी, आप बैठ जाइयें। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब एक साथ बैठ जाइये। अब मैं नियम ५१ ले रहा हूं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें श्री रवीन्द्र सिंह, श्री नाथूराम शिक्षक, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रियासत हुसैन के नाम हैं। उनका विषय है दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को इलाहाबाद सिटी स्टेशन पर जी० आर० पी० थाने के पास सशस्त्र बदमाशों द्वारा स्टेशन मास्टर से सरकारी खजाने से ३० हजार रुपये लूटा जाना। माननीय मुख्य मंत्री इस पर कब वक्तव्य दीजिएगा।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, २५ तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ४९ के अन्तर्गत में आधे घंटे की चर्चा ले रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, अगर आप अनुमति दें, एक सूचना मैंने दिया था, आपने जो आदेश दिया शिरोधार्य है। प्रतापगढ़ में चार लोगों को जिन्दा जला दिया था, मेरा अनुरोध है, अगर आप उचित समझें तो शासन से केवल वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं सब सूचनाओं को यहां पर पढ़ूंगा तो उसमें समय लगेगा। आप हमें फिर देंगे, तो उस पर विचार करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। आप बैठ जाइये।

उच्च अधिकारियों की बैठक में विभागों के लिये मशीनों तथा पम्पिंग सेट के पुर्जों के मूल निर्माताओं तथा अधिकृत एजेन्टों से खरीदे जाने के विषय में दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, एक प्रश्न मैंने सिंचाई मंत्री से ५ अप्रैल, १९७८ को किया था। प्रश्न यह था कि क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक ४ अगस्त, १९७० को नलकूप विभाग के उच्चाधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी ने की थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विभाग के लिये मशीनों, पम्पिंग सेट के पुर्जे मशीनों के मूल निर्माताओं तथा उनके अधिकृत एजेन्टों से ही खरीदे जायें? क्या यह सही है कि इस निर्णय की सूचना तत्कालीन नलकूप निदेशक ने अपने पत्र दिनांक ६ सितम्बर, १९७० द्वारा अधीक्षण अभियंता इक्विपमेंट को दे दी गयी थी तथा उनसे इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा था, यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री जी इस सम्बन्ध में बनाये गये प्रस्तावों का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं दिया था इसलिये आपने इसमें आधे घंटे की चर्चा को स्वीकार किया। मान्यवर, १९७० में भी यही सिंचाई मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में यह निर्णय हुआ था कि जो स्पेयर पार्ट्स पम्पिंग सेट में लगाये जाते हैं और जो खराब होते हैं या टूट फूट जाते हैं तो उनके स्पेयर पार्ट्स की खरीद के बारे में एक नीति निर्धारित की गयी थी। उस निर्णय में मुझे पता नहीं पत्रावली मंत्री जी के पास है कि नहीं लेकिन मेरे पास है तीन निश्चय किये गये। एक यह था कि जो स्पेयर पार्टस खरीदे जायें वह उन निर्माताओं से जिन्होंने पम्पिंट सेट लगाये हैं। दूसरा यह था कि जो हमारी (सरकारी) वर्कशाप हैं उनकी योग्यता को बढ़ाया जाय जो स्पेयर पार्ट्स बना सके और तीसरा निर्णय यह था कि स्पेयर पार्ट्स मूल निर्माताओं से खरीदेंगे। वह शर्त कुछ पैसा देने की रखते थे कि आर० आर० के खिलाफ ९५ प्रतिशत का भुगतान हो जाय। यह निर्णय ४ अगस्त, १९७० को हुआ था। इसकी सूचना तत्कालीन उप सचिव, डी० पी० आर्या ने ७-८-७० को नलकूप निदेशक, श्री एस० पी० सिंह को दिया दिनांक ६-९-७० को नलकूप निदेशक ने यह सूचना अधीक्षण अभियंता (भंडारण) को दे दिया। यह निर्णय संबंधित विभाग से ६-९-७० को चला गया। उसके बाद अप्रैल तक यही मंत्री महोदय रहे। लेकिन मान्यवर, आज तक उस सरकारी

निर्णय का पालन नहीं हुआ है। यही नहीं, १९६८ में जब श्री वीरेन्द्र वर्मा, सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने शासकीय निर्णय लिया था। उन्होंने सूची दी थी, जो कि हमारे सामने है कि यह-यह स्पेयर पार्ट्स हैं। चूंकि ट्यूबवेल खराब इसलिये हो जाते हैं कि फर्जी पुर्जे सप्लाई किये जाते हैं। इसलिये वह मूल निर्माताओं से खरीदे जांय। मेरठ में एक वर्कशाप है। वहां से स्पेयर पार्ट्स सरकारी वर्कशाप में खरीदे जांय यदि वर्कशाप में न बन सकें। यह भी हो सकता है कि आई० टी० आई० में हमारी संस्थायें हैं वहां स्पेयर पार्ट्स बनाये जांय।

इसलिये मान्यवर, मेरा कहना है कि यदि भ्रष्टाचार का कोई अड्डा सिंचाई विभाग में है तो वह ट्यूबवेल में है और प्रदेश में ट्यूबवेल की असफलता का यही कारण है। ट्यूबवेल के स्पेयर पार्ट्स खरीदने वाले उत्तर प्रदेश में अभियंता, चीफ इंजीनियर और भ्रष्ट अधिकारी तथा मंत्रि-मंडल के सब लोग हैं। मान्यवर, मेरठ में ५० ऐसे लोग हैं, जो यह नहीं जानते कि यह काम कौन करता है लेकिन उन लोगों से वह खरीदते हैं। मैं प्रश्न के द्वारा आशा करता था कि शासन इसमें कुछ स्पष्ट उत्तर देगा परन्तु वह नहीं हुआ। यही निर्णय लोकपति जब रहे हैं तब था। इसलिये जब १९७० में आपकी अध्यक्षता में यह निर्णय किया गया और अब आपको एक वर्ष इधर हो गया है तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ऐसे कौन से कारण थे? यह शासन का महत्वपूर्ण निर्णय था, मेरा निर्णय नहीं है, आप का निर्णय है, शासन का निर्णय है, एक मंत्रि-मंडल का निर्णय नहीं आप से पहले के मंत्री का निर्णय था और आप के बाद के मंत्रि श्री लोक पति त्रिपाठी ने भी उस निर्णय को बदला नहीं। यह एक स्पष्ट निवेदन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, हमारे ज्ञान में कमी है हमारी सूचना में कमी है तो बतायें?

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सन ७० में यह महसूस किया गया कि जब पुर्जे खरीदे जाते हैं ट्यूबवेल्स के लिए तो इनमें भ्रष्टाचार हो सकता है बड़े पैमाने पर और इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ४, अगस्त १९७० को बैठक बुलाई गयी। इसमें इस पर विचार हुआ कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाय। इसी के साथ-साथ दूसरा प्रश्न उस में यह था, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है कि जो आर० आर० के खिलाफ एडवान्स दें यह कितना परसेन्ट हो। दोनों सवाल आये, जिन पर विचार किया गया। जहां तक ९५ प्रतिशत देने का प्रश्न है तो इस प्रश्न से सीधा सीधा संबंधित नहीं है लेकिन पुर्जों के संबंध में क्या किया जाय इसमें दो निर्णय लिए गये एक तो यही कि जो मूल निर्माता हैं उनसे खरीदा जाय, डाइरेक्ट उनसे खरीदा जाय या उनके एजेन्ट्स से खरीदा जाय। यह बात उस वक्त तय हुई। यह बात सही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया कि ९५ प्रतिशत की बात तय हुई थी। तो मान्यवर, इस मीटिंग में डाइरेक्टर भी मौजूद थे। एक तो डाइरेक्टर मौजूद थे और डाइरेक्टर के अलावा एक सचिव मौजूद थे। तो जैसा मैंने कहा कि उनसे डाइरेक्ट खरीदे जायं और दूसरा यह निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए विभाग अपनी वर्कशाप कायम करे। उस वक्त तक मान्यवर, सिर्फ पांच

[श्री बलवीर सिंह---]

जगह वर्कशाप थी, रुड़की, कानपुर, झांसी, बरेली और मेरठ। तो अगर पुर्जे यहां ज्यादा बनाये जा सकेंगे तो फिर खरीदने की जरुरत ही नहीं होगी। यह तय किया गया और अगर यह ना काफी हुए पांच जगह तो वर्कशाप और बढ़ाये जांय इस तरह का निर्णय हुआ। उसके बाद ट्यूबेल डाइरेक्टर ने इसकी सूचना दे दी, अधीक्षण अभियन्ता को। प्रक्रिया यह थी कि सूचना दे दी जाय।

दोनों बातों के संबंध में प्रस्ताव भेजें लेकिन प्रस्ताव नहीं आये। उसके बाद गवर्नमेंट बदली। जैसा मैंने कहा और फिर भी उसके प्रस्ताव नहीं आये थे। अब मेरा ध्यान इधर दिलाया गया है। सही है कई महीने हो गये दुबारा ध्यान इधर नहीं गया। मैं तो आभारी हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने सवाल के जरिये इधर ध्यान दिलाया। सवाल में जो जवाब था वह पूरा जवाब दे दिया गया। लेकिन उस के बावजूद आप ने चर्चा चाही तो मान्यवर, आपने उसका भी समय दिया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय इस में जरुर लगेगा लेकिन अब जैसा आपने कहा है कि इसमें क्या कर रहे हैं। मान्यवर इस पर विचार जारी है। अब किस तरह से इसको कार्यान्वयन किया जाय। कई बातो पर मान्यवर हमें गौर करना होगा। एक तो यह है कि ये मूल निर्माता जो हैं इन पर विचार करेंगे फिर से। मान्यवर हमें यह देखना होगा कि मूल निर्माता किस तरह से पैसा लेते हैं। मूल निर्माता मेसर्स जान्सटन पम्प हैं। यह जान्सटन पम्प पम्प शेफूट १२३ रु० में देते हैं वहा दूसरे डीलर्स २७, २८ रुपये में देते हैं। अगर हमारा ट्यूबवेल खराब हो गया तो मेसर्स जान्सटन पम्प हमसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर उसे सप्लई करते हैं। यह दिक्कत हमारे सामने है। उसे मैं जस्टिफाई नहीं करता कि जिस तरह से खरीदा गया वह ठीक था या नहीं। जो पालिसी बनानी है उस पर हमको विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से कीमतों में कमी हो दूसरे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है।

दो प्रकार के जी० ओ० हैं। जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिये, लोकल इंडस्ट्रीज से भी हम चीजें खरीदें। उनके जी० ओ० के मुताबिक जो परसेन्टेज तय कर दिया उस पर १५ परसेंट अधिक भी हमको देना पड़े तो लोकल इंडस्ट्री से लेंगे। जिस समय विचार किया गया था उस समय जी० ओ० या नहीं था यह मेरी जानकारी में नहीं था। जब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का बजट आया तो हमारे सामने यह सवाल पैदा हो गया कि हम नीति बनायें और उस नीति में हमको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा। यह नहीं कि एक फर्म से खरीद लें और दूसरी इंडस्ट्री को छोड़ दें, जो खत्म हो जाय। इसके लिए मेरा विचार यह है कि इस पर हम गौर करें और इसके लिये हम हाई पावर कमेटी बनायें।

जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। उस कमेटी में जहां बड़े बड़े अधिकारी हों, मैं चाहूंगा कि इस बात को तय करने के लिये कि सामान कहां खरीदा जाय, कैसे खरीदें इसके लिये इस माननीय सदन के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल किये जायं। उनकी राय का हम फायदा उठायें। मैंने उस समय ठीक निर्णय लिया था उसमें देर हुई है इसके लिये मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों देर हो गयी, काम की ज्यादती समझिये। जहां तक ट्यूबवेल्स का सम्बन्ध है इस साल रिकार्ड कायम हो गया। पिछले सालों में ५० परसेंट ट्यूबवेल्स लेप्स हो जाते थे। १३०० का वायदा इस बार किया गया था, तीन महीने में ज्यादा बन चुके हैं। और भी कई तरह के काम हैं। इसमें

भूल हो गयी । कहां तक याद रखता एक फैसला किया था लेकिन याद नहीं रहा । कोशिश की है कहां-कहां भ्रष्टाचार है और फौरन ही आदेश भेज हैं । मेरठ के एस० ई० को पावर्स हमने वापस ली हैं ।

जहां कहीं पता चला है और माननीय तोमर साहब ने जो बताया है वह हमने विजिलेंस को दिये । इसलिए हम पूरी तरह से सजग हैं । मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अन्य साथियों से भी जो इस तरह के सुझाव देते हैं, उन पर बराबर हम कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं । मैं उम्मीद रखता हूं कि इस मामले में सभी सदस्य अपने सुझाव दें ताकि इस प्रदेश का फायदा हो सके ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अभी माननीय मंत्री जी ने दो चार बातें रखी । उसमें थोड़ा मैं बताना चाहता हूं और तोमर जी को भी बताना चाहता हूं । यह जो ९५ से ९८ तक पेमेन्ट करने का सवाल है यह तो अलग है । मैं तो सुझाव देना चाहता हूं कि कि जितने मैकेनिकल पार्टस की परचेज करते हैं इसके लिए सिविल के अधिकारी न रखे जाय उसके लिए मैकेनिकल साइड के आदमी रखे जांय । जितने मेकेनिकल साइड के अधिकारी थे वह जगह-जगह जोनल आफिसर बना कर भेज दिये गये हैं उनकी रिपोर्ट मंगानी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो आउट आफ इंडिया की मशीनरी है जिसके पार्टस हमारे यहां एवेलेबल नहीं हैं और बाहर से मंगाना पड़ता है । इसके लिए पहले टैकनिकल आदमी बने हुए थे जो इसे पास करते थे । लेकिन धीरे-धीरे वह लोग कम हो गये हैं या इधर उधर भेज दिये गये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेकेनिकल इंजीनियर वैसे ही कम हैं उनकी संख्या बढ़ायी जाय । मेकेनिकल साइड का आदमी तो सिविल का काम कर सकता है लेकिन सिविल का आदमी मेकेनिकल साइड का काम नहीं कर सकता है । अगर सिविल के आदमी को यह काम दे दिया जायेगा तो वह कह देगा कि हेड गरम है । कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जो सोने के होते हैं या स्टील के होते हैं जिनकी लागत एक लाख से अधिक होती है उसके लिए अत्यंत जरुरी है कि टैकनिकल सेल हो और एक बोर्ड बैठे । जो इमरजेंसी में परचेजेज होती हैं उसमें गड़बड़ घोटाला होता है । जो बोर्ड परचेज करता है उसमें तीन जगह इंडेंट बन कर जाता है । और फिर कमेटी द्वारा एप्रूव होता है उसमें गड़बड़ी का अन्देशा नहीं रहता है । तमाम छानबीन करने के बाद बोर्ड एप्रूव करता है और फिर खरीद होती है और फिर भंडारों में जाता है ।मेरी सूचना के अनुसार इस समय केवल तीन आदमी इस वक्त में टैकनिकल साइड के हैं और १४ आदमी सिविल के हैं । सिविल के आदमियों को मालूम नहीं कि नोजल क्या होता है, हैड क्या होता है और दूसरी मशीनरी क्या होती है तो वह परचेज कैसे कर लेगा । तो इसके अंदर काम करने वाले आदमी सिविल के नहीं होने चाहिये । उसको पता नहीं है मशीनरी के क्या पार्ट किस चीज में लगते हैं । इसकी बिना जानकारी के वह पेमेंट कर देता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हुआ । कुल आधे घंटे की चर्चा है ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं आपके डिपार्ट में सिविल के अधिकारी काम कर रहे हैं । इतना बड़ा डिपार्टमेंट है उसके लिए स्पेशल सेक्रेटरी हैं । एक सेक्रेटरी क्यों नहीं रखा जाता है ? इस पर तुरन्त विचार किया जाय और स्पेशल सेक्रेटरी भी रखा जाय । मैकेनिकल चीफ इंजीनियर बनाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

इस वक्त जो कानपुर, बरेली, मेरठ, रुड़की में वर्कशाप है इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए क्या आप कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इसमें डिले होने के कारण मुझे अधिक कुछ यही कहना है । मैं सिर्फ इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि ४-८-७० को जो निर्णय हुआ, उसके बाद अब तक करोड़ों रुपये के पुर्जों की परचेजिंग हो गई है । जैसा मन्त्री जी ने बताया १२३ और १२४ रुपये दो दामों में था एक फर्म का १२३ रुपये में है और दूसरी १२४ रुपये में है, तो क्या इस बीच आपके विभाग में यह भी मालूम किया कि १२३ वाले की लाइफ कितनी है और १२४ वाले की कितनी है और इन दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से किसके पुर्जे की ज्यादा स्यूटेबिलटी बैठती है ?

*श्री कवल (जिला वाराणसी)—

जो कमेटी बने उसमें दो बातों-प्रश्नों का ध्यान रखा जाय । एक तो हमारे कुल ५ वर्कशाप हैं कुछ बढ़ाये जा सकते हैं, तो उस पर भी विचार करना चाहिए । इसमें देखने की बात यह है कि कौन-कौन से पुर्जे इन वर्कशाप में बन सकते हैं । इनके बारे में एक तरह से विचार हो । कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, जो बाहर से और देश के बाहर से भी मगाये जा सकते हैं । इन पर विचार करने की आवश्यकता है । तीसरा बात यह है कि जैसा अभी मालूम हुआ उसमें १४ सिविल के और केवल तीन मैकेनिकल के आदमी हैं, जो कि बहुत ही हास्यप्रद बात है कि जो जानकारी नहीं रखते हैं, उनको परचेजिंग कमेटी में रखा जाए । मेरा निवेदन है कि मेकेनिकल आदमियों की परचेजिंग बोर्ड बनाया जाए, जो इस पर विचार करे, कन्ट्रोलर की नियुक्ति की जाए जो इस काम को कन्ट्रोल कर सके ।

थीसी बात यह है कि देर हो गई सो हो गई, अब उससे हमें नसीहत लेनी चाहिए । मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी दिया है । एक बात यह है कि हम लोग टेकनिकल तो नहीं हैं, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान हम लोगों को है, इसलिए इस बोर्ड में माननीय सदस्यों को भी रखना चाहिए । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों पर अवश्य विचार करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी का अत्यन्त आदर करता हूं, लेकिन उनके उत्तर से मुझे बड़ी निराशा हुई। उसमें एक नई चीज लोकल-इंडस्ट्रीज की मंत्री जी ने कह दी है, किन्तु वह पम्पिंग सेट्स की परचेज के बारे में है, वह स्पेयर-पार्ट्स के बारे में नहीं है। जब इर्रीगेशन पर बहस होगी, तब मैं उस बारे में भी कुछ कहूंगा। शासन का एक पुराना निर्णय है, जिसे आपने इम्पलीमेंट नहीं किया और उस पर भी मंत्री जी ने कह दिया कि उसे लागू करने का विचार ही नहीं है। और एक नई कमेटी बनेगी। तो एक कमेटी का निर्णय सन् ७० में होने के बावजूद अब तक लागू नहीं हुआ और जो अब ७८ में कमेटी बनेगी, उसका निर्णय कब लागू होगा कौन जाने। इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्रदेश में जो पूंजीपतियों को मजबूत कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है आप दें। किन्तु अपने यहां ४ मशहूर कम्पनियां हैं जान्सन, ज्योति, गार्डनरिच व प्रोटोश। तो इनमें गार्डनरिच जो भारत सरकार की कम्पनी है, आप उससे या सरकारी वर्कशाप से खरीद क्यों नहीं करते हैं? आप एक नीति बनाइये और जबतक इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तबतक प्रायरिटी गवर्नमेंट फैक्टरीज को दी जाए और उसके बाद बड़ी कम्पनियों से सामान खरीदा जाए। अगर आपने कोई एक्सपर्ट्स का एनालेसेस कराई हो तो उसको पेश कीजिए।

उस एक्सपर्ट एनालिसिस को पेश कीजिये। जो टुटपुंजिया ठेकेदार है वह जो सस्ते पुर्जे देगा वह क्या ज्यादा चल सकते हैं? हमारे सिंचाई मंत्री कम से कम यह कहें कि इस नीति में यह खामी हुई। खामी का जो कारण है वह मैं भी जानता हूं मैं वह भी जानते हैं। उसके बी के ब्यूरोक्रसी जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, सरकार को गलत सलाह देती है। एस० पी० सिंह ईमानदार अफिसर था, लड़ते-लड़ते मर गया। उसके बाद लोग गलत सलाह देते हैं। इसी लिए सवाल पूछा था। सरकार ने अपनी एक नीति निर्धारित की थी, आपकी अध्यक्षता में निर्णय हुआ। मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग में सबसे सही और सबसे न्यायिक निर्णय जो हुआ आपकी अध्यक्षता मे हुआ था। आप उन निर्णय को गलत बत रहे हैं। उस निर्णय को जब तक गलत में साबित करें, तब तक किसी प्राइवेट फर्म से न लीजिये। सरकारी फर्म से लीजिये, फिर गार्डनरिच से लीजिये। मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी को पत्र भी लिख चुका हूं और बता चुका हूं कि चीफ इंजीनियर और इंजीनियर के लड़के बैठ कर ठेकेदारी कर रहे हैं और प्रदेश को लूट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

पांच मिनट का समय सिर्फ बाकी है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

आपने लोकल इंडस्ट्री की बात कही। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना चाहिए लेकिन मोदी, रामरतन गुप्त हैं मोदी साबुन की फैक्टरी को लोकल इंडस्ट्री में रजिस्टर करा रखा है। लोकल इंडस्ट्रीज को नहीं सारे प्रदेश में बड़ी इंडस्ट्रीज को बैठा दिया जो थोड़ी सी मिल है, एक्जामिन करवा ले। यह बड़ी इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन नहीं हुआ जो छोटी इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन कराये हुये हैं। माननीय उद्योग मंत्री इसको मुझसे ज्यादा जानते हैं।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शायद माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा। जो नीति मैंने रखी थी मैंने हरगिज नहीं कहा कि वह गलत थी। या बदल रहा हूं। मैंने सिर्फ यह कहा है कि उस नीति को रखते हुए अब एक और दूसरे लोगों को अपने साथ एसोशिएट करके, हम उसको अच्छी तरह से एक्सपैंड करके विचार करें, कोई कमी हो तो पूरा करें। पालिसी वही ठीक है। जो अच्छी फर्म होगी, फैक्टरीज होंगी जो पम्प भी बनाती हैं, ऐसा नहीं कि लोकल जो बनाती हैं मशीन वह पम्प नहीं बनाती हैं। उनसे किस तरह के लिया जायगा, इस पर और विचार करें, बीच में इसको लटकाना भी ठीक नहीं है जैसे पहले आफिसर्स की मीटिंग में निर्णय ले लिया, नतीजा कुछ नहीं निकला। मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि उस पालिसी से हटना चाहता हूं। बिलकुल ठीक है पालिसी करप्शन खत्म करने के लिए बनायी हुयी थी। आगे ज्यादा गम्भीरता से विचार करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दी करेंगे कुछ लड़कों का जिक्र किया है। हम पावर्स ले रहे हैं। जितना कर है करेंगे।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, नियम ४९ की आपने चर्चा करायी है, इसके संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक दिन और हो गया और आज भी हो रहा है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप नियम ४९ का उपनियम (५) देखें, सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेंगे। सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। इसमें सिर्फ माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद प्रश्नों की ही बात थी कि कोई सदस्य प्रश्नों के द्वारा स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मंत्री जी उत्तर देंगे। २ दिन हो चुके हैं। इसलिए इस नियम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने ठीक मेरा ध्यान आकर्षित किया है। नियम ४९ में प्रश्नकर्ता पुरःस्थापित करेंगे फिर माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे, अन्य सदस्य भी प्रश्नों द्वारा स्पष्टीकरण कर सकते हैं लेकिन आप जानते हैं कि कुछ सदस्य तो स्पष्टीकरण के आदेश में कुछ न कुछ भाषण दे ही देते हैं और इसमें ज्यादा उचित होगा यदि आप श्री मुकीमुर्रहमान को प्रशिक्षित कर दें।

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ †

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

इस सम्बन्ध में बहुत विस्तार से मुझे कुछ नहीं कहना है। मान्यवर अक्तूबर, १९७७ म जब अपने विभाग की अनुदान के सम्बध में अपने विचार रख रहा था तो मैंने कहा था कि शासन न निर्णय लिया है कि १० पैसे का जो टिकट लगता है वह जनवरी, १९७८ से समाप्त कर दिया जायगा और अप्रल, १९७८ से बिक्री कर में न्यूनतम कर देय विक्रय धन की सीमा २५,००० रुपये से बढ़ाकर ५० हजार रुपया तक कर दी जायगी। इस बारे में एक अध्यादेश ३० दिसम्बर, १९७७ से जारी किया गया था। आज जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसमें उस अध्यादेश को अधिनियम बनान की बात है। इसमें २-३ चीजें और कर दी गयी है। उदाहरण के लिए कर निर्धारण के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारी को कर मूलकर या अर्थ दंड की धनराशि की वसूली को स्थगित करने के आदेश नहीं थ, वे इस विधयक म कर दिए गये है ताकि जब उसके सामने अपील के कागजात आय तो वह अपन विवेक से यह निर्णय कर सकें कि अपील के दौरान किसी स्थगन की आवश्यकता है या नहीं।

सरलीकरण के बारे में इस समय यह कहना है कि जहां तक रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण का सम्बन्ध है यह एक वर्ष म होता था अगर समय में न हो तो ४८०० रुपये तक दंड दिया जाता था। रजिस्ट्रेशन के लिए ५० रुपये और नवीनीकरण के लिए २५ रुपये होना था तो इसमें व्यापारियों को भी कष्ट होता था और सरकार को प्रतिवर्ष इसको करना पड़ता था तो जसे ड्राईविंग लाइसेन्स के लिए ३-३ वर्ष के बाद रिनीवल होता है उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण भी ३ वर्ष के बाद होगा। इसके लिए कुछ शुल्क भी बढ़ा दिया गया है ५० रुपये से ७५ रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए और २५ से बढ़ा कर ५० रुपये नवीनीकरण के लिए कर दिए गए हैं। और मान्यता प्रमाण-पत्र भी ३ वर्ष के लिए कर दिया गया और उसका शुल्क भी ५० रुपये से बढ़ाकर १०० रुपया और नवीनीकरण का २५ से ५० रुपया कर दिया गया है।

जहां तक धारा २२ का सम्बन्ध है कर निर्धारण में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो अभी तक ३ वर्ष के अन्दर संशोधन होना चाहिए था लेकिन देखा गया कि प्रार्थना-पत्र के समय के अन्दर देने पर भी ३ वर्ष के अन्दर निर्णय नहीं हो पाता था तो ऐसा प्राविधान इसमें कर दिया गया है कि यदि यह प्रार्थना-पत्र ३ वर्ष के अन्दर आ जाय तो किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।

एक बात इसमें और थी कि पाम आयल के ऊपर जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कर कम होने के कारण या तो इसम विक्रता एडल्ट्रेशन कर देते थे या इसे वेजिटेबिल आयल में मिला देते थे। इस मिलावट को रोकने के लिए इसकी बिक्री कर उतना ही कर दिया है जितना वेजिटेबिल आयल का ताकि मिलावट करने वालों को प्रोत्साहन न मिले। और इसी प्रकार से ५ रुपये से कम व्यापारी को देना या लेना हो तो शासन न लेगा न देगा ताकि छोटी-मोटी रकमो का आदान-प्रदान समाप्त कर दिया जाय।

धान के ऊपर धारा ४(बी) में अभिनवीकरण करके धान के ऊपर २० प्रतिशत लगाया गया अगर मिल वाले लेंगे और जब वह चावल बनेगा तो उस पर दो प्रतिशत वह भी लगेगा। यह इसलिए किया गया है कि चावल और धान घोषित वस्तुएं है इसलिए इन पर ४ से अधिक नहीं लगेगा यह केन्द्र की नीति है। तो अब कुल ४ प्रतिशत की व्यवस्था हो जायेगी।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—]

भारत में निर्मित विदेशी शराब है उस पर यह अधिकार लेने का प्रयास किया गया है कि २५ प्रतिशत बिक्री कर लग सके अभी फिलहाल २० प्रतिशत लगाया है ।

एक चीज जो पहले अध्यादेश मे थी कि धारा ३ई समाप्त कर दी गयी है उसको अब अधिनियम में सम्मिलित करने का प्रयास है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन इस विधेयक को पारित कर दें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह बिक्री कर का शब्द बड़ा टेक्निकल है । मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आज इसी मेज से वह फाइल ही गायब हो गयी और अन्य कुछ सामान गायब हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

अब तो भाषण बड़ा संक्षिप्त हो जायगा । वैसे कोई दिक्कत नहीं है । सिर्फ प्रस्ताव किये दे रहा हूं बाकी याददाश्त से कह दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को जनमत संग्रह के लिए एक मास तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, मेरी यह भी बदकिस्मती रही, जैसा कि पहले कहा, कि वह विधेयक भी उसी फाइल के साथ था, वह भी चला गया और संयोग से कुछ मेहनत की थी...(व्यवधान) इधर में नजदीक आप ही हैं, मंत्री जी तो वहां बैठते हैं, आप लोग ज्यादा नजदीक हैं ।

मैं एक बात निवेदन कर रहा था कि सबसे बड़ी बात जो इस मामले में दिखाई देती है। वह यह है। कि २५ हजार से लेकर, पहले २५ हजार पर रजिस्ट्रेशन हुआ करता था और २५ हजार तक बिक्री करने वाले दूकानदार को टैक्स देना पड़ता था बिक्री पर । और अब ५० हजार उसकी सीमा बढ़ाई जा रही है । सीधे-सीधे देखने से ऐसा लगता है कि इस छूट की वजह से सरकारी आय का नुकसान होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता था कि मंत्री जी को जितनी जानकारी और योग्यता और कार्य क्षमता है उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं पता नहीं आज उन्होंने चलते फिरते इस बात को कैसे कर दिया वरना सारी जानकारी सदन को होनी चाहिए तो वह सदन को जानकारी देंगे यह उम्मीद करता था । मैं समझता हूं कि इससे जो हानि होगी वह संभवतः आज की मौजूदा हालत में हमारे विकास के कार्यों को देखते हुए जो पब्लिक धन की हानि होगी वह विचारणीय विषय था । इसलिए एक पक्ष यह भी हो सकता है कि छोटे-छोटे व्यापारियों को सुविधा देने की दृष्टि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से ऐसा किया गया तो इसलिए मैंने समझा था कि जनता की राय इस पर आ जाय कि सचमुच उसकी क्या राय है । वह पब्लिक एक्सचेकर बढ़ने के या कायम रहने के पक्ष में है या उसको छोड़ने के पक्ष में है । तो मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष जी कि यह एक सवाल है जिसको मंत्री जी को साफ करना चाहिए मैं यह चाहता हूं माननीय मंत्री जी अपनी कैबिनेट में इस पर विचार करें कि एक तरफ तो किसानों पर सीधे सीधे मालगुजारी या लगान बढ़ाया सर्किल रेट का दुगना कर दिया और कहीं-कहीं तो उसका २० गुना तक कर दिया दूसरी सेल्सटैक्स में पब्लिक एक्सचेकर की आय को घटाया जा रहा है । आखिर इसके पीछे कारण क्या हैं ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इसका विरोध करना चाहते हैं तो उनको अधिकार है वे बाहर जाकर कर सकते हैं । मगर यह मालूम होना चाहिये कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है हम लोगों को उसकी जानकारी तो होना चाहिए । इसीलिए मैंने इस प्रस्ताव को रखा है कि इसको जनमत संग्रह के के लिए भेजा जाए ।

मान्यवर, जो अध्यादेश था उसके प्रारूप में कुछ परिवर्तन किया गया है । कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो टैक्सेशन से संबन्ध रखते हैं । मैं चाहता हूं जिन कारणों से ऐसा किया गया है माननीय मंत्री जी उन्हें बता दें । बाकी सारी बातें तो छोटी-छोटी हैं केवल इसका ही निराकरण कर दें कि क्यों २५ हजार से ५० हजार की सीमा की जा रही है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमान् अगर हमें यह मालूम होता कि इतना महत्वपूर्ण बिल बिना कोरम के ही हमसे पास करा लिया जाएगा तो शायद हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसके लिए समय न रखते ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने सोच समझ कर रखा था । कोरम के लिए घंटी बजायी जाय । माननीय मालवीय जी विधेयक जब आप पेश करें तो आपका यह काम है कि आप देखें कि सदन में कम से कम कोरम तो रहे ।

श्री ऊदल-(जिला वाराणसी)--

यह जिम्मेदारी तो उनकी ही है हम तो चाहते हैं विधेयक न पास हो ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी का जो प्रस्ताव जनमत संग्रह के लिए है उसका समर्थन करता हूं । यह प्रस्ताव जनता पक्ष के द्वारा ही आया है । देखिये इसमें एक नीति का आधार है । यह रुपये पैसे से संबंधित है । सेल्स टैक्स, जिसके बारे में जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था तथा जगह-जगह पर बयानों में भी आया था कि इसको हम खत्म करेंगे और इस बार भी बार-बार बहस में भी आई । अब उस सेल्स टैक्स को न खत्म करके, इस तरीके से सरलीकरण को आधार बना कर इस तरीके से किया जा रहा है । चूंकि खत्म करने के लिए तो उस वक्त कह दिया था, मगर परिधि में था नहीं, ताकत में था नहीं, अब हमारी ताकत में क्या है, किस तरह से हम अपने व्यापारियों को फायदा पहुंचा सकते हैं लेकिन एक स्टेज वह आ गयी कि उस व्यापारी वर्ग ने विरोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

करना शुरु कर दिया, तब उनको तसल्ली देने के लिए यह अध्यादेश संशोधन रख दिया तो मान्यवर पहले २५ हजार टन ओवर और अब ५० हजार टन ओवर कर दिया । इसके पीछे एक नीति है कि आया सल्सटैक्स लगे या न लगे और लगे तो किस रेशियो से लगे । यह सारी चीजें आपकी लम्बी चौड़ी चीज हैं जिसके ऊपर बैठकर तय किया जाय और वह अंतिम शक्ल में हो कि स्टेट में एबोलिश करने का किया है तो किस-किस पर सेल्स टैक्स लग सकता है और किस-किस पर नहीं उस पर विचार करें ।

मान्यवर, मिसाल के तौर पर मैं मंत्री जी का ध्यान मुरादाबाद की तरफ बिलाना चाहता हूं कि मुरादाबाद के अन्दर बरतनों का काम गली कूचे में होता है और उस काम को छोटे से छोटा आदमी आज कर रहा है । पानी की दुकान करता है तो भी वह बरतनो से संबंधित कुछ न कुछ काम करता आपको मिलेगा चाहे वह कलई ही करता मिले । वह सब बिना पढ़े लिखे हैं । जो आपने किया इससे आसानी तो लोगों को होगी और जो व्यापारी है उनको राहत मिल जायेगी । एक तरफ जैसे कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि आपके इक्सचेकर पर फर्क पड़ेगा तो उसको कैसे पूरा करेंगे । जिनका लाखों में टर्नओवर है उससे जो एक्सचेकर में कमी होगी इससे कितना लास होगा और उसको कैसे बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं कि नहीं, इस पर सोचने की जरूरत है ।

मान्यवर, मुरादाबाद के बारे में मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप वहां गये होंगे तो मसला आया होगा कि वहां 32 लाख रु० के सेल्सटैक्स पड़ा है । वह 15-20 साल से चला आ रहा है । जो दादा के नाम था वह उनके पोतों के नाम सेल्स टैक्स हो गया है । वहां के सेल्स टैक्स कमिश्नर, श्री निगम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह 32 लाख रु० हम वसूल नहीं कर सकते हैं । वह ज्वाइन्ट रिकवरी है । उस पर आप निर्णय नहीं दे पाये । सेल्स टैक्स कमिश्नर ने स्पष्ट लिखा है कि यह 32 लाख रु० रिक्वरेबिल नहीं है । लेकिन वह उनके पोतों के नाम लिखा है । इसलिये इस पर निर्णय लें कि उसको हमने छोड़ा ।

मान्यवर, 10 पैसे के टिकट वाली बात किया कि सरचार्ज को छोड़ा । आज छोटे-छोटे होटलों में खाने पर सेल्स टैक्स लगाते हैं लेकिन समझ में नहीं कि ढाई रुपये में थाल खाकर आदमी चला तो १० पैसे और जोड़ दिया । इसलिये इस पर सोचने की बात है और छोटे-छोटे होटल में खाने पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये । इसलिये जो पैसे का मामला है कि कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा और जो चीजें बच रहीं हैं उन पर सोचने के लिये एक महीने का समय दें । सब जगह से रोक आ जायगी । और उस राय के बाद आप कैबिनेट में तय करके यहां रखें । यहां रखने के बाद तो वह पास हो ही जायेगा । इसके बाद मैं श्री कल्पनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं अपने उस संशोधन को पढ़ देना चाहता हूं जो मैंने आप को दिया है..

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे देखा । वह नियम के विरुद्ध है । ३६ घन्टे पहले आना चाहिए और फिर अभी खन्डों पर विचार नहीं कर रहे हैं । इस वक्त तो इस पर सामान्य बहस है । तो जनरल बात कहिये । वैसे आपका संशोधन ग्राह्य नहीं है । समय के बाद मिला है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

ठीक है, मान्यवर उसकी चर्चा कर देता हूं। यह बात माननीय संस्थागत वित्त मंत्री महोदय के ऊपर छोड़ देता हूं कि संशोधन को स्वीकार करेंगे।

मान्यवर, मैं प्रारम्भ में ही संशोधन को लेता हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण कराधान विधेयक में प्राविधान किया है माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी ने और वह यह है कि धारा ११ के अन्तर्गत उन्होंने एक संशोधन प्रस्तावित किया जिसके अन्तर्गत जहां उन्होंने रिविजन तथा रिफरेन्स करने वालों को बहुत बड़ी सुविधा दी है वहीं वह सारी मूल सुविधा समाप्त होती लगती है। मान्यवर धारा ११ के अन्तर्गत बिक्री कर कराधान विधेयक, १९४८ है उसमें पुनरीक्षण न्यायधीश के आदेश से यदि कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो या सरकार क्षुब्ध हो तो १२० दिन के अन्दर वह प्रार्थना-पत्र दे सकता था कि उसका कोई न्यायिक प्रश्न ऐसा है जिसे उच्च न्यायालय को भेज दिया जाय निर्णय के लिए और उच्च न्यायालय उस पर फसला देता था। जो पुराना विधेयक था उसमें उलझनें थीं। एक व्यक्ति न्यायाधीश के यहां प्रार्थना पत्र दे। वह फिर उस में स्टेटमेंट बनाये। स्टेटमेंट उच्च न्यायालय में भेजे। उच्च न्यायालय अगर समझता हो कि यह ठीक स्टेटमेंट नहीं बना है तो उसे वापस कर देता था और उस के बाद नया स्टेटमेंट जाय। यह इतना उलझन-पूर्ण प्राविधान था कि जो व्यक्ति क्षुब्ध हो जाते थे उन को न्याय नहीं मिलता था। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इसमें संशोधन किया और यह प्राविधान किया कि कोई भी व्यक्ति जो पुनरीक्षण न्यायधीश के आदेश से क्षुब्ध हो नब्बे दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे सकता है लेकिन जहां उन्होंने यह सुविधा दी है वहीं एक कठोरता बरती है जिसका मैं जिक्र करना उचित समझता हूं। आप ने लिखा है कोई व्यक्ति जो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसा आदेश तामील किए जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायलय में इस आधार पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में सारवान् विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। यह जो सारवान विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है इसके कारण सारी सुविधा समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि सब्सटेन्टिव क्वेश्चन अगर इन्वोल्व नहीं है सारवान् विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में नहीं जा सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल एकेडिमिक डिस्कशन के लिए उच्च न्यायालय जायगा। मैं समझता हूं कि वैध प्रश्न उपस्थित होता है और इसलिए यह सारवान् शब्द अगर हटा दिया जाय तो वास्तव में क्षुब्ध व्यक्ति को सही सुविधा होगी और उसे न्याय मिलेगा। यह रही संशोधन की बात।

अब मैं मान्यवर, कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन प्रस्ताव के ऊपर आ जाता हूं। यह बात सही है, ठीक है कि सेल्स टैक्स कानून में कुछ विशेष कानून हैं जिसके प्राविधानों के समझे बगैर इसका संशोधन आसानी से नहीं दिया जा सकता। माननीय रियासत हुसैन साहब ने २५००० से छूट ५०००० कर दिये जाने पर बहुत आपत्ति उठाई। मैं दोनों माननीय सदस्यों को ध्यान दिला दूं कि यह उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट १९४८ में बना था और उस समय प्राविधान था कि १२ हजार से ऊपर जिनकी बिक्री हो उन पर ही बिक्री कर लागू माना जाय। आप विचार करें। १९४८ की तुलना आज १९७८ से करें। मूल्यों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त---]

अगर इस बात के आंकड़े लगाए गए होते कि मूल्य १० गुना बढ़ गए हैं तो वह यह कहते कि सीमा बजाय ५० हजार के १ लाख होनी चाहिये थी। जब आयकर की सीमा १० हजार की निर्धारित की गयी है और १० प्रतिशत का लाभ जोड़ लिया जाय तो कोई कारण नहीं है कि यह सीमा १ लाख न रखी जाती। ५० हजार रुपये की जो सीमा रखी गयी है वह बिल्कुल ठीक है, इसको घटाने का कोई प्रश्न नहीं है। जनमत संग्रह के लिए भी इसे अगर भेजा जायगा तो सर्वसम्मत से यही निर्णय लिया जायगा कि ५० हजार से सीमा आगे बढ़ा दी जाय।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जो संशोधन विधेयक रखा गया है इसके अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति में ८५ प्रतिशत राजस्व उन १५ फीसदी दूकानदारों से, व्यापारियों से प्राप्त होता है जिनकी सीमा ५० हजार से कहीं अधिक है। रियासत साहब ने मुरादाबाद के जिन छोटे कारीगरों की बात कही, उन्होंने सेल्फ कान्ट्रेडिक्टरी की बात कही। जब छोटे कारीगर होंगे तो ५० हजार की सीमा के नीचे ही आयेंगे। दूसरी ओर कहते हैं कि ५० हजार की सीमा बढ़ाकर गलत काम किया गया है। एक तो इन कारीगरों से कर लगता नहीं क्योंकि वे मैन्युफैक्चरर की सीमा में आते नहीं। उस सीमा में वे दूकानदार आते हैं जो होलसेल का काम करते हैं लिहाजा उन कारीगरों से टैक्स वसूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा जो ५० हजार की सीमा बढ़ाई गई है वह ठीक किया गया है।

मैं माननीय संस्थागत वित्त मंत्री को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के घटते हुए उद्योगों को संभाल लिया। छोटे-छोटे उद्योग बाहर जा रहे थे क्योंकि बिक्रीकर ऐक्ट में एक धारा ३-इ जुड़ गयी थी उसे आपने समाप्त कर दिया, जिससे छोटे उद्योगों को माननीय मंत्री ने बाहर जाने से बचा लिया।

एक सुझाव मैं माननीय मंत्री को देना चाहता हूं। अपीलेट अधिकारियों को स्थगन आदेश देने का अधिकार पहले नहीं था। अब उनको यह अधिकार दे दिया गया है। लेकिन जहां यह अधिकार उनको दिया है थोड़ी सी कठिनाई भी पैदा कर दी है और वह यह कि कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक अपील के साथ ही स्थगन आदेश के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जायगा। जिस प्रकार से मूल अधिनियम की धारा १० में प्रावधान थे और जज रिवीजन को स्थगन करने के अधिकार थे, उनको स्थगन प्रार्थना पत्रों को रिवीजन के साथ देने की बन्दिश नहीं थी, वैसा ही, प्राविधान इसमें रखा जाय, और इस प्रतिबन्ध को निकाल दिया जाय कि अपील के साथ ही स्थगन आदेश के लिये प्रार्थना-पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान बिक्रीकर ऐक्ट के अन्तर्गत अपील और पुनरीक्षण का शुल्क तथा कोर्टफीस इतनी बढ़ा दी गयी, ४, ५ गुना कर दी गयी जिसके कारण न्याय प्राप्त करना कठिन हो गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपातकाल की बढ़ी हुई कोर्टफीस को माननीय मंत्री जी समाप्त करेंगे।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

कोरम नहीं है। कोरम नहीं है तो हमें भी इजाजत दें।

श्री अटल—

साढ़े ५ बजे के बाद मान्यवर, इसे एक घन्टे के लिए रखा गया इस पर तो एक दिन की चर्चा की आवश्यकता थी। इतना महत्वपूर्ण यह विधेयक है। कृपया इसे आप आज समाप्त कर दें। कोरम ही नहीं है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इसे अंत किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस समय तो कोरम ही नहीं है इसे कैसे ले सकता हूं। कोरम की घंटी बजाई जाय (कोरम की घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

एक विशेष निवेदन में माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। जब से जनता पार्टी का राज्य आया इस बात की बराबर घोषणा केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा की जाती रही कि बिक्री कर समाप्त किया जायेगा। अब व्यापारियों में जबरदस्त आशंका और असन्तोष का वातावरण हो गया है कि बिक्री-कर समाप्त नहीं होगा। फिर मान्यवर, एक सरलीकरण कमेटी बैठाई गई। मैं भी उसका एक साधारण सदस्य था और उस कमेटी ने महत्वपूर्ण संशोधन किये और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उम्मीद थी कि अगर बिक्री-कर लागू भी रहे और जब तक वह समाप्त न हो तब तक ऐसे प्रावधान कर दिये जायं कि इसके अन्दर जो जटिलताएं हैं वह समाप्त कर दी जायं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस सरलीकरण समिति ने बड़ा परिश्रम करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पता नहीं उसको सरकार ने क्यों नहीं स्वीकार किया। आज उस पर प्रश्न भी आया था उसकी संस्तुतियों को स्वीकार करने के लिए मैं संस्थागत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अपने उत्तर में वह निश्चित रूप से बतायें कि उस सरलीकरण समिति की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया जायेगा।

एक और बात कहना चाहता हूं वह है अलम्यूनियम उद्योग के बारे में एक नये अध्यादेश के आधार पर उत्तर प्रदेश के एलम्यूनियम निर्माताओं के सामने संकट पैदा हो गया है। सन् १९७१ में एक ऐसा अध्यादेश लागू किया था जिसके अंतर्गत एलम्यूनियम बर्तनों पर साढ़े तीन परसेन्ट टैक्स लगना था। उसके पश्चात् सन् १९७३ में ७ परसेन्ट टैक्स लगा दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट में रिट हुई और उस पर निर्णय हुआ कि साढ़े तीन परसेन्ट टैक्स लगना चाहिए। सन् १९७७ में जब सरलीकरण समिति बैठी थी एलम्यूनियम के निर्माता भी उसमें आए थे और यह अध्यादेश जारी किया गया कि अलम्यूनियम निर्माताओं से ७ के बजाय साढ़े तीन परसेन्ट टैक्स लगेगा। उसमें यह भी किया गया था कि यह उस अवधि से लागू होगा जब से यह अध्यादेश प्रस्तुत हुआ। उससे एलम्यूनियम निर्माताओं को कोई कष्ट नहीं हुआ क्योंकि उस स्पष्टीकरण के अनुसार साढ़े तीन परसेन्ट कर दिया गया था लेकिन पता नहीं क्यों डेढ़ महीने बाद ही सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया, जिसमें यह प्राविधान कर दिया गया है कि वह सन् १९७३ से लागू होगा यानी विद रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा। अब आप जरा विचार करें, साढ़े

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

तीन परसेन्ट जिन्होंने वसूल किया और साढ़े तीन परसेन्ट सरकारी खजाने में जमा किया, उनसे अब ७ परसेन्ट करके लिया जाएगा, तो इसके परिणामस्वरूप छोटे-छोटे अलम्यूनियम निर्माताओं पर २-२ लाख की डिमान्ड पहुंच रही है। तो शीघ्रातिशीघ्र कैबिनेट ने यदि ७ प्रतिशत के बजाय बिक्री कर १९७३ से ही साढ़े तीन परसेन्ट नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश अलमूनियम कारखानेदार अपने कारखाने बन्द करने को मजबूर हो जायेंगे।

कई बार उत्तर प्रदेश के व्यापारी और उद्योगपति मुख्यमंत्री, संस्थागत मंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलने आए हैं, जिनमें सर्राफा और ब्रिक क्लिंप वाले आए हैं, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव किया है कि उनके उद्योगों पर से जो आपको टैक्स मिलता, है उसको बढ़ा कर डेढ़ गुना कर दिया जाए, उससे ज्यादा कर दिया जाए लेकिन उनकी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाए और उन पर बार-बार पड़ने वाले छापे भी बन्द कर दिए जाएं। मुझे आशा है कि सरकार और मंत्री व्यापारिक संस्थाओं का जो प्रतिवेदन आया है, उन पर विचार करके, उनकी मांगों को स्वीकार कर लेंगे। आज अधिकारीगण यदि जटिलताओं को समाप्त करने में बाधक बनते हैं, तो उन्हें मंत्री जी को समझाने बुझाने का प्रयास करना चाहिये अन्यथा वह उनसे ठीक से काम लें, यह सरकार का काम है। हमने सरलीकरण कमेटी में रहकर जो देखा है और अधिकारियों और व्यापारियों से मिलने के बाद पाया है, उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार और मंत्री तो चाहते हैं कि यह समाप्त हो, जटिलतायें समाप्त हों, लेकिन शायद नौकरशाही उसे स्वीकार नहीं कर रही है, व्यावहारिक कठिनाइयां किसी न किसी बहाने से सरकार के सामने पेश की जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करें और जटिलताओं को शीघ्र दूर कर दें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

कल्पनाथ सिंह जी आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हों तो वापस ले लें।

श्री कल्प नाथ सिंह--

मान्यवर, आप तो जानते ही हैं कि मुझे वापस लेना है, सो मैं वापस ले रहा हूं, लेकिन एक बात...

श्री अवल--

यह मिली भगत थी इनकी, यही इनसे उम्मीद थी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

हमारी मिलीभगत थी, वह तो है ही, मैं यह कहां कह रहा हूं कि मैं उनसे अलग हूं, लेकिन माननीय सदस्य क्या कर रहे थे अब तक? यह मौके पर आते तो मालूम होता। अगर आप कहें तो मैं बजाबता कह दूं-अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने संशोधन विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए...

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। सबसे पहले श्यामसुन्दर जी ने जो सुझाव दिया है शासन किसी चीज पर बन्द दिमाग से नहीं सोचता है। इस तर्क में

बल है कि "सारवान" शब्द जो प्रस्तावित धारा ११ में आया है उसको हटाना उचित होगा। अगर आप अनुमति देंगे तो धारा ११ से हटा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

आप पेश करवा सकते हैं। नियमों में मंत्री पेश कर सकता है। उनको अधिकार है। वह संशोधन रख सकते हैं। माननीय श्याम सुन्दर गुप्त को अनुमति दी जा सकती है। जब खन्ड आयेगा अपना संशोधन रख सकते हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

एक चीज और कहना चाहता हूं कि यह आशंका कि जो २५ हजार से ५० हजार बढ़ा दिया है इससे शासन को हानि होगी, निर्मूल है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर कर लगता है। इसकी छूट आयातकर्ता और निर्माता को नहीं दी गयी है। यदि कोई चीज रजिस्टर्ड डीलर से अनरजिस्टर्ड डीलर को बेची जायगी उसी प्वाइंट पर उसको समझा जायगा कि कंज्यूमर की बिक्री है, उस बिन्दु पर कर लगेगा। इसलिए कोई हानि की आशंका नहीं है। सरलीकरण समिति ने बहुत गम्भीरता से विचार करके यह सुझाव दिया था। माननीय रियाज हुसैन ने मुरादाबाद में जो बकाया है उसके सम्बन्ध में कहा। उसके बारे में शीघ्र निर्णय लेंगे। वह छः-सात हफ्तों के अन्दर सुन सकेंगे कि क्या निर्णय लिया, बकाया के विषय में कैसे होगा। सरलीकरण समिति की लगभग ६० संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार कर लिया है कुल ८६ में से, उन पर जो इस विधेयक के के अन्दर नहीं आयी हैं दूसरा विधेयक बनाने की प्रक्रिया चालू है। जैसे ही विधेयक तैयार होगा, प्रस्तुत कर दिया जायगा। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ)।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ से १३

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में, खण्ड (झ) में, अधिनियम स्पष्टीकरण (२) में, उपखण्ड (१) में शब्द "प्रतिष्ठान के व्यय के, जब कि ऐसा व्यय पृथक रूप से लिया गया हो" के स्थान पर शब्द "प्रतिष्ठान के व्यय के या बिक्री या क्रय-कर के रूप में वसूली की गयी धनराशि के, जब कि ऐसा व्यय या धनराशि पृथक रूप से ली गई हो" रख दिये जायेंगे और चार नवम्बर, १९७४ से पच्चीस मई, १९७५ की अवधि को छोड़ कर सदैव रखे गये समझे जायेंगे।

संशोधन धारा २ का

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(क) उपधारा (२) में, शब्द 'पच्चीस हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'पचास हजार रुपये' रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(४) जब उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट, या उसके अधीन विज्ञापित, धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय, तब किसी व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :—

(क) इस प्रकार परिवर्तन के पूर्व की अवधि से संबंधित विक्रय-धन पर मानों उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि परिवर्तित न की गयी हो; और

(ख) शेष पर, मानों परिवर्तित धनराशि सभी सारवान दिनांक पर प्रवृत्त रही हो।"

धारा ३-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जायगा; और

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और दिनांक एक अप्रैल, १९७८ से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(ख) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मेथाइल अलकोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें संयुक्तप्रान्त मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अलकोहल विक्री करारोपण अधिनियम, १९३९ में यथापरिभाषित अलकोहल भी नहीं है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा विक्री के स्थल पर बीस प्रतिशत की दर पर या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे;

(ग) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर, अनुसूची के स्तम्भ तीन में विनिर्दिष्ट स्थल पर, पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे और उक्त अनुसूची में किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) पाम आयल के सम्बन्ध में निर्माता या आयातकर्ता के विक्रय-धन पर आठ प्रतिशत की दर पर या पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे; कर देय होगा; और

(२) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची, उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तद्नुसार संशोधित समझी जायगी।"

धारा ३-क क क क का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा-३-क क क क में, शब्द 'धारा ३-क क क में लिखित घोषणा-पत्र देकर' के पश्चात् शब्द 'या अन्यथा', और अन्त में निम्न-लिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड, बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, १९७४ से बढ़ाया गया समझा जायगा अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह प्रमाणित कर दे कि क्रय किये गये माल पर धारा ३-क क क के अधीन पहले ही कर दिया जा चुका है तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा।"

धारा ३-घ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ३-घ में,—

(क) उपधारा (१) में, स्पष्टीकरण २ में, शब्द और अंक "या डिफेंस एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, १९७१ के नियम ११४ के अधीन" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (३-क) में शब्द "बारह हजार रुपये," के स्थान पर शब्द 'पचास हजार रुपये' रख दिये जायेंगे; और प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (३) निकाल दिया जायेगा और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से, यथास्थिति, रखा गया, या निकाला गया समझी जायगा।

धारा ३-ङ का निकाला जाना

७—मूल अधिनियम की धारा ३-ङ निकाल दी जायगी, और सदैव से निकाली गयी समझी जायगी।

धारा ४-ख का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ४-ख में उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द, अंक और अक्षर "धारा ३, ३-क, ३-कक, ३-घ और ३-ङ" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा ३, ३-क, ३-कक, ३-ककक और ३-घ" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७४ से रखे गये समझे जायेंगे ;

(दो) शब्द, अंक और अक्षर "धारा ३-ङ" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा ३-ककक" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७४ से रखे गये समझे जायेंगे ; और

(तीन) खन्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली मई, १९७७ से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(क-१) यदि धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन कर-योग्य कोई घोषित माल किसी, ऐसे व्यापारी द्वारा, जो उसका प्रथम क्रेता हो, किसी ऐसे दूसरे व्यापारी को, बेचा या सम्भरित किया जाय जिसके पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया विधिमान्य मान्यता का प्रमाण-पत्र हो तो वह व्यापारी, जिसने प्रथम क्रय किया, ऐसे क्रय के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो विज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जायें, कर से मुक्त होगा या ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित की जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि धान के सम्बन्ध में इस खन्ड के अधीन किसी विज्ञप्ति को किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है, जो पहली मई, १९७७ के पूर्व का दिनांक न हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस खन्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को भी किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, १९७७ के पूर्व का दिनांक न हो।"

धारा ७-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा ७-क में, उपधारा (१) में, शब्द और अंक "उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "उपधारा (3-क)" रख दिये जायेंगे और दिनांक दस फरवरी, १९७२ से रखे गये समझे जायेंगे।

नई धारा ७-ङ और ७-च का बढ़ाया जाना

१०—मूल अधिनियम की धारा ७-घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांक करना

"७-ङ (१) निर्धारित रीति से अवधारित विक्रय-धन की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रुपये के गुणांक में न हो, निकटतम दस रुपये के गुणक में पूर्णांक किया जायगा, अर्थात्—दस रुपये के ऐसे भाग को जो पांच रुपये से कम हो, छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग को दस रुपया गिना जायगा। इस प्रकार पूर्णांक की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए करदाता का विक्रय-धन समझा जायगा।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, शुल्क, ब्याज, अर्थ-दन्ड या किसी अन्य धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि में एक रुपये का भाग हो, निकटतम रुपये में पूर्णांक किया जायगा, अर्थात् एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसा से कम हो, छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग को एक रुपया गिना जायगा।

अन्य धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना।

७-च---इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर का निर्धारण वर्ष के लिए अन्तर्ग्रस्त धनराशि पांच रुपये से कम हो तो इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा कर, शुल्क, ब्याज या अर्थ-दन्ड न तो वसूल किया जायगा और न ऐसी वापसी की अनुज्ञा दी जायगी।"

धारा ८-क का संशोधन

११---मूल अधिनियम की धारा ८-क में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्---

(क) उपधारा (१) में,---

(एक) खन्ड (ग) में, शब्द और अंक "२५,००० रु० से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा ३ की उपधारा (२) के अथवा धारा ३-घ की उपधारा (३) के, जैसी भी दशा हो, अधीन विज्ञापित की जाय" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "३०,००० रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से जो, यथास्थित, धारा ३ की उपधारा (२) के या धारा ३-घ की उपधारा (३-क) के अधीन विज्ञापित की जाय" रख दिये जायेंगे; और

(दो) खन्ड (घ) में, शब्द और अंक "२५,००० रु० के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ की उपधारा (२) के अथवा धारा ३-घ की उपधारा (३) के जैसी भी दशा हो, अधीन विज्ञापित की जाये" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "३०,००० रु० के या ऐसी अधिक धनराशि के जो यथास्थिति, धारा ३ की उपधारा (२) के या धारा ३-घ की उपधारा (३-क) के अधीन विज्ञापित की जाय" रख दिये जायेंगे;

(तीन) शब्द "रजिस्ट्री के लिए" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, रजिस्ट्री या नवीकरण के लिए" रख दिये जायेंगे, और अन्त में आये हुये शब्द "व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिये या उसकी स्वेच्छा से और अधिक अवधि के लिये जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है।"

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"कर निर्धारण वर्ष १९७८–७९ से रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र तीन कर निर्धारण वर्ष की अवधि के लिये दिया जायेगा और अनुवर्ती नवीकरणों के लिए प्रार्थना–पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिये दिया जायेगा जिसे आगे त्रैवार्षिक नवीकरण कहा गया है।"

(चार) अन्त में निम्नलिखित, प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो इकतीस मार्च, १९७९ के पश्चात् किसी समय व्यापार प्रारम्भ करता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण त्रैवार्षिक नवीकरण की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त होता है, ऐसी कम अवधि के लिये रजिस्ट्रीकरण या, यथास्थिति, नवीकरण के लिये आवेदन कर सकता है जो ऐसे दिनांक को समाप्त होती हो जिसके पश्चात् उक्त उपबन्धों के अधीन आगामी त्रैवार्षिक नवीकरण अपेक्षित होता हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पहली अप्रैल, १९७८ से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिये प्राथना–पत्र ३० जून, १९७८ तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) या खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित का योग विक्रय धन होगा—

(१) धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय का क्रय–धन या विक्रय का विक्रय–धन जो भी अधिक हो;

(२) अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर योग्य क्रय का क्रय–धन, और

(३) सभी अन्य माल के विक्रय का विक्रयधन।"

(ख) उपधारा (१–क) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये रजिस्ट्रीकरण के लिये व्यापारी द्वारा पचहत्तर रुपये का शुल्क देय होगा। किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिये व्यापारी द्वारा पचास रुपये का शुल्क देय होगा।";

(ग) उपधारा (२) में, खंड (ख) में, जहां कहीं भी शब्द "या क्रय कर" आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "अड़तालिस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" और शब्द "चार हजार रुपये", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये के बारहवें भाग" रख दिये जायेंगे;

(दो) खंड (ख) में, शब्द "क्रय या विक्रय-कर" के स्थान पर शब्द "विक्रय-कर" रख दिये जायेंगे;

और

(ङ) उपधारा (५) निकाल दी जायगी।

१२—मूल अधिनियम की धारा ९ में, निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा और पहली अप्रैल, १९७८ से किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:— धारा ९ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "व्यापारी जिसे" के स्थान पर शब्द "व्यापारी या कोई व्यक्ति जो" और शब्द "पर आपत्ति हो" के स्थान पर शब्द "से क्षुब्ध होते" रख दिये जायगे;

(ख) उपधारा (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(३-क) अपील सुनने वाला अधिकारी अपीलकर्त्ता के प्रार्थना-पत्र पर, और बिक्रीकर कमिश्नर को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा देय कर शुल्क या अर्थ-दन्ड की धनराशि की वसूली स्थगित कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) इस उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि उसे उपधारा (१) के अधीन अपील के साथ प्रस्तुत न किया जायगा, और जब तक कि अपीलकर्त्ता ने उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा जमा किए जाने के लिये अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त, यथा-स्थिति, कर, शुल्क या अर्थदन्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि का भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(२) अपील सुनने वाला अधिकारी, विशेष और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, कर, शुल्क या अर्थदन्ड की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के संबंध में पूर्ववर्ती खन्ड की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है या उन्हें शिथिल कर सकता है।

(३) इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलकर्त्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, उस धनराशि के भुगतान के लिए जिसकी वसूली स्थगित की गई हो, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।"

(ग) उपधारा (६) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य प्रार्थना-पत्रों" रख दिये जायेंगे ।

धारा १० का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १० में, शब्द "अपील या पुनरीक्षण" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण" रख दिया जायेगा और पहली अप्रैल, १९७८ से रखा गया समझा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से १३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

धारा ११ और ११-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा ११ और ११-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

"११ (१) कोई व्यक्ति जो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उक्त आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश तामील किए जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में सारवान् विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा आदेश सम्बद्ध व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) पूर्व किसी समय तामील किया गया हो और प्रार्थना-पत्र देने के लिये उपधारा (१) में, जैसी कि वह उक्त दिनांक के पूर्व थी, निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि उक्त दिनांक को समाप्त न हुई हो तो क्षुब्ध व्यक्ति उक्त दिनांक से साठ दिन के भीतर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(२) कोई व्यक्ति, जो पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेश से जिसमें इस धारा के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, क्षुब्ध हो, यदि उपधारा (४) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिये परिसीमा समाप्त न हुई हो, उक्त दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(३) यदि उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन, जैसी कि वे उक्त दिनांक से ठीक पूर्व थी, कोई प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण अधिकारी या

अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि समाधान के लिए एक सौ बीस दिन की अवधि जैसा कि उक्त उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट है, समाप्त हो गयी है, तो ऐसा प्रार्थी धारा १० की उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध उक्त दिनांक से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि मामले में सारवान् विधि-प्रश्न है।

(४) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके साथ खजाने का चालान न हो जिसमें शीर्षक "०४०—बिक्री-कर केन्द्रीय—राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां—(४) अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत दो सौ पचास रुपये जमा करना दर्शित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री कर कमिश्नर द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण की स्थिति में ऐसी धनराशि जमा करना आवश्यक न होगा।

(५) उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन जैसी कि वे उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में समाधान (Reference) करने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र जो उक्त दिनांक को पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, उच्च न्यायालय को हस्तान्तरित हो जायेगा, और यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाय कि मामले में सारवान् विधि-प्रश्न है तो वह उसे इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के रूप में ग्रहण कर सकता है और उसका निस्तारण तदनुसार कर सकता है।

(६) यदि उच्च न्यायालय ने उक्त दिनांक के पूर्व पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी से उपधारा (४) के अधीन, जैसी की वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण समाधान के लिये उच्च न्यायालय को भेज देने की अपेक्षा की हो तो ऐसा अधिकारी, यथाशीघ्र, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा और ऐसा समाधान इस धारा के अधीन पुनरीक्षण समझा जायेगा और उसका निस्तारण तदनुसार किया जायेगा।

(७) पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेशानुसार देय, कर शुल्क या अर्थ-दण्ड की वसूली, जिसे इस धारा के अधीन पुनरीक्षित करने की मांग की गई हो, पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र का निस्तारण होने तक स्थगित नहीं की जायेगी, किन्तु यदि ऐसे पुनरीक्षण में दिये गये अन्तिम आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि कम कर दी जाय तो अधिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(८) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तर्ग्रस्त विधि-प्रश्न का निर्णय करेगा, और यदि ऐसे निर्णय के परिणाम स्वरूप कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि को फिर से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि का फिर से अवधारण करने के लिए निर्णय की एक प्रति, यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को भेज सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी ऐसा आदेश देगा जो उक्त निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हो।

(६) परिसीमा अधिनियम, १९६३ की धारा ५ के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये दिये गये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है ।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त—

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ के खंड १४ जिसके द्वार मूल अधि नियम में प्रस्तावित धारा ११ में जहां-जहां "सारावान" शब्द है, उस शब्द को उस शब्द को निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी यह संशोधन आपको स्वीकृत है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जी हां, मुझे स्वीकृत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ के खण्ड १४, जिसके द्वारा मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ११ में जहां-जहां "सारवान" शब्द है, उस शब्द को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १५-२७

धारा १८ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा १८ में शब्द और अंक "२५,००० रुपया", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "५०,००० रुपया" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा २२ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २२ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और दिनांक पहली मार्च, १९७३ से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात—

"(१) कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, अभिलेख के देखने से ही प्रकट होने वाली किसी भूल का सुधार उस आदेश के, जिसमें सुधार किया जाना है, दिनांक से

तीन वर्ष के भीतर, स्वप्रस्ताव से या व्यापारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र तीन वर्ष की उक्त अवधि के भीतर दिया गया है तो संबद्ध अधिकारी उसका निस्तारण तीन वर्ष के पश्चात भी कर सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसको सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।"

१७--मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,-- प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) वर्तमान प्रविष्टि ६७ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

१	२	३
"६७-क	पाम आयल	नि० अथवा आ०;"

(ख) वर्तमान प्रविष्टि ८६ निकाल दी जायगी और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से निकाली गयी समझी जायगी।

१८-- (१) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-दो-३३४/दस-१०१२-७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ को दिनांक पहली दिसम्बर, १९७३ से विखंडित समझा जायेगा। विज्ञप्ति का संशोधन

(२) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-दो-९०६०/दस-११(२)-७५, दिनांक २ जनवरी १९७६ में शब्द "तार तथा तार की जाली" के स्थान पर शब्द "तार की जाली" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(३) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-दो-९९५७/दस-११-(२)-७५, दिनांक ६ फरवरी, १९७८ जारी किये जाने के दिनांक से ही विखंडित समझी जायगी।

१९--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ के नियम २५-क में,-- नियम २५-क का संशोधन

(१) उपनियम (१) में, शब्द "जारी करने" के पश्चात् शब्द या उसका "नवीकरण करने" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७६ से रखे गये समझे जायेंगे,

(२) उपनियम (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(१-क) कर निर्धारण वर्ष १९७८-७९ से मान्यता के प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र तीन कर निर्धारण वर्षों के लिये दिया जायगा, और अनुवर्ती नवीकरणों के लिये प्रार्थना-पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दिया जायगा जिसे आगे त्रैवार्षिक नवीकरण कहा गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो ३१ मार्च, १९७९ के पश्चात् किसी समय व्यापार प्रारम्भ करता है या जिसकी मान्यता या नवीकरण त्रैवार्षिक नवीकरण की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त होती है, यथा-स्थिति, मान्यता के प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के लिये ऐसी कम अवधि के लिये आवेदन कर सकता है जो ऐसे दिनांक को समाप्त होती हो जिसके पश्चात् उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन आगामी त्रैवार्षिक नवीकरण अपेक्षित होता हो :

अपरन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहली अप्रैल, १९७८ से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र ३० जून, १९७८ तक प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(३) उपनियम (३) में, शब्द और अंक "५० रुपये" और "२५ रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "१०० रुपये" और "५० रुपये" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, १९७८ से रखे गये समझे जायेंगे ;

(४) उपनियम (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(५) उपनियम (१-क) और (१२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मान्यता का प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उप-नियम (१) या उप नियम (१-क) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रभावी होगा";

(५) उपनियम (११) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(१२) १ अप्रैल, १९७६ के पूर्व जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र उक्त दिनांक से प्रभावी न रह जायेगा, और सम्बन्धित व्यापारी उसके नवीकरण के लिए इस नियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष १९७६–७७ या १९७७–७८ के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र ३० जून, १९७८ तक दिया जा सकता है, और उस दशा में नवीकरण सम्बद्ध कर निर्धारण वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।"

वैधीकरण और संक्रमण कालीन उपबन्ध

२०—(१) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्वकृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अध्याय द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, वैसे ही विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानो इस अध्याय के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(२) यथा स्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में आई किसी भूल का सुधार कर सकता है, यदि ऐसी भूल इस अध्याय द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के कारण उत्पन्न हुई हो। ऐसा सुधार इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष के अवधि के भीतर, या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २२ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर को बढ़ाना होगा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसको सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।

(३) जहां, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो, या ऐसे कर निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रह को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखंडित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश, इस अध्याय के उपबन्धों के परिणामस्वरूप, इस अध्याय द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय वहां उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से चार मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये ऐसे अधिकारी या न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायलय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अध्याय के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण—उपधारा (१), (२) और (३) के प्रयोजनार्थ धारा १८ और १९ के उपबन्ध भी मूल अधिनियम के संशोधन समझे जायेंगे।

(४) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के किसी बात के होते हुए भी,—

(क) २ सितम्बर, १९७६ से १० सितम्बर, १९७६ की अवधि में,—(एक) खाद्यान्न जिसमें अनाज और दालें भी सम्मिलित हैं, किन्तु जिसमें सावां, मंडुआ, काकुन और मक्कारी सम्मिलित नहीं हैं, और

(दो) कूड आयल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर उपभोक्ता के हाथ बिक्री के स्थल पर, चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा? और

(ख) १ अप्रैल, १९६६ से ३० सितम्बर, १९७७ की अवधि में ऊनी कालीन के सूत (जिसमें बिना कता ऊनी धागा, जिसे साधारणतया "देशी काती" कहा जाता है, भी सम्मिलित है) के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्त्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दो प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

(५) मूल अधिनियम की धारा ८-क में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धारा उपधारा की (१-क) के खण्ड (ग) और (घ) को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७६ की धारा ९ द्वारा प्रतिस्थापित किये गये हैं, कर निर्धारण वर्ष १९७६-७७ के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए सभी प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में, चाहे ऐसा प्रार्थना-पत्र पहली अप्रैल, १९७६ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, लागू समझा जायेगा।

अध्याय तीन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ का संशोधन

२१— इस अध्याय के उपबन्धों को दिनांक १ जनवरी, १९७८ से प्रवृत्त समझा जायगा।

अधिनियम संख्या २ सन् १८९९ को धारा २ का संशोधन

२२— उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में, खंड (२७) निकाल दिया जायगा।

धारा ३ एए का निकाल जाना

२३—मूल अधिनियम की धारा ३-एए निकाल दी जायगी,

धारा ११-क का निकाल जाना

२४—मूल अधिनियम की धारा ११-क निकाल दी जायगी।

धारा ६४-क का निकाला जाना

२५—मूल अधिनियम की धारा ६४-क निकाल दी जायगी।

२६—मूल अधिनियम की अनुसूची १—बी में अनुच्छेद २५—ए निकाल दिया जायगा । अनुसूची १—बी का संशोधन

अध्याय चार

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २३ सन् १९७७ निरसन और अपवाद

२७—(१) उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में, उल्लिखित मूल अधिनियमों के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान, समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ से लेकर २७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण)

विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश बिक्री—कर ऐक्ट, १९४८ और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ का अग्रेतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध बनाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

अब हम उठते हैं । २४ तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार, २४ अप्रैल, १९७८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ :
२० अप्रैल, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

क्रमांक	विषय	सहायक अभियन्ता का नाम	अधिशासी अभियन्ता का नाम	अधीक्षण अभियन्ता का नाम	अभियुक्ति
१	टंकी की डिजाइन स्वीकार करना	श्री शोभन सेन गुप्त (टंकी का डिजाइन चेक किया)	१–श्री शरद कुमार सिंह (प्रथम बार)	,,	..
			२–श्री जयन्त अनन्त जोशी (दूसरी बार)	,,	..
२	भूमि का निर्णय करना	१–श्री शोभन सेन गुप्त	१–श्री शरद कुमार सिंह	,,	..
३	जुलाई, १९७५ तक टंकी के निर्माण की देख–रेख करना	१–श्री शोभन सेन गुप्त (प्रारम्भ से १२–८–७५ तक)	१–श्री शरद कुमार सिंह प्रारम्भ से १९–४–७४ तक तथा १–८–७४ से १४–१–७५ तक		१––श्री ओ० पी० बिश्नोई (जून, ७४ तक)
			२–श्री जयन्त अनन्त जोशी २३–४–७४ से ३१–७–७४ तक		२––श्री लक्ष्मी लाल शर्मा (१९–६–७४ से अब तक)
			३–श्री प्यारे लाल शर्मा १४–१–७५ से १०/७५		..

अनारक्षित सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०. पर)

देवरिया जनपद के विशुनपुरा विकास खंड के प्रश्नगत ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	विद्युतीकरण की तिथि	खम्भे खड़े होने की स्थिति
१	२	३	४
१	चिरगोड़ा	१५-४-१९७७	पहले से कोई खम्भा नहीं खड़ा था।
२	चितहा मेह पकड़ी	३०-९-१९७४ (चितहा गांव का)	चितहा मेह पकड़ी नाम का कोई गांव नहीं है।
३	माधी का टिलवा	..	इस नाम का कोई गांव नहीं है।
४	अरेनहवा (नान आर० ई० सी०)	..	कोई खम्भा नहीं खड़ा है और न ही कोई प्रार्थना-पत्र विद्युत् कनेक्शन लेने हेतु अभी तक प्राप्त हुआ है।
५	बबुइया हरपुर	३०-३-१९७८	खम्भे १९७४ से खड़े थे। कंडक्टर तथा ट्रान्सफार्मर लगा कर लाइन चालू कर दी गई है (आर० ई० सी० योजना में)।
६	चैती मुसहरी (आर० ई० सी०)	..	खम्भे नहीं खड़े हैं। वर्ष १९७८-७९ में विद्युतीकृत हो जाने की आशा है।
७	कंठी छपरा	३०-३-१९७८	खम्भा १९७४ से खड़े थे कंडक्टर तथा ट्रान्सफार्मर लगा कर लाइन चालू कर दी गई है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५ पर)

जनपद—बहराइच

अनुसूचित जाति के तृतीय श्रेणी की रिक्तियों का विवरण

नियोजक का नाम	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	सेवायोजित हुए अभ्यर्थियों की संख्या
१—जिला न्यायाधीश, बहराइच	लिपिक	१	५*
२—प्रशासनिक अधिकारी, सेन्ट्रल स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया, गिरजापुरी, बहराइच	आशुलिपिक	१	×
३—प्रशासनिक अधिकारी, सेन्ट्रल स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया, गिरजापुरी, बहराइच	लिपिक	४	×
४—बिक्री कर अधिकारी, बहराइच	लिपिक	१	१
५—उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी, बहराइच	लिपिक	१	१
	योग ..	८	७

अनुसूचित जनजाति की तृतीय श्रेणी की रिक्तियों का विवरण

१—प्रशासनिक अधिकारी, सेन्ट्रल स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया, गिरजापुरी, बहराइच	मेट—कम—लिपिक	२	×
	योग ..	२	×

अनुसूचित जाति की चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों का विवरण :

१—जिला न्यायाधीश, बहराइच	आदेश वाहक	३	×
२—जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच	चपरासी	१	१
३—बिक्रीकर अधिकारी, बहराइच	चपरासी	१	१
	योग ..	५	२

अनुसूचित जनजाति की चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों का विवरण

—शून्य—

*नोट—वर्ष १-४-७६ से ३१-३-७७ की अवधि में जिला न्यायाधीश, बहराइच द्वारा लिपिक का एक पद सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किया गया परन्तु उक्त अवधि में ५ अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गईं, वास्तव में ४ नियुक्तियां उपरोक्त अवधि के पूर्व की अवधि में अधिसूचित रिक्त स्थानों पर की गई। इसका सम्प्रेषण भी १९७५-७६ में हुआ था, किन्तु परिणाम १९७६-७७ में प्राप्त हुआ।

पी० एस० यू० पी०—३८ विधान सभा—१४-९-७८-८४३ (पी० डी०)।